राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ बैठक, बृहस्पतिवार, ३ मार्च, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन जयपुर में ८ बज कर ४० मिनिट (प्रातः) प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १३

राजस्थान में डाकुओं के आतंक से जनता को छुटकारा

श्री जवानसिंह—Will the Home Minister be pleased to state—

(a) What progress has the Government made in getting rid of the menace of dacoits in Rajasthan ?

(b) Is it a fact that notorious dacoits have made permanent abodes in the Chambal Valley and it is not possible to face them there with the present police equipment which is very poor ?

(c) Has any Central aid, in any form, been received by the Government to fight these dacoits on a major basis ?

(d) If so, what is the result ?

(e) Has the Government any scheme in mind of using Helicopters in the Chambal Valley to search the hide-outs of the dacoits ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—(क) सरकार सदा डाके न पड़ने देने एवं डाकुओं को पकड़ने में प्रयत्नशील रही है। पुलिस को नये हथियार तथा आवागमन के साधन दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त डाकुओं को पकड़ने तथा उनको ढूंढ निकालने के लिये नये साइन्टिफिक साधन काम में लाये जाते हैं। इन्हीं सब बातों से डकैतियों की संख्या जो सन् १९४९ में ३५८ थी सन् १९५४ में केवल ९६ रह गई है। अब तक सन् १९४९ से २,२९० डाकू गिरफ्तार हुए तथा १२६ मारे गये।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(ख) जी नहीं, यह असत्य है। पहले चम्बल घाटी डाकुओं का घर था किन्तु वहां के वह डाकू, जो राजस्थान में डाके डालते थे या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या मारे गये हैं।

(ग) ऊपर (ख) में दिये गये उत्तर से यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

(घ) जी नहीं। चम्बल घाटी में राजस्थान, मध्यभारत तथा उत्तर प्रदेश की पुलिस मिलकर वहां के डाकुओं का सफाया कर रही है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) सरकार इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझती।

श्री जवानसिंह—नये हथियार क्या क्या [illegible] हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—डिफरेन्ट काइन्ड ऑफ आर्म्स दिये गये हैं?

श्री श्री दास गोयल—पीपलदा में अभी जो ८, ९ दिन पहले डाका पड़ा, क्या वे डाकू चम्बल वेली से आये थे?

श्री रामकिशोर व्यास—इसका लोकेशन हम नहीं कर पाये हैं, पता चलाया जा रहा है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय मन्त्री जी ने फरमाया कि डाकुओं का सफाया हो गया हैं फिर भी बीकानेर में डाकुओं का इतना प्रकोप है कि वहां के सेठों के लड़कों को स्कूल जाते हुए पकड़ लिया जाता है और फिर रुपये लेकर छोड़ा जाता है?

श्री व्यास—यह जवाब जो मैंने दिया है वह चम्बल वेली से कन्सर्निंग जवाब है।

श्री जसवन्तसिंह—तो क्या इससे यह समझा जाय कि दूसरी जगह डाकुओं का वैसा का वैसा आतंक है!

श्री रामकिशोर व्यास—इसका डिटेल्ड स्टेटमेन्ट देख कर अर्ज कर सकता हूं।

श्री श्री दास गोयल—पीपलदा में जो डाका पड़ा था और इसमें जिन डाकुओं ने भाग लिया था वे डाकू गांव की सड़क पर बड़े आराम से घूमते हुए आये; क्या उनको वहां के अधिकारी पहिचान नहीं सके और कोई कदम नहीं उठाया गया।

श्री व्यास—यह इस सवाल से भिन्न है। इसके लिए अलग से प्रश्न पूछिये तो जानकारी प्राप्त कर बताया जा सकता है?

श्री जवानसिंह—क्या अमृतलाल चम्बल वेली ऑपरेट करता है?

एक सदस्य—बंगला नं० १० से ही आते हैं ?

श्री जवानसिंह—नये नये साधन क्या क्या दिये गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—आर्म्ड जीप्स; वायरलेस सेट्स वगैरह रखे गये हैं।

श्री जवानसिंह—नये अख्त्यारात क्या दिये गये हैं ?

श्री व्यास—नये हथियार दिये गये हैं।

प्रश्न संख्या १४.

राजस्थान में सन् १९५४ में डाकुओं को पकड़ना

श्री जवानसिंह—Will the Home Minister be pleased to answer :—

(a) How many dacoits have been taken into custody in the year 1954 ?

(b) How many of them have surrendered voluntarily and what were the conditions for surrender ?

(c) How many sepoys, Inspectors and other officers of Police were killed in the clashes ?

(d) Is the Government using any advanced C. I. D. methods in dealing with the dacoits in Rajasthan ? If so, how many foreign trained C. I. D. Officers are there in Rajasthan at present ?

(e) Is the Government contemplating to use Military Forces to fight the dacoits ?

श्री रामकिशोर व्यास—(गृह मन्त्री)

(क) सन् १९५४ में ३४७ डाकू पकड़े गये।

(ख) ५३ डाकुओं ने आत्म-समर्पण किया। उन्होंने आत्म-समर्पण बिना शर्त किया।

(ग) एक सिपाही, एक सब इन्स्पेक्टर तथा एक हैड कॉन्स्टेबल डाकुओं से मुठभेड में मारे गये।

(घ) जी हां। एक सी. आई. डी. अधिकारी हाल ही में इंगलेन्ड से शिक्षा प्राप्त करके आये हैं। कुछ और अधिकारी ऐसी शिक्षा प्राप्त करने और भेजे जा रहे हैं।

(च) जी नहीं। इस काम के लिये हमारी पुलिस फोर्स ही काफी है।

श्री श्रीदास गोयल--माननीय मंत्री जब पुलिस फोर्स को काफी समझते हैं तो पीपलदा में जो डकैती हुई थी, दिन दहाड़े डकैती हुई थी और डाकुओं ने आराम से वहां डकैती की, तो हमारे सी. आई. डी. विभाग के अफसर उनको पहचान नहीं सके क्या ?

श्री व्यास--इसका पता लागाया जा रहा है।

श्री एच० के० व्यास--जिन डाकुओं ने सरेन्डर किया, तो क्या उनमें बलवन्तसिंह का नाम भी है ?

श्री रामकिशोर व्यास--डिटेल्स में नामों की सूची मेरे पास नहीं है।

श्री एच० के० व्यास--क्या यह सही है कि उन पर जो मुकदमा चल रहा था उनके सरेन्डर होने के बाद उनकी जमानत हो चुकी है ?

श्री रामकिशोर व्यास--जमानत लेना और देना मजिस्ट्रेट का काम है गवर्नमेन्ट से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री एच० के० व्यास--क्या यह सही है कि सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि यदि वे अपने आपको सरेन्डर कर दें तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जायगी ?

श्री व्यास--मेरे ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री एच० के० व्यास--क्या यह सही है कि डाकुओं ने छूटने के बाद गवर्नमेन्ट के पक्ष में चुनाव में भाग लिया है ?

श्री व्यास--ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री एच० के० व्यास--क्या सरकार इस बात की जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी कि गत बाई इलेक्शन में डाकुओं ने कांग्रेस का प्रचार किया था ?

श्री व्यास--यह बात मालूम करने पर पता चल सकता है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा--जो सिपाही डाकुओं की मुटभेड़ में मारे गये उनके परिवार के भरण-पोषण के लिए सरकार द्वारा क्या इन्तजाम किया गया है ?

श्री रामजिशोर व्यास--उनमें से दो व्यक्तियों के परिवार को एक एक हजार और तीसरे के परिवार को ८०० रुपया दिया गया है; बाकी पेन्शन वगैरह देने के लिए कार्यवाही चल रही है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा--क्या इसके अलावा उनको कुछ मासिक भत्ता भी मिलेगा ?

श्री व्यास--इसीलिए तो पेन्शन वगैरह के कागजात चल रहे हैं।

Page No.5

श्री एच. के. व्यास—क्या उनकी पेन्शन डिसाइड हो चुकी है ?

श्री व्यास—नहीं अभी तय नहीं हुई है ।

श्री एच. के. व्यास—कितने अरसे से पेन्शन के कागजात सरकार के दफ्तर में जेर तजवीज़ है ?

श्री व्यास—मरने के बाद से हैं ।

श्री एच. के. व्यास—क्या मन्त्रीजी यह बतायेंगे कि इन कागजातों को चलते हुए कितना अरसा हो गया है ?

Since when the Government have been considering the question of their pension ?

श्री अध्यक्ष—Whose pensions ?

श्री एच. के. व्यास—Of the people who died.

यह जो तीन आदमियों के मारे जाने का जिक्र है तो उन तीन आदमियों के पेन्शन के केस किस-किस तारीख से पेन्डिंग हैं ?

श्री व्यास—अलग अलग आदमी हैं और अलग अलग तारीखों को मरे हैं । उन्हीं तारीखों से चल रहे हैं ।

श्री एच० के० व्यास—लांगेस्ट पीरियड बता दीजिये, कौन सा केस कितने लम्बे अर्से से तय नहीं हो पाया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—तीनों हीं पेन्डिग हैं । जब से मरे हैं तभी से पेन्डिग है, एग्जेक्ट डेट तो मेरे पास नहीं है ।

श्री जवानसिंह—जिन डाकुओं ने सरेन्डर किया उनके सरेन्डर करने की साधारणतया क्या शर्त रही ?

श्री अध्यक्ष—Is it within the scope of this question ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने पहले ही कह दिया है कि कोई भी शर्त नहीं रही ।

श्री जवानसिंह—तो इसका मतलब यह माना जाय कि सरकार उन पर मुकदमा चलायगी, साधारणतया जिस प्रकार दूसरे जुर्म करने वालों पर ?

श्री रामकिशोर व्यास—जिनके खिलाफ केसेज़ होंगे, उन पर जरूर मुकदमा चलेगा ।

श्री जवानसिंह—जिन डाकुओं ने सरेन्डर किया उनकी क्या शर्त थी, इस बारे में माननीय मंत्री कुछ रोशनी डालेंगे ?

श्री व्यास—सरेन्डर बिना शर्त किया।

कुँ. श्री जसवन्तसिंह—जिन डाकुओं ने सरेन्डर किया उन में से कितनों पर मुकदमा चलाया गया ?

श्री व्यास—यह अलग सवाल है।

कुँ. श्रीजसवन्तसिंह—जिन डाकुओं ने सरेन्डर किया उन पर कुछ न कुछ मुकदमा जरूर होगा, जरूर उन्होंने कुछ न कुछ डकैतियें या मर्डर्स किये होंगे; तो जिन्होंने सरेन्डर किया उनमें से कितनों पर सरकार द्वारा केसेज़ चलाये गये और उनमें से कितनों को सजा मिली ?

श्री रामकिशोर व्यास—(गृहमन्त्री) जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे पहले से चल रहे थे वे जरूर चलेंगे। उन मुकद्दमों में से किसी को हमने विथड्रा नहीं किया है, न नये मुकद्दमे तैयार किए हैं।

श्री जवानसिंह—मुकद्दमों में क्या पुलिस द्वारा पूरी दिलचस्पी ली जा रही है और जोर दिया जा रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह दिलचस्पी ले रही है कि शहादतें पेश की जावें।

श्री जवानसिंह—मेरे क्वेश्चन का पार्ट (डी);

(d) Is only one officer in the whole of Rajasthan quite sufficient to meet this menace ?" इसका उत्तर दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास—क्या कहा आपने मैंने समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष—...Is only one officer sufficient to meet the menace ?

श्री रामकिशोर व्यास—जहां जैसी जरूरत होती है वहां भेज दिये जाते हैं।

श्री जवानसिंह—पार्ट (बी) आपने देखा नहीं मालूम पड़ता है; नहीं तो पोजीशन साफ थी। मैं पार्ट (बी) का उत्तर पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या (ई) पार्ट ?

श्री जवान सिंह—नहीं, पार्ट (ए), (बी), (सी),... (डी)।

श्री अध्यक्ष—With regard to part (d).

Page No.7

श्री रामकिशोर व्यास—The whole police force is there.

श्री अध्यक्ष—Is the Government using any advanced C. I. D. methods?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने निवेदन किया कि ट्रेन्ड आदमी अभी इङ्गलैंड से आया है तथा और आदमी भेजे जा रहे हैं।

श्री जवानसिंह—और कितने आदमी भेजे गए हैं?

श्री रामकिशोर व्यास—अब भेजे जावेंगे।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—जो इङ्गलैंड से ट्रेन्ड होकर आया है उसका क्या ग्रेड है?

श्री रामकिशोर व्यास—वैसे वे एस. पी. हैं और आजकल डी. आई. जी., सी. आई. डी. हैं।

प्रश्न संख्या १५

राजस्थान में रेन्जर्स को टी. ए. की निश्चित दर देना

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि रेन्जर्स को टी. ए. फिक्स्ड रेट से मिलता है?

(ख) यदि हां; तो कितना?

(ग) उनके लिए कितने दिन हैड क्वार्टर्स से बाहर रहना आवश्यक है?

(ग) क्या यह आवश्यक है कि मुकर्रर दिन बाहर नहीं रहने पर टी. ए. बिल्कुल नहीं दिया जाता है?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (वन मन्त्री)—

(क) जी हां।

(ख) ३०) रु० प्रतिमास।

(ग) उनको उनके क्षेत्र में अपने हैड क्वार्टर्स से १० मील की परिधि से बाहर २० रात प्रतिमास रहना आवश्यक है।

(घ) जितने दिन निर्धारित रातों से कम बाहर रहता है उतने दिन का २) प्रति रात से काटा जाता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां निर्धारित दूरी से कम होने के कारण २० दिन बाहर रहना उनके लिये लाज़मी नहीं होता ?

श्री वनमंत्री—ऐसे क्षेत्रों की जानकारी दी जावे तो मालूम किया जा सकता है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अधिक दिन तक बाहर रहने की वजह से और हैड क्वार्टर में नहीं रहने से जनता को दिक्कतें होती हैं ?

श्री बृजसुन्दर—क्योंकि वे अपने क्षेत्र में हर जगह चले जाते हैं तो लोग अपनी-अपनी जगह ही उनसे मिल सकते हैं, इसलिये जनता को कोई दिक्कत इससे नहीं होती । यही देखकर तो उनके इतने दिन दौरे करने का निर्णय किया गया है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में एक महीने में भी सारी जगह नहीं जा पाते हैं इसलिये उन्हें हैडक्वार्टर्स पर आना पड़ता है और ऐसी सूरत में वहां रेन्जर को न पाकर उन्हें बड़ा निराश और परेशान होना पड़ता है ?

श्री बृजसुन्दर—जब रेन्जर स्वयं उनके यहां जाता है तो उनको वहीं उनसे मिलना चाहिये । अब अगर वे अपने यहां आने पर रेन्जर से नहीं मिलते तो यह उनका दोष है, रेन्जर का नहीं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस तरह कम परिधि होने से २० दिन बराबर दौरा करने की सूरत में उनका डबल पैसा काट लिया जाता है । इसलिये दौरा करना ही बहुतों ने बन्द कर दिया है ।

श्री बृजसुन्दर—ऐसी जानकारी अगर दी जावेगी तो उनको सख्त सजा दी जावेगी ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह उनका अपराध है कि जिसकी सजा उनको दी जावे ? निर्धारित दूरी से अधिक उनका क्षेत्र ही नहीं हैं ।

श्री बृजसुन्दर—मैंने अर्ज किया कि अगर किसी क्षेत्र में निर्धारित से कम दूरी है तो उसकी जानकारी दी जावे; उसका समुचित प्रबन्ध किया जा सकता है । पर पहले उन लोगों ने दौरा करना ही बन्द कर दिया था, इसलिये इस तरह के सख्त कदम उठाये गये हैं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जयपुर का रेन्जर का एरिया अधिकतर ऐसा है जो पांच मील की परिधि के अन्दर-अन्दर आता है और चूंकि पांच मील का इसका अलाउन्स मिलता नहीं इसलिये दौरा उन लोगों ने बन्द कर दिया ?

श्री बृजसुन्दर—अगर उन्होंने बन्द कर दिया है तो मैं जानकारी हासिल करूंगा और बाद में मैं आपको बता सकूंगा ।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार ने यह जो तरीका अपनाया है उस पर दुबारा विचार करने का सरकार इरादा रखती है ?

श्री बृजसुन्दर—विचार तो जरूर है, पर अभी निर्णय इस पर नहीं कर सके हैं।

श्री चांदमल मेहता—इस तरह का दौरा करने का फिक्स्ड अलाउन्स देने का आदेश देने के बाद क्या कोई विशेष फायदा सरकार महसूस कर रही है ?

श्री बृजसुन्दर—जनता को जरूर फायदा हुआ है, क्योंकि रेन्जर उन्हें अपनी-अपनी जगहों पर मिल जाते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह भी शिकायत सरकार के पास आई है कि इन रेन्जरों के हैड क्वार्टर्स पर नहीं मिलने से असुविधा भी लोगों को हुई है ?

श्री बृजसुन्दर—नहीं आई, अगर कुछ शिकायत है भी तो वह नगण्य है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न सं० १६

वन विभाग के अधिकारियों का फिक्सेशन

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) वन विभाग में किन-किन अधिकारियों का फिक्सेशन अभी तक नहीं हुआ है ?

(२) फिक्सेशन अभी तक नहीं होने का क्या कारण हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—

(१) इस विभाग में सबोर्डिनेट सर्विसेज़ तथा क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स का फिक्सेशन अभी नहीं हुआ है।

(२) उनकी सीनियोरिटी रूल्स, रिवाइज़्ड पे स्केल्स निश्चित करने में देरी होने के कारण यह नहीं हो सका है।

और इनकी देरी होने के कारण यह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फाइनेन्स विभाग ने बजट में कटौती कर दी और इसके लिए फॉरेस्ट विभाग ने अपनी असमर्थता प्रकट की क्यों कि इससे कुछ आदमियों को निकालना पड़ता, इसलिये देरी हो गई।

श्री चांदमल मेहता—इसका कारण विभागीय शिथिलता भी है, क्या यह सही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं तो नहीं मानता यह, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यह सवाल हमारे

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

सामने पेश ही नहीं होता। पर अब हमारे सामने आ गया है इससे मालूम होता है कि विभागीय शिथिलता नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पिछली सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि इस वर्ष के अन्त तक सबका फिक्सेशन हो जावेगा, पर ऐसा नहीं हुआ।

श्री बृजसुदन्र—फाइनेन्स विभाग ने कटौती की और इस कटौती की मांग जब फॉरेस्ट विभाग के पास आई तो यह कटौतीं करने में उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की; इसको लेकर अभी तक फिक्सेशन नहीं हो पाया था।

श्री चांदमल मेहता—क्या आश्वासन देते वक्त यह बात ख्याल में नहीं थी ?

श्री बृजसुन्दर—इसकी मैं जांच करूंगा कि क्या आश्वासन दिया गया था।

श्री चांदमल मेहता—इन आश्वासनों का रिकार्ड मन्त्री महोदयों के पास रहता है या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इस सवाल के साथ यह आश्वासन मेरे पास तो नहीं। अगर दिया गया था तो आप समझ लीजिये कि यह फिक्सेशन अब एक महीने के अन्दर अन्दर हो जावेगा। मैं यह आश्वासन आपको देता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह बताने की आप कृपा करेंगे कि फॉरेस्ट विभाग और फाइनेन्स विभाग में अगर कभी मतभेद हो जावे तो इसका निर्णय कैसे होता है ?

श्री बृजसुन्दर—अब मतभेद नहीं हो सकेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मौजूदा हालतों में पूछ रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री जवानसिंह।

प्रश्न संख्या १७

सिरोही जिले में हथियारों के लाइसेन्स सम्बन्धी आवेदनपत्र शासकीय सचिवालय में विचाराधीन

श्री जवानसिंह—क्या ग्रहमन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सिरोही जिले में हथियारों के लाइसेन्स के कितने आवेदन ६ मास से भी ज्यादा समय से राजस्थान सेक्रेटेरियट में आये हुए पड़े हैं ?

(ख) उपरोक्त लाइसेन्स में से रिन्युअल के लिए कितने हैं ?

Page No.11

[श्री जवानसिंह]

(ग) इतनी देरी का क्या कारण है ?

(घ) सचिवालय में ज्यादा से ज्यादा अर्से तक पड़े रहे लाइसेन्स का कितना अर्सा है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—(क) सिरोही जिले के हथियारों के ६ लाइसेन्स ६ माह से अधिक समय से आये हुए हैं।

(ख) एक भी नहीं।

(ग) जिन व्यक्तियों ने यह लाइसेन्स मांगे हैं उन्होंने अभी तक आवश्यक फीस जमा नहीं कराई है। फीस जमा कराने के लिए उनसे कहा भी जा चुका है। फीस जमा होते ही लाइसेन्स बना दिये जावेंगे।

(घ) इस तरह का सबसे पुराना मामला तारीख ८-३-५२ का है जिसको सचिवालय में पड़े हुए लगभग तीन साल का अर्सा हो गया है।

श्री जवानसिंह—(क) का जवाब ठीक नहीं आया। इतनी देर होने का कारण क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास—फीस का जमा नहीं कराना। और दूसरे भी कारण कई हैं। कुछ क्वेरीज की हैं उनका उत्तर भी नहीं मिला। कुछ इन्कम्पलीट बातें रह गईं, तो उनका जवाब आने में भी देरी हुई।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मैं यह जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरी यह समझ में नहीं आया कि लाइसेन्स की दरख्वास्त देते समय ही फीस साथ में दे दी जाती है इसके बिना तो एक्सेप्ट भी नहीं होती, तो वे दरख्वास्तें बिना फीस के एक्सेप्ट कैसे करली गईं ?

श्री रामकिशोर व्यास—कुछ एक्स्ट्रा फीस और थी।

कु० श्री जसवन्तसिंह—वह फीस एक्स्ट्रा कैसे थी ? क्या एक चपरासी ने उसे एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में लेजा कर दी, या रिकमन्डेशन अफसर ने की; उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस का सवाल था या क्या था ? लाइसेन्स फीस मुकर्रर है और वह फिक्स्ड है, इसमें गलत फहमी नहीं हो सकती और इसके माफिक जब फीस दे दी गई तो फिर यह नई फीस कहां से पैदा हो गई ? कृपा करके इस पर रोशनी डाल दें।

श्री रामकिशोर व्यास—अन्डर रूल्स ही जो फीस चाहिये थी वही मांगी गई थी।

श्री हिम्मतसिंह—क्या यह सही है कि लाइसेन्सों के उलट-फेर में, डिस्ट्रिक्टों से सेन्टर में आने-जाने में बहुत से गायब हो गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह सही नहीं है। पर सूचना के लिये मैं और यह निवेदन कर दूं कि अब हम कलेक्टर को ही यह पॉवर डेलीगेट कर रहे हैं कि वे ही वहां देख लें।

श्री खेतसिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सालोसाल रिन्युअल फीस नहीं ले कर तीन चार साल की एक साथ फीस ले कर एक ही बार में कर दें, जिससे तीन चार साल तक बार बार दिक्कत न पड़े, तो इसको करने में सरकार को क्या आपत्ति है?

श्री रामकिशोर व्यास—अभी तक यह रूल्स में परमिटेड नहीं है।

श्री अध्यक्ष—That is a central subject Next.

प्रश्न संख्या १६

श्री जवानसिंह—क्या वन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(अ) राजस्थान के जंगलों का क्षेत्रफल कुल कितना है?

(ब) इसमें से कितना सर्वे हो चुका है और कितना बाकी है?

(स) तमाम क्षेत्रफल कब तक सर्वे कर लिया जावेगा?

(द) इस कार्य के लिए किस दर्जे के कितने गजेटेड अफसर नियुक्त हैं और इस समय वे कहां कहां सर्वे कर रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर—(अ) राजस्थान के बनों का जो राजस्थान विभाग के आधीन हैं कुल क्षेत्रफल १३११८ वर्ग मील है।

(ब) इन वनों में से लगभग ३८०० वर्गमील का सर्वे हो चुका है तथा ६३१८ वर्गमील का सर्वे होना शेष है।

(स) वर्तमान प्रगति के अनुसार काम करीब १५ वर्षों में खत्म होने की सम्भावना है।

(द) इस कार्य के लिये ४ गजेटेड ओफिसर नियुक्त हैं जिनमें से दो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं और इस समय ये चित्तौड़, झालावाड़ व कोटा में सर्वे कार्य कर रहे हैं।

श्री श्रीदास गोयल—जागीरी इलाके के बनों में सर्वे हुआ है या नहीं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी नहीं। अभी नहीं हुआ है।

श्री जवानसिंह—यह कार्य कब तक शुरू किया जायगा?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह कार्य कब तक शुरू किया जायगा, इसके लिए अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

प्रश्न संख्या १६

सिरोही शहर में कोयले की दर

श्री जवानसिंह—क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(अ) सिरोही शहर की जनता को एक साल पहले तक कोयला किस नियमित दर से मिलता था ?

(ब) वर्तमान समय में उपरोक्त शहर की जरूरत के लिये कोयले की क्या व्यवस्था है व कोयला किस दर पर दिया जाता है ?

(स) अगर अब कीमत ज्यादा बढ़ गई है तो सरकार क्या पुराना तरीका अपनाने के लिए तैयार है या और कोई दूसरा तरीका अपनाने का विचार कर रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(अ) ३) रुपया (तीन रुपये) फी मन से कोयला एक साल पहले शहर सिरोही में बिका करता था।

(ब) इस समय शहर को कोयला सप्लाई करने के लिए वन विभाग द्वारा एक कूप निकाल कर ठेके पर दिया गया है। ठेकेदार शहर-सिरोही में कोयला सप्लाई करने के लिए पाबन्द है।

(स) इस समय कोयला ५) रु० फी मन शहर सिरोही में बिक रहा है।

(द) सरकार की पॉलिसी प्राइस कन्ट्रोल रखने की नहीं है। इसलिए ठेके में बिक्री की शरह की शर्त नहीं रखी गई है। पुराना ठेका प्राइस कन्ट्रोल की शर्त पर था इसलिए ठेकेदार को लाज़िम था कि मुकर्ररा दर से ज्यादे पर कोयला न बेचें। कन्ट्रोल करने की नीति नहीं है और चूँकि बिक्री कोयले की बहुत कम है इसलिये कम्पीटिशन कराया नहीं जा सकता।

श्री जवानसिंह—क्या यह सही है कि पुराने ठेकेदार ने ३) रु० की दर से कोयला बेचने के उसके कॉन्टेक्ट की मयाद को बढ़ाने के लिए प्रार्थना की थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री जवान सिंह—ऐसी जानकारी नहीं है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी।

श्री जवान सिंह—क्या सरकार फिर से इस मामले में जांच करवाने के लिए तैयार है, और क्या पुराने सेशन के वक्त जो आश्वासन दिया गया था उस पर गौर करने को तैयार हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मौजूदा सूरत में प्राइसेज़ पर कोई कन्ट्रोल नहीं किया जा सकता है। जो कूप स्पेशली सिरोही शहर को सप्लाई करने के लिए नीलाम किया गया था उसमें कोई शर्त नहीं

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

है। दूसरे ठेकेदार भी काम करना चाहते हैं तो उनको किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है कि वे शहर में आकर कोयला नहीं बेच सकते हैं। इसलिए वे भी वहां कोयला लाकर बेच सकते हैं। चूँकि भाव बाहर ज्यादा है। इसलिए उनका कोयला बाहर जाता है। हमारी प्राईस का कन्ट्रोल करने की नीति नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार बतायेगी कि प्राईस कन्ट्रोल की उनकी नीति नहीं है तो और किन चीजों पर उनका कन्ट्रोल है इस सिलसिले में?

श्री बृज सुन्दर शर्मा—कोयले के सिलसिले में सिर्फ वही एरिया है जो सिरोही शहर के लिए नीलाम किया जा सकता है, बोली लगाना है तो लगा दो।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या कन्ट्रोल एक्सरसाइज करती है सरकार प्राईस के अलावा What other Control does the Govt. excercise in respect of Coal ?

श्री बृसुन्दर शर्मा—इस सिलसिले में किसी तरह का कोई कन्ट्रोल नहीं है वह कोयला जो बनाने का है वह जिस एरिया में है वहां बन सकता है। इसके अलावा कोयले के बनाने की इज़ाजत नहीं हो सकती है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या इसके मायने यह हैं कि जो एरिया आजकल सिरोही के लिए रिजर्व कर रखा है उसके बाहर से लाने की इज़ाजत नहीं है?

श्री बृज सुन्दर शर्मा—नहीं ला सकते हैं।

श्री जवानसिंह—जो कूप सिरोही शहर के लिए रखा गया है उससे बाहर कोयला भेजने के लिए इज़ाजत है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वह इजाजत तो नहीं होती है। ठेके की अवधि खत्म होने के बाद जो कोयला बच जाता है उसको वह भेज सकते हैं।

श्री जवानसिंह—इस मियाद के खत्म होने के बाद में उस कूप का कोयला बाहर भेज सकते हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी हां।

प्रश्न संख्या २०

जयपुर प्रादेशिक सेवा विनिमय विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को १६५४ में नौकरी दिलाना

श्री जवानसिंह—Will the Minister for Labour be pleased to state :—

(a) What was the total number of candidates registered with the Regional

[श्री जवानसिंह]

Employment Exchange at Jaipur in the year 1954 and how many of them were graduates ?

(b) How many of them were provided with jobs through this department and what is the percentage ?

(c) Has the Government ever calculated that the number of registered candidates was always greater than the number of persons provided with jobs ?

(d) What steps are contemplated by the Government to provide the rest with jobs.

श्री बृजसुन्दर—(श्रम मन्त्री)

(a) 1931 including 130 graduates.

(b) 496. The percentage comes to about 25.

(c) Yes.

(d) It is expected that the various development schemes under the Five Year Plan will as far as possible reduce the number of the unemployed to an appreciable extent.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने अपने सब विभागों को इस प्रकार के आदेश दे दिये हैं कि एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज के अलावा और कहीं से लोगों को नौकरी के लिये रिक्रूट नहीं करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सक्युलर जारी कर दिया गया है, लेकिन कोई मेन्डेटरी आदेश नहीं दिये हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि आज भी ज्यादातर सरकारी विभाग में रिक्रूटमेन्ट एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज के अलावा दूसरे तरीके से किया जाता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आप जानकारी दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं यह पूछ रहा हूँ कि यह सही है या नहीं है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि लेबर एडवाइज़री बोर्ड ने आज से एक वर्ष से ज्यादा पहले इस सिलसिले में एक प्रस्ताव पास कर सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मान्यवर मित्र जानकारी दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आगे इसके लिए प्रयत्न करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मन्त्री महोदय को लेबर एडवाइज़री बोर्ड की कार्यवाही से जानकारी नहीं हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—लेबर एडवाइज़री बोर्ड की कार्यवाही से जानकारी जरूर है; लेकिन इस प्रश्न के लिए खास ज़ानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २१

ग्राम फतेगढ़ (तहसील सरवाड़) के तालाब विजयसागर के जीर्णोद्धार का ठेका।

श्री चांदमल मेहता—क्या मननीय सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) ग्राम फतहगढ़ तहसील सरवाड़ के तालाब विजयसागर की मरम्मत का ठेका कब, किसको, कितने रूपये में दिया गया ?

(२) क्या यह सही है कि ठेकेदार ने अपना काम पूर्ण नहीं किया ?

(३) यदि हाँ, तो ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(सिंचाई मंत्री)।

(१) ग्राम फतहगढ़, तहसील सरवाड़, के तालाब विजयसागर की मरम्मत का ठेका लाला मेहरचंद ठेकेदार को सन् ५३–५४ में दिया गया था। जिसकी अनुमानित लागत ३३,१४१ रुपये थी।

(२) ठेकेदार से आवश्यकता अनुसार रू० २६,३०३ का काम ही कराया गया।

(३) कार्य समाप्त करने में विलम्ब होने के कारण ठेकेदार पर १ रू० प्रतिशत जुर्माना किया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अभी तक वह काम अपूर्ण है ?

श्री मिर्धा—पहले जो काम का एस्टीमेट पास किया गया था वह ३३,१४१ रु० का था। बाद में कुछ हेर फेर करके २६,३०३ रू० से काम बनाया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि काम को अपूर्ण बनाने की दृष्टि से ही हेर फेर किया गया है ?

Page No.17

श्री मिर्धा—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या एस्टीमेट के मुताबिक काम हो गया है ?

श्री मिर्धा—आवश्यकतानुसार एस्टीमेट में हेर फेर करके रिवाइज्ड एस्टीमेट के मुताबिक काम पूरा हुआ है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पिछले सेशन के वक्त में यह जवाब दिया गया था कि ठेकेदार ने शर्तों की पाबन्दी नहीं की, इसलिये उसके खिलाफ एक्शन लिया गया ?

श्री मिर्धा—जी हां, ठेकेदार ने शर्तों की पाबन्दी नहीं की जिसकी वजह से उस पर एक रुपया प्रतिशत का जुर्माना किया गया।

श्री मेहता—क्या यह सही है कि काम के देरी से करने की शिकायत ठेकेदार ने की थी ?

श्री मिर्धा—जी नहीं।

श्री मेहता—क्या यह सही है कि जब काम पूरा हुआ तो फतहगढ़ के तालाब में पानी आना बन्द हो गया है ?

श्री मिर्धा—जी नहीं।

श्री मेहता—क्या यह सही है कि इस वर्ष तालाब को ठीक कराने के बाद जो पानी आता था वह बन्द हो गया है ?

श्री मिर्धा—जी नहीं।

श्री मेहता—क्या मंत्री महोदय इसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं कि पानी बन्द हुआ है या नहीं ?

श्री मिर्धा—जी हां।

श्री मेहता—यह जांच कब तक करवा लेंगे ?

श्री मिर्धा—बहुत जल्दी ही।

श्री मेहता—इसकी जांच करने के लिये वे ही अधिकारी होंगे जिनके कि एक दूसरे के चौथान हिस्से चलते हैं या दूसरे विभाग के आदमी नियुक्त करेंगे ?

श्री मिर्धा—जो भी आदमी डिपार्टमेंट में होंगे वे ही जांच करने जायेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि रिवाइज्ड एस्टीमेट जो किया गया है, वह काम के पूरा होने के बाद में किया गया है ?

श्री मिर्धा—नहीं पहले ही।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जिस स्टेज़ पर काम पहुंच चुका था उसको रिवाइज्ड एस्टीमेट में जितना काम होना था उसमें फिट इन कर दिया गया ?

श्री मिर्धा—जी नहीं ऐसा नहीं किया गया है।

श्री मेहता—फतहगढ़ की जनता ने इस काम के लिये कोई शिकायत की, उसकी कोई जांच करवाई गई ?

श्री मिर्धा—सबसे बड़ी शिकायत तो आपने की, उसकी जांच हो रही है।

श्री मेहता—फतहगढ़ की जनता की शिकायत पर कोई कार्यवाही हुई या नही ?

श्री मिर्धा--कार्यवाही हुई तभी तो उस पर जुर्माना हुआ है।

श्री मेहता—काम देरी से शुरू होने के कारण जितना पानी पहले आता था वह भी बन्द हो गया, इस शिकायत पर कोई कार्यवाही की गई या नहीं ?

श्री मिर्धा—ऐसी शिकायत की जांच हुई और वह गलत पाई गई।

श्री मेहता--वह जांच करने वाले कौन अधिकारी थे ?

श्री मिर्धा—यह दूसरा प्रश्न है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—यह काम देरी से होने के क्या कारण हैं ?

श्री मिर्धा—ठेकेदार की गलती।

श्री कछवाहा—यह गलती इन्जीनियर की नहीं है कि टेन्डर मन्जूर होने के तीन महीने के बाद भी काम नहीं बताया और ले आउट नहीं किये ?

श्री मिर्धा—मैं समझा नहीं।

श्री कछवाहा—क्या यह इन्जीनियर की गलती नहीं हो सकती कि जिन्होंने टेन्डर मन्जूर होने के ३ महीने के बाद तक काम उनको ले आउट करने नहीं दिया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—नहीं, वहां ऐसा नहीं हुआ। काम पूरा ले आउट करके एस्टीमेट बनाकर काम शुरू किया गया।

श्री संतोषसिंह कछवाहा:—टेन्डर किस तारीख को पास हुआ और काम किस तारीख को बताया गया ?

Page No.19

श्री रामनिवास मिर्धा—काम ५. ७. ५३ को खत्म होना चाहिये था लेकिन खत्म हुआ ६. ७. ५४ को पूरे एक साल बाद।

श्री संतोषसिंह कछवाहा:—टेन्डर किस तारीख को पास हुआ और काम किस तारीख को बताया गया ?

श्री रामविास मिर्धा—यह इन्फॉर्मेशन इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा:—तब आप कैसे कह सकते हैं कि काम देरी से खत्म हुआ ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जिस वक्त टेन्डर एक्सेप्ट किया गया उस वक्त कह दिया गया था कि ५. ७ ५३ को काम खत्म होना चाहिये, लेकिन काम खत्म हुआ ६. ७. ५४ को।

श्री संतोषसिंह कछवाहा:—क्या मंत्रीजी को इस बात का अनुभव है कि टेन्डर मंजूर होने के बाद महीनों तक इन्जीनियर लोग ठेकेदारों को काम नहीं बताते हैं और ले आउट करने में ३ महीने या ६ महीने तक लगा देते हैं और उनका समय खत्म होने लग जाता है तो फिर ठेकेदारा लोग कैसे समय पर काम खत्म कर सकते हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—काम देरी से बताने की कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई।

श्री चांदमल मेहता—रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में क्या क्या काम करने को था ?

श्री रामनिवास मिर्धा—रिवाइज्ड एस्टीमेंट से पहले डिटेल्ड एस्टीमेट था, वह तो था ही कुछ नहरों का आइटम छोड़ दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—नहरों का आइटम छोड़ देने का क्या कारण है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—टेक्निकल कारण है।

श्री चांदमल मेहता—टेक्निकल कारण क्या था ? क्या यह सही है कि नहरों को अधिक गहरी करते तो ज्यादा पानी आता ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मैं नहीं कह सकता कि किस वजह से हटाया गया। यदि पानी की कसर पड़ी है तो उसकी जांच करवाई जायगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस बात की जांच करायेंगे कि वे आइटम्स निकालने के क्या कारण हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी हां, जांच करायेंगे।

श्री अध्यक्ष—Now the questions are over Next Shri Damodarlal Vyas.

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १६५४ (प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के लिये समय में वृद्धि)

श्री दामोदर व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन की उपस्थिति के हेतु नियत समय को इस सत्र के अंतिम दिवस तक के लिए बढ़ाया जावे।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि यह समय बढ़ाया जाय ?

(प्रस्ताव स्वीकृत)

समय बढ़ाने की अनुमति दी गई।

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन की नियमावली का प्रारूप
(प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के लिए समय में वृद्धि)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में जो प्रवर समिति नियुक्त की गई है उसके प्रतिवेदन की उपस्थिति के हेतु नियत समय को इस सत्र के अन्तिम दिवस तक के लिये बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ाया जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत)

समय बढ़ाने की अनुमति दी गई।

२४ मई एवं २८ जुलाई, १६५४ को श्री हरिकृष्ण व्यास के विशेषाधिकार प्रस्ताव (विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के लिए समय में वृद्धि)

श्री रामकिशोर व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री हरिकृष्ण व्यास द्वारा दिनांक, २४ मई, १६५५ एवं २८ जुलाई, १६५४ को प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों की उपस्थिति के हेतु नियत समय को इस सत्र के अन्तिम दिवस तक के लिए और बढ़ाया जावे।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि यह समय बढ़ाया जाय ?

(प्रस्ताव स्वीकृत)

समय बढ़ाने की अनुमति दी गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास द्वारा प्रस्तुत चंडावल पंचायत निर्वाचन में हुई दुर्घटना पर स्थगन प्रस्ताव—

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। उस स्थगन प्रस्ताव को पढ़ देता हूं।

"That this House do now adjourn to discuss the failure of the Government to ensure safety of the electors assembled for the Panchayat Elections in chandawal (Tahsil Sojat, District Pali) and its subsequent neglect to round off the miscreants which has resulted in serious skull and other grievous injuries to eleven persons including three Panches elected from there and who are now admitted in hospitals in Pali and Jodhpur."

यह जैसा कि इसमें साफ है, पंचायतों के चुनाव के बारे में है जो हो गये हैं। यह एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए इंपोर्टेन्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि इसके लिए इस सदन की कार्यवाही को, जो कि अधिक महत्वपूर्ण है, स्थगित किया जाय और इस पर बहस की जाय। मैं यह चाहूंगा कि सम्बन्धित मन्त्री या मुख्य मंत्री जब राजप्रमुख महोदय के भाषण पर बहस का जवाब दें उस समय हो सके तो इस पर भी प्रकाश डालें, या स्टेटमेंन्ट देना चाहें तो स्टेटमेंट दें।

श्री हरीकृष्ण व्यास—स्टेटमेंट दें तो उस पर थोड़ी बहस भी होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—मैं इसका कारण और बता दूं कि इसमें यह नहीं लिखा है कि कौनसी तारीख को यह घटना हुई।

श्री हरीकृष्ण व्यास—इसमें नीचे तारीख लिखी गई है।

श्री अध्यक्ष—कहीं भी नहीं लिखी है। जिन माननीय सदस्य ने इसे टेबल किया है वे राजप्रमुख के भाषण पर बोलते समय इसका हवाला दे सकते थे।

श्री हरीकृष्ण व्यास—मेरे पास इसकी सूचना बाद में आई।

श्री अध्यक्ष—घटना पहले की है। सूचना बाद में आई है तो उसके लिये मैं जिम्मेदार थोड़े ही हूं।

श्री हरीकृष्ण व्यास—नीचे ब्रीफ रिज्यूम ऑफ दि फेक्ट में तारीख डाली गई है। २५-२-५५

श्री अध्यक्ष—बहुत पुरानी बात है। (It is not so urgent) अगर यह घटना अधिवेशन प्रारम्भ होने के बाद हुई होती तो बात दूसरी थी।

श्री हरीकृष्ण व्यास—इसको कट मोशन में ले लें।

श्री अध्यक्ष—कट मोशन में तो वैसे भी आपको अधिकार है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सब्जक्ट नहीं आ सकता, इसलिये थोड़ा माइग्रेशन करना पड़ेगा।

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर वाद-विवाद (क्रम से)

श्री अध्यक्ष—श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद प्रारम्भ करें।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—May I speak ?

श्री अध्यक्ष—you are welcome though so late.

कुँ०श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, मुझे खेद है कि श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के अवसर पर मैं स्थितिवश यहां नहीं आ सका। और जितनी ज्यादा कोशिश यहां आने की की उतनी ही दिक्कत रेल्वे ट्रेन ने मेरे साथ की। दो-तीन जगह पर मुझे कनेक्शन्स मिस करने पड़े और कम से कम १०० रुपये और ज्यादा खर्च करने पड़े, फिर भी कल शाम को भूला-भटका किसी तरह जयपुर पहुँच गया और मुझे खुशी है कि इस वक्त २–४ शब्द कहने का मुझे अवसर मिला।

इस अभिभाषण को सुनना तो दूर रहा, पढ़ने के लिये भी मुझे पूरा समय नहीं मिला, क्यों कि मुझको इसकी कॉपी आज ही प्रातः मिली। इस वक्त जो कुछ जल्दी में देख सका उसी के आधार पर दो–चार शब्द कह पाऊंगा।

सबसे पहले श्रीमन् राजप्रमुख हमारे धन्यवाद के पात्र हैं कि आखिरकार जन–मांग पर उनको सिर झुकाना पड़ा और उन्होंने हिन्दी में पहली दफा चार वर्ष के बाद में भाषण दिया (हिअर हिअर)। इस बात के लिये हम अवश्य उनको धन्यवाद देंगे।

इस अभिभाषण में उन्होंने बहुत लंबा–चौड़ा मैदान दाबा और हमारी सरकार के सामने क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या कार्यवाही उसने पिछले साल में की और आगे उनकी नीति क्या रहेगी, इस पर रोशनी डाली। इन सब बातों पर सदन का समय न लेकर मैं चार–पांच विषयों पर ही कुछ कहना चाहूंगा।

सर्व प्रथम हमारे राजप्रमुख महोदय ने कानून और व्यवस्था की हालत पर फरमाया कि राज–स्थान में हर साल कानून और व्यवस्था की हालत सुधरती जा रही है। मैं नहीं समझता कि राजस्थान के किस कोने की बात राजप्रमुख महोदय फरमा रहे हैं जहां कानून और व्यवस्था की हालत सुधर रही है। दुर्भाग्य से उस इलाके में जहां से मैं आ रहा हूं वहां तो हमें कहीं भी यह देखने को नहीं मिलता कि लॉ एन्ड ऑर्डर की व्यवस्था सुधरती जा रही है। धनिक बच्चे यदि भूले भटके शहर से बाहर निकल जायं और उनके काफी गहना–जेवर पहने हो और गांठ में काफी रुपया हो तो मेरी समझ में वह तो वापिस आसानी से घर नहीं जा सकता, चोर उसको लूट ही लेंगे, सरकार उसके लिये कुछ भी नहीं कर सकेगी। यदि यह उम्मीद की जाय कि सरकार उसकी मदद करे तब तो वह आदमी जिंदगी से

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

बच कर वापिस घर आ ही नहीं सकेगा। ऐसे बीसियों उदाहरण सदन के सामने समय २ पर आये हैं। यहां तक कि पुलिस के कांस्टेबल्स और अधिकारियों को भी डाकू उठाकर ले गये हैं, लेकिन वे आदमी वापिस डाकुओं से छुड़ाकर नहीं लाये जा सके हैं। सदन में मांग भी इसके लिये की गई थी। उनके घर वाले रुपये देकर भी उनको वापिस लाने को तैयार हो गये थे। यह तो हालत है सरकारी अधिकारियों की, जो डाकुओं द्वारा उठा कर ले जाये गये थे और उनको लाना नामुमकिन हो गया था। सरकार न तो उनको वापिस लाने के लिए मदद देती है और न इसके लिये प्रयत्न करती है, नतीजा यह निकलता है कि वे मारे जाते हैं। यह तो खाली सरकारी अधिकारियों का हाल है। प्राइवेट आदमी, यदि छुडाने की कोशिश करें तो कोशिश करने वालों को सरकार सजा देती है।

मैं एक उदाहरण, माननीय अध्यक्षजी, आपकी आज्ञा से देना चाहूंगा कि पुंगल इलाका बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है। वहां पर करीब करीब यह रिवाज बन गया है कि जानवर गाय, बैल, ऊंट या दूसरे जानवर डाकू लोग उडाकर पाकिस्तान में ले जाते हैं। सरकार के पास अगर वे इसकी इत्तला करने आवें तो उनको बहुत ही परेशानी भुगतनी पड़ती है। इसके अलावा बीकानेर के बीच में और पुंगल के बीच में मन्त्रीजी और अफसर जो मोटरों—जीपों से जाते हैं उनकी बात छोड़ दीजिये, बाकी ऊंटों की सवारी पर जाकर अगर आप देखें तो मालूम होगा कि वह रास्ता आसान नहीं है। उस रास्ते पर कितनी ही दफा करीब साल में दस—बीस बार चोरियां हुईं। जानवर ले जाये गये पाकिस्तान में सो तो ले ही जाये गये, पर शिकायत करने पर उनकी हालत बुरी की जाती है और आज नतीजा यह है कि सरकार को उन्होंने शिकायत करना छोड़ दिया है। इस इलाके में ज्यादातर मुसलमान हैं और वे भारत के सच्चे नागरिक हैं, उनकी लोयल्टी पर किसी तरह का शक नहीं किया जा सकता। उनके ऊंट वगैरह लूटकर पाकिस्तान ले जाये गये। सरकार को अब इसकी इत्तला करें तो उनकी आफत, अब करते क्या हैं कि अगर उनका हजार का माल हुआ तो पांच सौ रुपया दे कर उसे ले आते हैं वापिस, इसी तरह अभी चार—पांच ऊंट ले जाये गये पर उनको आधा रुपया देकर वापिस ले आये। वापिस क्या ले आये उन्होंने एक भारी आफत मोल ले ली और पुलिस द्वारा पुंगल किले में वे तंग किये गये, पुलिस द्वारा ही नहीं लेकिन हमारे आज के रॉयल फेमिली के कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्त्ता भी हैं, वहां उन्होंने भी उनको तंग किया। कहा कि तुम चोरी से इस तरह क्यों ऊंट छुड़ा कर लाये और कितने रुपये तुमने दिये और दिये तो क्यों दिये, ऊंट चला जाता तो क्या होता? उनको इस तरह बीसों तरह की दिक्कतें हुईं। वे तो रॉयल फेमिली की वजह से हुईं जो लाजिमी थीं, आज इसी तरह की बीसों तरह की दिक्कतें हैं। सभी चारों ओर से लूट रहे हैं। इसलिये इन सब बातों को देखते हुए मैं जानना चाहूंगा कि किस कोने में, राजस्थान के किस हिस्से में यह सुव्यवस्था है जिसका जिक्र श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में है। हां, जयपुर शहर की बात फरमाते तो शंका नहीं होती पर यह कहना कि राजस्थान में चोरी और डाके नहीं रहे, इसमें मुझे ताज्जुब होता है।

अभी करीब डेढ़ साल पहले राजगढ की एक मिसाल है। राजगढ़ स्टेशन पर तीन गाडियां खडी थीं और एक आदमी हजारों आदमियों के बीच में इत्मिनान से एक आदमी को मार गया। ६ गोली, एक दो नहीं, नौ गोलियां लगाई गईं। एम्प्टी कार्ट्रिजेज के शेल मौजूद थे। लोग चाहते

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

थे कि सरकार की इस मामले में मदद की जावे, पर फिर सोचा क्यों कोशिश की जावे। सरकार मदद देने वालों को ही तंग करेगी। यह सोचकर लोग चुप रहे। आखिर हुआ क्या ? एक गरीब राजपूत मारा गया। राजपूत तो मारे जाने को ही होते हैं, और कौम का मारा जाता तो सरकार कोशिश भी करती शायद। तो यह आपकी कानून और व्यवस्था की प्रगति मेरे तो समझ में नहीं आई। इसके अलावा अभी राजगढ़ के एक अग्रवाल का बच्चा......

श्री कपिलदेव अग्रवाल : अग्रवाल का बच्चा ? (हंसी)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आपका नहीं था, आप चिन्ता न करें। आपको ताज्जुब हुआ। अगर उनका राजगढ़ में बच्चा होता तो ताज्जुब होता, पर में जानता हूं राजगढ़ आपसे बहुत दूर है। तो मैं कह रहा था कि एक अग्रवाल का बच्चा और वहां से उड़ाया गया।

श्री सभापति—No Communalism.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—कई महीने बाद में डाकुओं को रेन्सम (ransom) देकर, जो कि करीब तीस या चालीस-पचास हजार के करीब होगा, उसके रिश्तेदार उसे छुड़ाकर लाये। लेकिन सरकार ऐसे मामलों में, जो दिन दोपहर होते रहते हैं, क्या करती है ? मैं इन बातों के लिए माननीय गृहमन्त्री से निवेदन करूँ कि लोगों का खयाल है कि अगर सरकार कोशिश करें इसमें तो उनको दूर भी नहीं जाना पड़े, इन लोगों का पता लगाने में। पर इसमें कोशिश करने की आवश्यकता है और आसानी से मामले साफ भी हो सकते हैं। पर इसमें दिक्कतें आती हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है, पर इससे फिर सुव्यवस्था भी तो होती है। अगर यह सुव्यवस्था हो जावे तो फिर राजस्थान राजस्थान ही क्या ? इसका नाम ही राजस्थान क्यों रहे ? फिर तो इसका नाम ही बदलना पड़ेगा। इसलिए सुव्यवस्था के लिए श्रीमन् राजप्रमुख ने जो फरमाया है वह एक बिलकुल नई और अजीब सी चीज है। इसको कह कर अब मैं आगे चलता हूँ।

अब नेशनल एक्सटेन्शन ब्लॉक और पंचवर्षीय योजना के लिए फरमाया कि तरक्की हो रही है; तो मैं राजस्थान के डेवलपमेन्ट मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ। अब राजस्थान में मिनिस्ट्रियाँ भी इतनी ज्यादा और इतनी जल्दी जल्दी चेन्ज होती हैं और पोर्टफोलियो भी इतने अधिक चेन्ज होते हैं कि यह मालूम करना मुश्किल हो जाता है कि किसके पास यह पोर्टफोलियो है। पर फिर भी जो भी मिनिस्टर हों, मेरा निवेदन उनसे यह करना है कि वह कृपा करके यह बतावें कि आखिरकार बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ने राजस्थान में सम्मिलित होकर ऐसा कौनसा गुनाह किया है कि किसी स्कीम में उसके लिए स्थान ही नहीं मिलता। न तो वहां कोई नेशनल एक्सटेन्शन ब्लॉक ही है और न कोई ऐसी बड़ी योजना ही है जो उसे दी जाती हो और यह भी सुनने में आया है कि जिस इलाके में नेशनल ब्लॉक या दूसरे कार्य नहीं खोले जावेंगे उनको दूसरे दूसरे उपायों से रुपया दिया जाता है।

मेरे एक जगह देखने में आया। हमारा पड़ौसी नागोर ज़िला है। वहां पर भी इसी तरह पंचवर्षीय योजना के अण्डर में नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस ब्लॉक्स खोले गये और डेवलपमेन्ट स्कीम में भी लाखों रुपया दिया गया, पानी के नाम से। बेशक उनमें ताकत है। वहां के जो प्रति–

[कु॰ श्री जसवन्तसिंह]

निधि हैं वे सब कुछ गवर्नमेंट से करवा सकते हैं। पर हम कांग्रेस में नहीं हैं, या वहां ऊपर तक पहुंचना मुश्किल है पर आखिर हमारी पहुंच नहीं होने या हमारे कांग्रेसी नहीं होने से इसका खमियाजा हमें भुगतने दीजिये; वहां की जनता को इसका नुकसान आप क्यों होने देते हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि उस बिचारी जनता ने, उस गरीब इलाके ने क्या गुनाह किया है। यह पंचवर्षीय योजना का आखिरी साल खतम हो रहा है और आज तक एक पैसा किसी नाम पर बीकानेर डिस्ट्रिक्ट को नहीं दिया गया है। तो अगर तरक्की के माने यही हैं कि जयपुर में काफी ब्लॉक्स खोल दिये जावें, उदयपुर में खोल दिये जावें, और इससे राजस्थान में सब तरक्की हो गई। अगर इसके माने यह हैं तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, पर राजप्रमुख के कहने का मतलब और जैसा कि कॉमनसेन्स से मतलब लगाया जाता है, उन्नति का कोई है तो सब जगह उन्नति के काम हों, राजस्थान के हर कोने में हों। ऐसी स्थिति में मैं माननीय मित्रों से जो आज सरकार में हैं यह निवेदन करूँगा और यह जानना चाहूँगा कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के लिए इस तरह का सौतेला व्यवहार करने का कारण क्या है ? अगर यह कारण हो कि वहां से आने वाले तीनों प्रतिनिधि कांग्रेसी नहीं हैं तो हम वहां की गरीब जनता के हित में यही चाहेंगे कि आइन्दा आने वाले वहां से सभी प्रतिनिधि कॉंग्रेसी हों। हम कांग्रेसमैन के सिवाय किसी को खड़ा ही नहीं होने देंगे। (हियर-हियर)पर जनता को तो आराम मिलना चाहिये। अगर आपका यह मतलब नहीं तो फिर बीकानेर को हर उन्नति के काम से महरूम करने का क्या कारण है ?

श्री कपिलदेव—सीकर-भुंभुनूं का भी नाम बोल देना साहब।

कु. श्री जसवन्तसिंह (जारी)—अब मुझे भाखरा डेम के मुतल्लिक भी दो-चार शब्द कहने हैं। बेशक यह बड़ी योजना है और बहुत सराहनीय है और इसमें कोई शक नहीं कि इससे सारे राजस्थान को बहुत बड़ा फायदा पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से भाखरा डेम पर बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है उसके मुतल्लिक मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें कुछ और अधिक दिलचस्पी सरकार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता है।

हम लोगों का कुछ प्रेक्टिकल एक्सपीरिएन्स है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इतने बड़े काम पर आप किफायत के लिए चीफ इंजीनियर नहीं रख रहे हैं। अगर वह वहां पर काम करेगा तो जनता को ज्यादा फायदा होगा। अगर योग्य व्यक्ति वहां पर काम नहीं करेगा तो न तो जनता को फायदा होगा और न सरकार को ही फायदा होगा। इतने बड़े काम के लिये कम से कम चीफ इंजीनियर के स्टेटस का आदमी वहां पर नहीं रहेगा और एग्ज़िक्युटिव इंजीनियर ही रखेंगे तो जितना उस व्यक्ति का माद्दा होगा उतना ही वह काम करेगा और उतना ही काम होगा। अगर यहाँ पर इतने छोटे ऑफिसर नहीं रखे गये होते और योग्य व्यक्ति रखे जाते तो यह काम आधी कीमत में और कितने ही समय पहले हो सकता था, एक साल पहले, हमारे यहां हनुमानगढ़ में एग्जिक्यूटिव इंजीनियर हैं वे हनुमानगढ में नहीं रहते क्यों कि उनके लिये वहां पर अच्छा बंगला नहीं। उनको तनख्वाह तो ६००) या ७०० रुपये ही मिलते होंगे, लेकिन फिर भी वहां पर उनके रहने के लिये अच्छा बंगला नहीं था, क्लब व बाग लगे नहीं थे और न सोसाइटी थी। इसलिये उनको गंगानगर रहना आवश्यक था और वहां से वह काम देखने के लिये सरकारी गाड़ी पर हनुमानगढ सुबह आते और शाम को काम देख कर वापिस गंगानगर

[कु ० श्री जसवन्तसिंह]

जाना उनके लिए जरूरी हो गया था। मैं, माननीय चेयरमेंन, आपसे यह अर्ज करूं कि गंगानगर की नहर उसके पास हैं, वहां पर हरियाली और दरखत तो दूर रहे वहां पर देखने को टहनी नहीं मिलती थी और वहां पर ११८ डि० और १२० डि० धूप और पानी की समस्या भी कठिन। वहां पर अंग्रेज अफसर जो ५,००० रूपये वेतन पाने वाले मि० ग्लास और मि० अटकिन तम्बुओं में रहते थे और गर्मी में रहते थे। जब कोई बीकानेर नरेश से कहते तो वे कहते कि वे बीकानेर जनता का नमक खाते हैं। उस समय की यह भावना थी और यहां पर यह भावना है कि उनके बंगले में बाग नहीं, वहां पर सेनिट्री फिटिंग नहीं, क्लब नहीं, सोसाइटी नहीं इसलिये गंगानगर जाना पड़ता है। अगर इस शिथिलता से काम चलावेंगे तो काम तो चलेगा क्यों कि रूपयों की कमी नहीं है। हमारे पास प्रिंटिंग मशीन है, नोट छापते रहेंगें। सेन्ट्रल गवर्नमेंट राजस्थान सरकार को इस योजना के लिये रूपये दे रही है और ये नोट सरकार द्वारा प्रिंटिंग प्रेस से छपते हैं और खर्च किये जाते हैं। अगर राजस्थान सरकार खुद खर्च करती और इस बेरहमी से खर्च होते तो पता लगता। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पर एक सीनियर ऑफिसर की नियुक्ति की जावे जो फालतू खर्च को रोके और काम को अच्छी तरह से देख सके। मुमकिन है उसको तीन-चार हजार रूपया भी सरकार को देना पड़े। अगर ऐसा सरकार करेगी तो मैं समझता हूं कि वह करोड़ों रूपयों की बचत दूसरे कामों में कर सकेगी।

अब मैं सिंदरी फैक्ट्री और जिप्सम के मुतल्लिक कुछ कहना चाहता हूं। हमारे श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में फरमाया कि रसायनिक खाद की एक फेक्ट्री राजस्थान में चालू करने की मांग हमने भारत सरकार के सामने रखी है और हम अपनी इस मांग को बहुत उचित और राजस्थान के लिये जरूरी मानते हैं। मुझे इस तरह की चीज देख कर और भाषण सुनकर अचम्भा आता है अगर सिंदरी जैसी फैक्ट्री राजस्थान में खुल जावे तो कितनी बड़ी बात है, कितने ही आदमियों के लिये एम्पलोयमेंट खुल जाते हैं और इसके खुलने से हजारों आदमियों को नौकरी मिल जाती है। लेकिन इसी तरह की एक पासिंग डिमान्ड ४ साल पहले हमने भारत सरकार से आबू के लिये की थी, जिसको जबर-दस्ती बंबई सरकार ने ले लिया। हमने क्या किया ? सिवाय इसके कि एक दरख्वास्त भारत सरकार को इसके लिये दे दी और यह कहते हैं कि हमने अपना कर्त्तव्य पूरा कर दिया। हमने इसके लिये क्या पब्लिसिटी की ? सरकार इसके लिए काफी रूपया लगाती है मगर इसके लिये इस काम के लिये क्या पब्लिसिटी की ? क्या कहना सुनना किया ? सिर्फ श्रीमन् राजप्रमुख से कहला दिया और सेन्टर को चिट्ठी डाल दी और जेबों में हाथ डाल कर चीफ मिनिस्टर और सदन के सदस्य बैठ गये कि हमारी मांग पूरी हो गई, यह उचित नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि पंजाब वाले कितना शोर गुल करते हैं कि हमारे यहां फैक्ट्रीज़ खुलनी चाहिये। इधर हम चुपचाप बैठे हैं कि हमने सेन्ट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख दी है। केन्द्रीय सरकार न्याय करेगी। वह जरूर न्याय करेगी लेकिन जो ज्यादा प्रोपेगेन्डा करेगा उसकी मांग पहले मंजूर होगी। इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर से निवेदन करूंगा, इतना कह कर कि हमने सरकार को चिट्ठी लिख दी, सरकार न्याय करेगी, हमें संतोष नहीं हो जाना चाहिये और आगे कदम उठाना चाहिये। इसके लिये हिन्दुस्तान में कोई ऐसी जगह राजस्थान के सिवाय नहीं जहां इतनी सुविधा मिले और यहां का क्षेत्र इतना स्ट्रांग है जितना दूसरी जगह का नहीं। अगर राजस्थान में फेक्ट्री कायम करना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा।

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

माननीय चेअरमेंन, अब आखिरी विषय, पंचायत के चुनाव के विषय में श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में जो कहा है उसके विषय में कहना चाहता हूं। कई जगहों पर पंचायत के चुनाव भी हो चुके हैं। मेरे ऐसा सुनने में आया है कि पिछले दो दिनों में बहुत कुछ कहा जा चुका है और इतना ज्यादा कहा जा चुका है कि मुझे अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मुझे यह मालूम नहीं कि क्या क्या कहा गया। लेकिन अपने अनुभव से मैंने इन पंचायतों के चुनाव के मुतल्लिक जो कुछ देखा और सुना उनको थोडे शब्दों में कहना चाहता हूं।

यह तो मैं कहता हूं और यह तो मानना पड़ता है कि जो पार्टी ताकत में होगी वह अपनी पार्टी के सदस्यों को अधिकतर लाने की कोशिश करेगी। इसको कोई दोष नहीं दे सकते और न देना चाहिये। लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि किस तरह लाना चाहिये, उचित या अनुचित रूप से, न्याय या अन्याय से, यह एक बात सोचने की है। मैं यह समझता हूं कि अन्याय के तरीकों को कोई कुबूल नहीं करेगा। मैं अपने तजुर्बे से और जो देखा है और सुना है उसके आधार पर यह कह सकता हूं कि पंचायतों के चुनाव जो हुए हैं न्यायोचित नहीं हुए हैं और न हो रहे हैं। अनुचित धांधलियें होती है उसके लिये हमें जरूर दुख होता है। बेशक कांग्रेस के साथी और भाई जितनी ज्यादा तादाद में आ सकें आवें क्यों कि यह तो आम चुनाव है, इसमें हर एक आदमी को हक है कि वह खड़ा होकर आवे लेकिन कुछ ऐसा देखने में आया है कि चुनाव में जीतता कोई है वोटों के द्वारा और नाम प्रकाशन किसी और का होता है। जहां पर इलेक्शन के लिये सब लोग इकट्ठे हो गये और देखा कि एक अमुक ग्रुप का प्रतिनिधि हारेगा उस समय इलेक्शन ऑफिसर को हुक्म हो जाता है कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दो। मैं इसके लिये कॉन्क्रीट एग्जॉम्पल दूँगा। यह नहीं कि मैंने दूर से सुना हो। जयपुर के पास में ही एक अजैराजपुरा में चुनाव हुए जनवरी में। वहां इलेक्शन ऑफिसर एक लोअर, मिडिल स्कूल के मास्टर को बना दिया।

और अब चुनावों के लिए बड़े बड़े गांवों को छोड़ कर छोटे छोटे गांवों को केन्द्र बनाया गया, वह किस बेसिस पर, किस बुनियाद पर उनको केन्द्र बनाया गया? अजैराजपुरा के मुकाबले में बहुत बड़े बड़े गांव हैं और उन गांवों के लोगों को चुनाव के लिए अजयराजपुरा बुलाया गया। हजारों आदमी इक्ट्ठे हुए वहां वोट देने के लिए। मालूम हुआ कि अमुक सम्प्रदाय के प्रतिनिधि नहीं चुने जावेंगे तो लोअर मिडिल स्कूल के मास्टर, जिसका कि स्टेटस ही क्या चुनाव कराने के लिए, को धमकाया गया। शोर-गुल होने लगा। उसने डर के मारे नोटिस लगवा दिया कि आज का इलेक्शन पोस्टपोन। दूसरी पार्टी ने कहा कि पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो वह डर गया। कहा कि इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होगा। कांग्रेस के भाई पहुँचे, वे इश्तिहार हटा कर कहने लगे कि आज इलेक्शन करवायेंगे तो आपकी नौकरी भी जायगी और जेल भी जाएंगे। वह डर गया। फिर दूसरी तारीख रख दी। वहां पर हजारों आदमी थे जो पैदल, घोड़ों और ऊंटों से आये थे। दूसरे दिन भी यही हालत थी। मास्टर साहब को दूसरे दिन गायब करवा दिया गया तो चुनाव कराने वाला ही उपस्थित नहीं था। तो मैं अर्ज़ करूं कि हर एक संस्था को, चाहे कांग्रेस के साथी ही भेजना चाहें और उससे देश का हित होता हो तो ठीक है; लेकिन न्यायोचित बातें हों और हर एक को मौका मिले तो ऐसी बातें इलेक्शन्स में नहीं होनी चाहिए।

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

लूणकरणसर तहसील में कुम्भाना नाम का ठिकाना है, गांव समझिये। वहां पर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद में एक अमुक वर्ग का प्रतिनिधि हार गया और एक दूसरा आ गया जो कॉंग्रेस-मैन नहीं था और वह ऐसे वर्ग का था जो नहीं आना चाहिये था। तो वह जीत गया। अब बीकानेर से कॉंग्रेस के नेता लोग पहुँचे, दूसरे भी पहुँचे और कहने लगे कि दुबारा इलेक्शन करवायेंगे। मेरे पास लोग पहुँचे कि आप वहां से चुन कर गये हैं, कोशिश करें। इलेक्शन तो हो गया, दुबारा कराने की धमकी दी जा रही है। मैंने उनको कहा कि रॉयल फेमिली के साथ टक्कर लेना आसान बात नहीं है। लेने से भी क्या होगा? (हंसी)

श्री जवानसिंह—कौनसी रॉयल फेमिली?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—जिनको अधिकार प्राप्त हैं।

निराश होकर वे चले गये। चूरू में सम्बन्धित जागीरदार भाई हैं। वे पंचायतों के किस्से सुनाते हैं। सुन सुन कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह क्या डेमोक्रेसी हमारे भारतवर्ष में आयी है। जिस डेमोक्रेसी के लिए कांग्रेस और दूसरों ने त्याग किया, महात्मा गांधी को गोली का शिकार होना पड़ा और पंडित नेहरू जो कांग्रेस के पीछे दिन-रात चक्कर लगाते फिर रहे हैं, वह कांग्रेस संस्था किधर जा रही है। कांग्रेस जाओ तो जाओ वह एक पौलिटिकल पार्टी के रूप में खड़ी होगी लेकिन हमारा देश किधर जा रहा है। चौबेजी छब्बेजी बनने गये लेकिन देखने में आ रहा है कि कहीं दुब्बेजी न रह जायं। इस तरह की बुनियादी शिक्षा देने के लिए जो संस्थायें खड़ी की गई हैं उनमें यह हाल है तो हायर पॉलिटिकल इन्स्टीच्युशन्स का तो क्या कहना? म्युनिसिपेलिटी, असेम्बली, पार्लियामेन्ट के इलेक्शन्स होंगे उनमें पार्टी इन पॉवर होगी तो वह किसी तरह से दूसरों को इलेक्शन में नहीं आने देगी। अगर यही डेमोक्रेसी का नमूना हमने अख्तियार किया है तो मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि भारतवर्ष में यह डेमोक्रेसी कितने दिन चलेगी और कहीं सिविल वार न हो जाय। यह सोचने की बात है। हमारी जो रूलिंग पार्टी है, यदि न्याय के साथ इलेक्शन करे तो हमें कोई एतराज नहीं है और बड़ी खुशी के साथ हम भी अपनी ताकत लगावेंगे और दूसरे भी लगावेंगे। यह हमारी पंचायतों के सम्बन्ध में श्रीमन् राजप्रमुख ने जिक्र किया उसके सम्बन्ध में मैंने अर्ज़ किया कि यह किस तरह से हुआ। मदद करते हैं, ठीक है, हमारे मंत्रीगण के लिए कुछ कहना नहीं चाहिये। हमारे कांग्रेस के पेपर्स हैं, पत्र हैं, अख़बार हैं, उनकी पार्टी के जो हैं उन्हें पढ़ें, इलेक्शन में जाकर वे खुद दबाव डालते हैं लोगों पर, उनके लिए मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के ही पेपर्स चुनावों के बारे में जो लिखते हैं उनको देख लिया जाय तो साबित हो जायगा कि किस तरह चुनाव लड़े गये।

मुझे रुरल वाटर सप्लाई बोर्ड के सम्बन्ध में दो चार शब्द कहने हैं। उसके लिए मेरा इलाका, दुर्भाग्य से ऐसा इलाका है, जहां न्यायोचित रूप से रूरल वाटर सप्लाई हो। काम करें तो बहुत हद तक जनता को लाभ पहुँच सकता है और जिस प्रकार सरकार रुपया इस काम के लिए दे रही है वह बहुत काफी है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि रुपया देने में संकुचित दिल रखा गया है, बहुत काफी रुपया दिया गया है। लेकिन किस प्रकार रुरल वाटर सप्लाई बोर्ड काम करेगा, यह देखने की बात है।

[कुँ० श्री जसवन्त सिंह]

अगर उसी उद्देश्य से कि येन केन प्रकारेण अगला इलेक्शन जीतना है और रुपया उन्हीं लोगों को देना है जो उन्हीं की पार्टी को वोट देंगे तो पंचायतों का जो सवाल है वह यहां भी बन जाता है। लेकिन मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि जो तजुर्बा हमें अभी रहा है, उसके माफिक जो इन्डिपेन्डेन्ट व्यूज रखने वाले गांव हैं, समूह हैं, व्यक्ति हैं और जो कांग्रेस के साथ इत्तिफाक नहीं करते हैं, उस बोर्ड द्वारा उनको लाभ पहुँचना असंभव सा लगता है। मैं यह तजुर्बे के आधार पर ही कह रहा हूं। यह रुरल वाटर सप्लाई बोर्ड अभी कायम हुआ है। लेकिन गत तीन—चार महीने से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता चक्कर लगा रहे हैं, उस इलाके में जिस इलाके से मैं आया हूं, जहां पानी की बहुत दिक्कतें हैं और वे कह रहे हैं कि कितना रुपया चाहिए? मैं असेम्बली का सदस्य हूं और भाग्य से अथवा दुर्भाग्य से ऑपोजिशन का लीडर भी इलेक्ट किया जा चुका, मंत्री-मन्डल का एक सदस्य भी रह चुका हूं रुरल बोर्ड के रूल्स, कायदे—कानून फार्म छपे हैं, ऐप्लीकेशन्स टी हैं, मेरे देखने में नहीं आयीं, वे गांवों में काफी तादाद में बांटी जा रही हैं और उनको बांटी जा रही हैं जो उनके मत के हों। और कहा जाता है कि कितना रुपया चाहिए, हमारे पास आओ, हमारे कार्यकर्ताओं के पास पहुंचना और गवर्नमेंट का उनको रुपया देना, उसमें भ्रष्टाचार हुए बगैर नहीं रह सकता। क्या सरकार के पास अधिकारी नहीं हैं कि काम करें? केवल एक ही पॉलिटिकल आर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता हों, और दूसरे कार्यकर्ता न हों। तो मैं आपको कहूं कि सुनने में यह बात आयी है कि इस गांव को पांच हजार रुपये बांटने हैं, और अगर आप जांच करना चाहें तो मैं उस गांव का नाम सुना सकता हूं, उसका नाम है घडियाला; वहां २५ परसेन्ट के सौदे हो गये हैं, नेताओं द्वारा कि इस कुए के लिए ६ हजार रुपये देंगे। अगर गलत हो तो यह बात जांच करने से मालूम होगी। यह सुनने में आया है। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह आंख से देखी है। उस डिस्ट्रिक्ट में पांच छः कार्यकर्ताओं ने ठेका ले लिया है। मैं नहीं कह सकता कि कितने, ७—८ लाख रुपये खेरात के रूप में बांटे जावेंगे और एक अमुक समूह को बांटे जावेंगे और डिस्ट्रिक्ट को जरूरत होगी, नहीं दिये जावेंगे, यह मैं कहने के लिए तैयार हूं। लेकिन खुले आम सौदे हो रहे हैं।

अगले इलेक्शन के लिये वे वादा करें कि वे अपना वोट कांग्रेस को ही देंगे, केवल कांग्रेस को नहीं बल्कि एक पर्टिक्युलर ग्रूप के व्यक्ति को देंगे, तो उसी गांव को इतना रुपया दिया जायगा। रूरल वाटर सप्लाई बोर्ड को किस आधार पर चलाया जायगा, इसमें सरकार की क्या पॉलिसी है; इसके क्या क्या नियम हैं; इसकी जानकारी अभी तक मुझे प्राप्त नहीं है, लेकिन इतना जरूर सुना है कि रूरल वाटर सप्लाई बोर्ड बन जरूर गया है। उसके क्या क्या रूल्स हैं, उसमें किस किस को शामिल किया गया है, यह मालूम नहीं है। जहां तक सुनने में आया है उस डिस्ट्रिक्ट में केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा किसी को नहीं लिया गया है। मैं भी वहां का एक एम०एल०ए० हूँ, मुझे यदि उसमें लिया जाता तो मुझे भी इत्तला मिलती। आगे अब देखना है कि हमारे यहां यह रूरल वाटर सप्लाई बोर्ड कुछ काम करता है या नहीं।

कस्टम ड्यूटी आदि दूसरी बातों पर ज्यादा न कह कर मैं सिर्फ एक बात और कहकर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। कल मैं सदन में उपस्थित नहीं था। कुछ ऐसी स्थिति थी जिस पर मेरा

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

काबू नहीं था। कल एक माननीय सदस्य ने यहां यह फरमाया कि जो अधिकारी-गण हैं, टाई, कॉलर पहनते हैं उनके प्रति देश की वफादारी के लिए शंका प्रगट की गई थी कि वे भारत की उन्नति के लिये कितना काम कर सकते हैं, किस दिलचस्पी से कर सकते हैं, उनको काम दिखाने की आवश्यकता है. उनकी लॉयल्टी के बारे में भी शंका प्रगट की गई थी। मैं भी टाई और कॉलर पहिनता हूं। इसमें मैं अपना सौभाग्य समझता हूं, इसमें इज्जत समझता हूं और मेरा मानना है कि टाई कॉलर जो पहनते हैं वे भी पूरे देश-भक्त हैं। इसके लिये मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारे भारत के प्रधान-मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू जब कभी इन्टर नेशनल कॉन्फ्रेन्सेज में भाग लेने जाते हैं तो उनको भी टाई और कॉलर पहनना पड़ता है। अगर वे ही धोती और गांधी टोपी पहन कर या वास्केट पहन कर इन्टर्नेशनल कॉन्फ्रेन्सेज में काम करें तो उसका क्या असर पड़ सकता है ? डेमोक्रेसी के मायने में हमने वेस्टर्न कन्ट्रीज़ से, अमरिका आदि से कुछ सीखा है लेकिन हमें अभी उनसे कैरेक्टर सीखने की बहुत आवश्यकता है। आज एक आदमी साधारण सी वेष भूषा, धोती कुर्ता पहिन कर दफ्तर में जाता है और दूसरा आदमी कोट और पेन्ट में कार्य करने जाता है तो मेरा खयाल है उसके कार्य में भी काफी फर्क रहेगा। यह कहना कि एक पर्टिकुलर वेश भूषा वाला आदमी देश का हित नहीं कर रहा है, यह बहुत जुल्म की बात है, उन अधिकारियों के साथ। जहां देश के हित की बात होगी वहां सबसे पहले हमारे देश के सर्वोत्तम नेता पण्डित जवाहरलाल नेहरू टाई और कॉलर पहिन कर ही उसमें भाग लेते हैं। जिस इन्टर नेशनल कान्फ्रेन्सेज़ में भारत का नाम ऊंचा करने के लिये भाग लेते हैं वहां उनको जेन्टलमेन की ड्रेस पहिननी पड़ती है। (करतल ध्वनि) आप उनकी तस्वीर उस पोशाक में देखिये। कितने स्मार्ट दिखाई पड़ते हैं टाई और कॉलर में; वे कितने पर्फेक्ट जंचते हैं। यह कहना कि टाई और कॉलर पहिनने वाले अधिकारी जो हैं वे देश के प्रति लॉयल नहीं हैं, यह गन्दी और फिजूल सी बात है।

श्री जवानसिंह—वे तो भावावेश में इस प्रकार कह गये...

कुं० श्री जसवन्तसिंह—(जारी रखते हुए) मैं इतना ही कह कर इधर बैठने वाले सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि राजप्रमुख ने इस बार हिन्दी में भाषण दिया है, जिसकी मांग यह दल बराबर करता रहा है उसके लिये तो उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिये।

(श्री सन्तोषसिंह और श्री कस्तूरचन्द दोनों के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति—श्री सन्तोषसिंह।

श्री रामकिशोर व्यास—आज तो केवल उत्तर देने के लिये समय रक्खा गया था ?

श्री सभापति—मुझे स्पीकर साहब नाम दे गये हैं, उन्हीं को बोलने के लिये इजाजत दे रहा हूं।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—माननीय चेयरमेन, राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में अपने प्रान्त की आर्थिक स्थिति को अच्छा बताया है। यह तो हम लोगों को तभी मालूम हो सकेगा जबकि असेम्बली के सामने बजट प्रस्तुत होगा। आज हम जब कभी प्रश्न करते हैं कि फलां-फलां जगह

[श्री सन्तोषसिंह]

स्कूल के लिये कमरा नहीं है, वहां यह इमारत बनवा दीजिये तो माननीय मंत्री महोदय यही जवाब देते हैं कि हमारे पास धन का अभाव है इसलिये हम यह काम नहीं कर सकते । फिर मैं नहीं समझ पाया हूं कि हमारी आर्थिक दशा में किस प्रकार से सुधार हुआ है ।

इसके बाद राजप्रमुख ने अपने भाषण में लॉ एन्ड ऑर्डर का जिक्र किया है । मैं इस पर ज्यादा न कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि जोधपुर शहर में इस समय जब कि फाल्गुन का महिना है इस महिने के अन्दर फाग वगैरह गाया जाता है तो हम क्या देखते हैं कि सोजती गेट के बाहर इसके लिये रोजाना लट्ठमलट्ठा होता है, झगड़ा होता है, उसके लिये पुलिस का कोई इन्तजाम नहीं है । दूसरी तरफ पुलिस के सिपाही भी सिविलियन ड्रेस पहन कर इस फाग में भाग लेते हैं, वे फाग गाते हुए वहां से पास हो जाते हैं । राजाओं के वक्त में कानून था और उनके लिये रास्ता निर्धारित था, उसी रास्ते से निकल सकते थे । अब हम को जब आजादी मिल गई तो फाग के गाने गाने की भी आजादी मिल गई, इस प्रकार के गन्दे गीतों के लिए कोई पाबन्दी नहीं है । इसकी व्यवस्था जरूर होनी चाहिये ।

अभी मुझे सूचना मिली है कि भीलवाड़ा में २६ जनवरी को एक जल्सा किया गया, उसमें काफी भीड़ इकठ्ठी हुई । उसमें कुछ हो–हल्ला हुआ । जहां भीड़ जमा होती है वहां व्यवस्था में फर्क हो ही जाता है, उस हालत में पुलिस के लोगों ने बहुत से आदमियों को मारा । उन्होंने शिकायतें कीं, किन्तु आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई । यह हालत है हमारे लॉ एण्ड ऑर्डर की ।

श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में बन्दोबस्त होने का भी जिक्र किया । उन्होंने कहा कि बन्दोबस्त का काम करीब करीब पूरा हो गया है । मेरा तो यह खयाल है कि इस बन्दोबस्त ने सारे कसानों को तबाह कर दिया है । आज लगान की दर दो आना बीघा से ५ रुपया,६ रुपया तक हो गई है जिसको कि वे दे नहीं सकते । इस बन्दोबस्त के सिलसिले में किसानों की ऐसी हालत हो गई है कि बेचारे किसान गांवों से चलकर जोधपुर आते हैं, दरखास्त देने के लिए । जोधपुर में आने के बाद उनको फॉर्म मिलते हैं, फॉर्म से कमाई करने के लिए लोगों ने यह किया है कि फॉर्म छपवा भी लिये हैं । इस तरह से उनको गांव से आने जाने में १५), २०) रुपया तक खर्च हो जाता है । इस तरह से लाखों रुपया पब्लिक को सेटलमेंट के नाम से नुकसान पहुंचा है । जब मैंने सेटलमेंट ऑफिसर से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि हमने रेट्स मुकर्रर कर दी हैं, छठे बांटे के हिसाब से रेट मुकर्रर की है । इसमें ध्यान इस बात का नहीं रक्खा गया है कि खेती चार प्रकार की होती है । एक तो नहरों के पानी से खेती की जाती है वह सस्ती होती है और उसमें ज़्यादा सुविधा रहती है । एक खेती होती है जिसमें किसान सौ, डेड सौ फुट से पानी निकाल कर खेती करता है । जो लगान तय किया है उसमें सबको समान रेट्स मुकर्रर करदी हैं । न मालूम लगान तय करने की यह कहां की अक्लमन्दी है । एक आदमी नहर के पानी से खेती करता है और दूसरा सौ, डेढ सौ फुट नीचे से पानी निकालता है ।

तो इस तरह से रेन्ट लगाने में जो गलती की है उससे हजारों किसान तबाह हो गये हैं और इस गरज से उनको दरख्वास्त देने के लिए आना पड़ता है । कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ कि किसी का नम्बर किसी को दे दिया और किसी का किसी को । इसका भी कोई खुलासा सरकार ने नहीं किया ।

[श्री सन्तोषसिंह]

इसके बाद में यह बताया गया कि भूमि–सुधार के लिए सरकार ने यह किया है कि भूमि–हीन किसानों को जमीन दे दी जावेगी। इस सिलसिले में एक सीलिंग कमेटी भी सरकार ने मुकर्रर की है। उस सीलिंग कमेटी के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तारीख १२ को मुझे जोधपुर में सूचना मिली की सीलिंग कमेटी बिलाड़ा में आने वाली है। मैं १२ तारीख को बिलाड़ा गया, जहां तहसील में मालूम हुआ कि सीलिंग कमेटी आज यहां नहीं आवेगी। मैं वापिस जोधपुर गया। जोधपुर में फिर पता लगा कि १४ को मीटिंग होगी और वह सर्किट हाउस में होगी। पर वहां भी मीटिंग नहीं हुई। फिर बाद में मालूम हुआ कि महकमा खास में हो रही है। वहां पहुँचा। वहां काफी पूछताछ वे लोग कर चुके थे। उनके बड़े बड़े सवाल यह थे कि सीलिंग होना चाहिये या नहीं। और अगर होना चाहिये तो एक किसान को कितने बीघा देनी चाहिये और उसकी आमदनी कितनी होनी चाहिये और खर्चा कितना कटना चाहिये। यह सारी पूछताछ की। बहुतों ने इसका जवाब दिया। मुझे भी पूछा कि आप भी बयान दीजिये। मैंने कहा कि यह मारवाड़ का इलाका बरसात पर निर्भर रहने वाला है। यहां की जमीन का करीब करीब थ्री फोर्थ हिस्सा रेगिस्तानी है, ऐसी स्थिति में यहां पर सीलिंग अगर आप लागू करेंगे तो ठीक नहीं होगा।

(समय –समाप्ति– सूचक घंटी).

इसका एक कारण यह भी है कि हर दूसरे साल यहां काल पड़ता रहता है। तो ऐसी हालत में यह सीलिंग हमारे यहां कामयाब नहीं हो सकता। फिर उन्होंने पूछा कि ज्यादा से ज्यादा जमीन कितनी होनी चाहिये। इस पर मैंने कहा कि हमारे यहां सीलिंग के तौर पर किसी किसान की कटौती आप न करें। यहां यह कटौती तो भगवान अपने आप कर देता है। आपका सीलिंग तो आवेगा तब आवेगा, भगवान के घर का सीलिंग तो हमारे यहां चला आ रहा है। इसमें मेरे अपने खुद का दृष्टान्त आप ले लीजिये। मेरे दादा के पास ४८० बीघा जमीन थी। वे दो भाई थे। दोनों में बंटवारा हुआ तो २४० बीघा एक के पास रह गई। मेरे दादा जी के तीन लड़के थे। तो इनमें यह जमीन बंट गई और एक के पास ८० बीघा ही रह गई। मेरे पिता के पास इस तरह से ८० बीघा आई। हम पांच भाई हुए और इस तरह हम पांच में वह ८० बीघा बंट जाने पर सोलह–सोलह बीघा आई और हमारे भी दो तीन बच्चे हैं तो उनको पांच पांच बीघा हिस्से में आवेगी। तो इस तरह पांच सौ बीघा जमीन बंटते–बंटते पांच बीघा रह गई। तो यह सीलिंग तो भगवान स्वयं कर देता है, तो फिर आप इस मुसीबत में क्यों पड़ते हैं और अगर आपको किसी को काम में लगाना है तो मिसाल मशहूर है (अश्रव्य) पुण्य का लेखा करते हैं।

(समय –समाप्ति–सूचक घंटी)

तो बेकारी को अगर खतम करने के लिए आप जमीन उनके बीच में बांटना चाहते हैं तो इसके और दूसरे बहुत से इलाज हैं और बहुत से दूसरे काम हैं।

(पुनः लम्बी समय –समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री सभापति—श्री जगतसिंह झाला।

श्री जगत सिंह झाला—माननीय चैयरमैन, तीन दिन से राजप्रमुख के भाषण

[श्री जगतसिंह झाला]

पर बहस हो रही है। मैं उन मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिन पर श्री राजप्रमुख ने कुछ भी नहीं फरमाया और वे राजस्थान की मुख्य समस्याओं में से हैं।

राजप्रमुख ने अपने भाषण में आज कल राजस्थान में बढ़ते हुए मिशनरीज़ पर कुछ नहीं फरमाया। ये विदेशी मिशनरी दिन दूने बढ़ रहे हैं। ये मिशनरीज़ अपने धर्म का प्रचार ही गलत तरीकों से नहीं कर रहे हैं बल्कि दूसरों के धर्म में भी हस्तक्षेप करते हैं और धर्म–परिवर्तन में भी दखलन्दाजी करते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर डिविज़न में भीलों की आबादी है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और उदयपुर के कुछ भाग इसमें सम्मिलित हैं और कोटा की तरफ भी सुकेत और रामगंज मण्डी का हिस्सा है, जहां ये मिशनरी उग्र रुप से अपना यह प्रचार कर रहे हैं। इसमें राजनीतिक पुट भी उनका लगा रहता है। इसलिए मैं, माननीय चेयरमैन महोदय, आपकी मार्फत इस सदन को आगाह कर देना चाहता हूं कि अगर इन मिशनरियों की बढ़ती हुई अवान्छनीय हरकतों को समय रहते नहीं रोका गया तो आगे जाकर यह आपके लिए एक बड़ा सिरर्दद बन जावेगा। मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में और अन्य प्रान्तों में भी इन पर अंकुश रखने के लिए कमेटियां बनाई गई हैं, जो इनके बढ़ते हुए इस अवान्छनीय प्रचार को रोकने के लिए सर्वे कर रहे हैं और देख रहे हैं इनकी इन हरकतों को नजदीक से। मैं यह बात आप से और कह देना चाहता हूं कि हमारी यह राजस्थान सरकार इन मिशनरियों को न केवल प्रोत्साहन ही दे रही है बल्कि जो दूध वगैरह के डिब्बे अमेरिका वगैरह बाहर के देशों से यहां ये लोग मंगाते हैं उनको इन मिशनरियों के द्वारा ही बंटवा रही है। जिनका ये बड़ा नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और इसके सहारे अपने हथकन्डों का जाल वे फैला रहे हैं। अगर सरकार चाहती है कि उनकी मदद का सही फायदा जनता को मिले तो वह इस तरह की चीजों का वितरण करना अपने हाथ में ले, अपने हेल्थ विभाग की ओर से उसका नियन्त्रण करे और सम्बन्धित विभाग का कन्ट्रोल रखे। पर अगर इनको इसी तरह की खुली छूट दे दी गई और इन पर कड़ाई से कोई ध्यान नहीं रक्खा गया तो मैं निश्चित रूप से आपको कह देना चाहता हूं कि एक दिन ये इस राजस्थान की सरकार और यहां की जनता के लिए एक समस्या बन जावेंगे।

दूसरी बात, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और जिस पर भी कोई श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में प्रकाश नहीं डाला गया, वह है राजस्थान में फैली हुई गोचर भूमि की भीषण-समस्या। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि गोचर-भूमि की समस्या उन प्रदेशों के अन्दर नहीं हो सकती जहां पर केवल रेतीले मैदान हैं। पर जहां जमीन गोचर-भूमि के लिए दी जानी थी वहां कुछ तो जागीरदारों ने अपने आप में बांट ली, किसी को दे दी और अधिकतर यह कांग्रेस सरकार नये कांग्रेसी जागीरदारों को बनाने के लिए कांग्रेसियों को दे रही है। इसलिये मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि जो ये बेचारे मूक-पशु बोल नहीं सकते उनकी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं। मैं निवेदन करूँगा कि राजप्रमुख ने जैसा अपने भाषण में जिक्र किया था कि हम भूमि-हीन किसानों को बसाने के लिए जमीन देते हैं पर जो मूक पशु हैं, बोल नहीं सकते उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते और जो समस्या उग्रतम बनती जा रही है, मैं समझता हूँ कि यह राजस्थान सरकार इसकी तरफ

[श्री जगतसिंह झाला]

भी ध्यान दे। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार कुछ ऐसी कमेटियें कायम करे, सभाएं बनावें, सोसायटी बनावे जिसमें इस प्रश्न पर लोग विचार करें और इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया जावें।

इसके बाद मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और मैं यह बात मान कर चलता हूँ कि इस प्रदेश में गौ-वध नहीं होता और इसका कारण यहां की पुरानी राज्य सरकारों के समय के बने कानून हैं! इसके लिए यहाँ ऑर्डिनेन्स भी है। लेकिन राजस्थान की गायें बाहर हजारों की तादाद में जाती हैं और वहां ले जा कर काटी जाती हैं, यह राजस्थान के लिए एक कलंक की बात नहीं है तो और क्या है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे यहां से निकासी पर रोक होने के बावजूद भी गायें काटी जावें और बाहर चराने के बहाने ले जाई जा कर काटी जावें तो सरकार को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिये। मैं आपका ध्यान आज के आये हुए इस एक पत्र (समाचार पत्र वीर अर्जुन,दिनाङ्क ३मार्च,५५ पेज२) की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ,श्रीमान् चेयरमैन महोदय। इसके चार शब्द मैं आपकी सेवा में पढ़ देना चाहता हूँ। २८ फरवरी की दिल्ली की खबर है कि गोहत्या-निरोध समिति के मन्त्री लाला हरदेव सहाय ने एक वक्तव्य द्वारा बताया है कि गत २५ फरवरी को सैकड़ों गायें जमुना के पुल से होकर पार उतरीं। ये गायें राजस्थान से हत्यार्थ उत्तर-प्रदेश ले जाई गई हैं। आपने आगे कहा कि इन गायों को अकाल का बहाना करके लाया गया है। आगे अन्त में जनता से अपील की है कि जिस मार्ग से गायों की निकासी होती है उसके पास की जनता इसे रोके। आपने राजस्थान सरकार से चराई व्यापार का लाइसेन्स न देने तथा निकासी को रोकने का भी अनुरोध किया।

तो माननीय चैयरमैन, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो गायें इस तरह से चराई के नाम से बाहर जाती हैं उन पर ध्यान रक्खें। मैं यह नहीं कहता कि गायें चराई के लिए बाहर न ले जाई जावें। यहां रात-दिन वर्षा कम होने के कारण ले जाना आवश्यक हो जाता है।

लेकिन उन गायों के लिए जो ले जाई जायं, उन गायों को फिर से वे लोग लायें, इसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार पर होती है। हम जानते हैं कि हमारी सरकार गायों को काटने की आज्ञा नहीं देती है लेकिन राजस्थान से गायें बाहर जाकर काटी जायं, यह कलंक की बात है।

दूसरी चीज यह है कि इस बात पर आप ध्यान करते हैं या नहीं करते हैं; लेकिन मेरा फर्ज होता है कि आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूँ।

पहले मैं सरकार की उन नीतियों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ जिनका उल्लेख राजप्रमुख के भाषण में है; वह बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। मैं आपका ध्यान उस तरफ की घटनाओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। राजस्थान सरकार की नीति से जाहिर होगा कि चित्तौड़ के अन्दर एक नहीं कई डाके पड़े हैं। चित्तौड़ के अन्दर आज नहीं सैकड़ों वर्षों के बाद ऐसी घटनाएँ हुई हैं। सैकड़ों वर्षों के बाद ऐसी घटनाएं होने के बावजूद भी राजस्थान सरकार का यह कहना है और राजप्रमुख के भाषण में

[श्री जगतसिंह झाला]

यह बात आई है कि सुधार हो रहे हैं, हम कैसे उन सुधारों को मानें, जब कि एक प्रकार का आतंक वहां फैला हुआ है। वहां उन्होंने अपनी एक स्कीम बनाकर डाके डाले। पहली घटना चित्तौड़ के करीब हुई है जिसके बाद में बढ़ते-बढ़ते कपासन के पास में हुई है। वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह मौजूद हैं। उसके बाद में चित्तौड़ के पास नगरी गांव में जो कि चित्तौड़ से एक मील दूर है जहां कि पुलिस का हैड क्वार्टर है,सु० पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर वगैरह हैं उसके पास दिन दहाड़े यह घटना हुई और राजस्थान सरकार ने इस बात का संकेत भी नहीं दिया। यह राजस्थान की व्यवस्था की क्या हालत होती जा रही है। मैं मानता हूँ कि दूसरी जगह मुमकिन हो वहां सुधार हुआ हो, लेकिन राजस्थान के एक ऐसे हिस्से के अन्दर जहां कि कोई घटनाएं नहीं हुई थी, वहां घटनाऐं बारबार होवें, क्या वह इस बात का संकेत नहीं दे रही हैं कि राजस्थान के हरेक हिस्से के अन्दर शान्ति और व्यवस्था नहीं है ?

अब मैं सिर्फ उन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिनके लिए राजस्थान सरकार की नीति बिल्कुल पक्षपातपूर्ण है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय जसवन्तसिंहजी ने फरमाया कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के साथ जिस प्रकार राजस्थान में सौतेली मां का व्यवहार किया जाता है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी कॉन्स्टिटुएन्सी बड़ी सादड़ी कपासन जो कि चित्तौड़ जिले में है उसके साथ भी सौतेली मां का व्यवहार किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल्कुल सही बात है। आपके उनके आंकड़े अच्छी तरह ध्यानपूर्वक देखें तो आपको साफ हो जायेगा कि सारे चित्तौड़ ज़िले में जहां कि कांग्रेस के एम. एल ए. हैं वहां हज़ारों रुपये का कार्य किया गया है, पक्षपात की दृष्टि से कार्य होता है। बड़ी सादड़ी में एक भी कार्य ऐसा नहीं है। सरकार का बराबर बर्ताव होना चाहिये, और मैं चीफ मिनिस्टर साहब को इस ओर विशेष रूप से संकेत करके निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी सादड़ी में एक भी तालाब की मरम्मत नहीं हुई है स्कूल बिल्डिंग के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया है बड़ी सादड़ी में जो हम चाहते हैं उनकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बड़ी सादड़ी एक टर्मीनस रेल्वे स्टेशन है। बड़ी सादड़ी को नीमच से मिलाने के लिए हमने अपनी मांग को दोहराया था। आपको विचार करना चाहिए था कि एक छोटे से एरिया को मिलाने के लिए हज़ारों लोगों को आराम और फायदा हो सकता है। अगर इस तरह की संकुचित दृष्टि से आप देखते रहेगें तो मैं निर्विवाद रूप से कह सकता हूं कि यह आपकी नीति पक्षपात्त पूर्ण है। (समय समाप्ति सूचक घंटी) कहने को तो बहुत सी बातें हैं लेकिन समय के अभाव में दूसरी बातें बजट के समय कहूंगा।

श्रीमन् राजप्रमुख ने अपना भाषण हिन्दी में फरमाया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन और बातों के लिए जिनका उल्लेख राजप्रमुख के भाषण में है उनके लिए धन्यवाद देने के लिए जो प्रस्वता रखा गया है उसके साथ मैं नहीं हूं, विरोध मैं हूं। बस इतना ही।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय अध्यक्ष, राजप्रमुख के भाषण के संबन्ध में जो चर्चा चल रही है उसके विषय में बहुत भाषण हो चुके हैं, परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जिनके कहने की आवश्यकता मैं समझता हूं।

राजप्रमुख ने जो शिक्षा के संबन्ध में कहा है वह बिल्कुल ठीक है। शिक्षा के लिये प्रतिवर्ष

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

बजट बढ़ता ही जाता है। दो करोड़ से ३ करोड़ ३५ लाख तक हो गया, और इस बात में काफी प्रगति हुई है। स्कूल खुले भी हैं परन्तु इस बात में एक चीज़ को भुला दिया गया है। इसमें संस्कृत-शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया है। यहां तक कहा जा सकता है कि राजस्थान में प्रजातंत्रीय गवर्नमेंट नियुक्त होने के बाद एक भी पाठशाला ऐसी नहीं खुली, संस्कृत की पाठशाला एक भी नहीं खुली। रियासत जयपुर थी तो कम से कम २० पाठशालाएँ यहां पर थीं। यह हालत उस समय थी। अत: यह उचित होता कि संस्कृत के लिये एक बजट बना दिया जाय कि इतनी पाठशालाएं अवश्य खुलें और इतना रुपया संस्कृत शिक्षा पर खर्च हो। अख़बारों में हम देखते हैं कि केन्द्र के बड़े बड़े मंत्री संस्कृत शिक्षा के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, जब कि श्री चिन्तामणि देशमुख, डा० कैलाशनाथ काटजू आदि केन्द्रीय मंत्री इसका प्रतिपादन कर रहे हैं, तो हमारी सरकार उदासीन क्यों है और प्रयत्नशील नहीं है। एक भी संस्कृत पाठशाला नहीं खोली है। गर्ल्स स्कूल में संस्कृत का अभ्यास का प्रबन्ध नहीं है। मिडिलस्कूल में उसका प्रबन्ध नहीं है। हमारे स्कूलों के लिए उनकी कोई वान्ट भी देखने में नहीं आती है कि संस्कृत का अध्यापक चाहिये, क्योंकि कारण स्पष्ट है कि केवल नाम के लिए हम दिखाना चाहते हैं कि संस्कृत भाषा की उन्नति कर रहे हैं। संस्कृत–शिक्षा हाईस्कूलों में अनिवार्य बना दी है लेकिन शिक्षा का प्रबन्ध कुछ भी नहीं है। न अध्यापक हैं और न कोई बात है। सरकार इस तरह संस्कृत भाषा की उपेक्षा करती रहेगी तो हिन्दी भाषा के लिये धन्यवाद देना उसका व्यर्थ हो जाता है क्योंकि संस्कृत हिन्दी भाषा का मूल है, हिन्दी भाषा की जननी संस्कृत है। जितने शब्द हम विधान में देख रहे हैं, जो कुछ शब्द नित्य नये ला रहे हैं, वह संस्कृत भाषा से ला रहे हैं। संस्कृत भाषा रत्नाकर है। अनेकों शब्द उससे ले रहे हैं। अगर संस्कृत भाषा को स्थान नहीं देंगे तो न व्याकरण का ज्ञान रहेगा और न शब्दों का रूप-परिमार्जन होगा। कहने की अधिक आवश्यकता नहीं है लेकिन हिन्दी भाषा को राष्ट्र भाषा बनाने के लिये संस्कृत ही काम आयेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर संस्कृत भाषा को नहीं पनपायें तो कम से कम संस्कृत की २० पाठशालाएं प्रांत में हर वर्ष नई खोलें और जितने स्कूल हों उसका दसवां हिस्सा संस्कृत पाठशालाएं हों।

दूसरी बात संस्कृत भाषा की उन्नति नहीं होने का कारण यह भी है कि मिडिल पास को जगह दे दी जाती है और संस्कृत की प्रथमा और प्रवेशिका पास विद्यार्थी जो कि इतिहास, संस्कृत और सब भाषाएं जानता है उसको (प्राथमिकता) नहीं दी जाती। संस्कृत भाषा को बढ़ाने के लिये उनका स्थान निश्चित कर दिया जाय। ५०० जहां टीचर्स लेने हों वहाँ ५० संस्कृत पास अवश्य लिये जायें। यदि ऐसा नियम बनेगा तो हमारी संस्कृत भाषा की उन्नति हो सकती है।

दूसरी बात यह है शिक्षा के सम्बन्ध में कि कई कॉलेज खुले हैं, कई हाई स्कूलें हो रही हैं। इसमें पार्टी का पक्षपात बरता जाता है। अजीतगढ़ में हाई स्कूल के लिए ३ साल से कह रहा हूं, लेकिन वहां हाई स्कूल नहीं होता है और उसके लिए जब जिक्र करता हूं तो उत्तर यह मिलता है कि ३ मील के अन्दर दूसरा हाई स्कूल नहीं हो सकता है, जब कि सिटीज़ में तीन मील तो क्या आधा मील में हो जाता है, एक रास्ते और दूसरे रास्ते में हो जाता है। यह क्या नियम है? यह छात्र–संख्या पर निर्भर होना चाहिये। छात्र–संख्या को देखते हुए अजीतगढ़ में हाई स्कूल

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

अवश्य होना चाहिये। वास्तव में उन्होंने वहां मकान वगैरह भी बना लिए हैं। इसलिए गवर्नमेंट हाई स्कूल की मन्जूरी दे दे तो ठीक हो जायेगा। इस तरह का दृष्टिकोण यदि गवर्नमेंट का होगा कि अजीतगढ़ ने रामराज्य परिषद् को वोट दे दिया इसलिए वहां हाई स्कूल नहीं होगा, तो यह संकुचित मनोवृत्ति शोभाजनक नहीं है।

इसी प्रकार उदयपुर में एक कॉलेज खोल रहे हैं, मुझे इसका विरोध नहीं है। कॉलेज खुले तो अच्छी बात है। शिक्षा तो जितनी अधिक दी जाय उतनी ही अच्छी है, लेकिन जोबनेर के कॉलेज को बन्द करके वहां कॉलेज खोला जा रहा है, यह संकुचित मनोवृत्ति का परिचय देता है। जिनकी भावना प्रान्तीय होनी चाहिए उनकी भावना यदि प्रादेशिक हो जाय तो, प्रान्त के लिए वह बहुत बुरी बात है। चूंकि जोबनेर जयपुर में है और उदयपुर हमारा प्रान्त है, इसलिए उदयपुर में कॉलेज हो, और जोबनेर का कॉलेज बन्द कर दें, यह शोभाजनक चीज नहीं है। मैं चाहता हूं कि जोबनेर का कॉलेज किसी तरह से बन्द नहीं हो।

इसी तरह जिस प्रकार शिक्षा में कमियां हैं उसी प्रकार फिक्सेशन में यह कमियां हैं। सब जगह फिक्सेशन हो गया है लेकिन सीकर जिले में अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है। उन्हीं बेचारों ने क्या बुरा किया था? सब जगह के अध्यापकों का फिक्सेशन हो जाय और उनको ज़्यादा तनख्वाह मिले और सीकर वालों को नहीं मिले, इसका क्या कारण है? तीन–तीन साल हो गये गवर्नमेंट को और इन तीन सालों में क्यों नहीं फिक्सेशन हो सका? इसलिए मैं कहता हूं कि इसका जल्दी से जल्दी प्रबन्ध होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि एकीकरण के समय में हमारे आयुर्वेदिक वैद्यों का एकीकरण नहीं हुआ। जो अच्छे से अच्छे और अनुभवी वैद्य हैं उनको मिलते हैं ५०)–६०) रुपये और जो आयुर्वेद विशारद हैं और जो पहले कंपाउन्डर थे कोई पास शुदा नहीं है उनको मिलते हैं १५०), १५०) रुपये। इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। वैद्यों का फिक्सेशन होना जरूरी है जिससे कि असंतोष न हो।

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

तीसरी बात यह है कि जिस तरह वैद्यों की तनख्वाह बढ़ाना आवश्यक है उसी तरह सैटलमेन्ट के कर्मचारियों के साथ भी होना चाहिये। एकीकरण कमेटी जब बनी थी उस समय सैटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट को यह लिखा गया था कि जितने ग्रेजुएट आपके यहां हैं उन सब की लिस्ट भेजो। उन्होंने २२ आदमियों की लिस्ट भेजी। उनमें से १७ आदमियों को तो नायब तहसीलदार नियुक्त किया गया और बचे हुए ५ को नहीं लिया गया। जब दूसरे स्थानों के लिए इन्टरव्यू होने लगा तो उनको यह कहा गया कि आप तो ऑलरेडी लगे हुए हैं इसलिए आपको आयन्दा मौका मिलेगा। उनको न तो नायब तहसीलदार लिया गया और न ए० एस० ओ० का मौका मिला। उनकी ग्रेड भी समाप्त हो चुकी है। अपने आदमियों को प्रोत्साहन दिया जाता है और जिनका वाज़िब हक़ है उनको दबाया जाता है। यह पक्षपातपूर्ण नीति ठीक नहीं है। इस पर ध्यान देना चाहिये। इसके लिए मैं सरकार से सिफ़ारिश करना चाहता हूं।

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

हमारे यहां पर जल-योजना में अच्छे से अच्छे कलकत्ता के पूंजीपतियों को लिया गया है। हम बाहर के लोगों के हाथ में १ करोड़ रुपया देंगे तो उससे वे ही फायदा उठायेंगे। पहले भी एक साहब को ३६ लाख रुपये दिये गये थे और उन्होंने गवर्नमेंट को वापिस एक पैसा भी नहीं दिया, फिर उन्हीं के हाथों में पैसा देना इसका अर्थ क्या होता है ? इसका अर्थ यह होगा कि हमारी गवर्नमेंट धनिकों की चाटुकारी व खुशामद करती है और अपने प्रान्त के जो योग्य आदमी हैं उनकी योग्यता की अवहेलना कर रही है। इस गवर्नमेंट की इस तरह की मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिये।

पंचवर्षीय योजना में जो काम हुए हैं उनमें भी पक्षपात किया गया है। श्री माधोपुर से कुछ दूर तक सड़क का टुकड़ा बना दिया जाता तो वहां से दिल्ली, कलकत्ता आदि जाने को सुविधा हो सकती थी लेकिन वह सड़क नहीं बनाई गई। फलसाना में सड़क की इतनी आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वहां पर १ लाख रुपयों की मंजूरी देकर सड़क बनाई गई। श्री माधोपुर व्यापारिक मंडी होते हुए भी वहां पर सड़क नहीं बनाई गई। यहाँ पर पहले सर्वे हो चुका था, कच्ची सड़क का निर्माण भी हो चुका था फिर भी वहां सड़क नहीं बनाई गई, क्योंकि उस क्षेत्र से रामराज्य का कैंडीडेट आया है। आपको ऐसी भावना से काम नहीं करना चाहिये। सब कुछ राष्ट्र की चीज है। यदि राष्ट्र के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं तो प्रादेशिक भावनाएं व पार्टीबाज़ी क्यों काम में लाई जाय ! हम में कर्तव्य परायणता होनी चाहिये। इसलिये यह कहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस सड़क को ले लिया जाय, ताकि इससे सब लोगों का हित हो सके। इसलिए प्रार्थना करता हूं कि इन सब बातों को ध्यान में रखा जाय मैंने ये बातें गवर्नमेंट की आलोचना करने की दृष्टिकोण से नहीं कही हैं बल्कि इस दृष्टिकोण से कही हैं कि मेरी बातें उचित प्रतीत हों तो सुधार करें और सुधार करके यशस्वी बनें। कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिनको सुनकर ध्यान दिया गया। मुझे मालूम है कि उदयपुर के बारे में पालीवालजी साहब ने सुना था, और उसके अनुसार कार्यवाही की थी। मिर्धा साहब ने भी कुछ बातों पर ध्यान दिया था। मैं निवेदन करूंगा कि गवर्नमेन्ट सारी बातों को गौर से सुनकर उन पर अमल करे और अपनी मनोवृत्ति को पक्षपातपूर्ण नहीं बनावे।

(श्री मुक्तिलाल मोदी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—अब जवाब दिया जाय।

श्री मुक्तिलाल मोदी—कम से कम मुझे बोलने की इज़ाज़त तो दी जाय।

श्री अध्यक्ष—आप दो रोज तक आये नहीं।

श्री श्रीदास गोयल—कम से कम ५ मिनट तक तो इन्हें बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—कांग्रेस की तरफ से १२-१३ सदस्य बोल चुके हैं इसलिये अब चीफ मिनिस्टर या अन्य मिनिस्टर जो बोलना चाहें वे बोलें। इसके आगे सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स पास करनी हैं, इसलिये मैं नहीं चाहूँगा कि आप बोलें। आप बजट के समय बोलिये।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—कम से कम ५ मिनट तो इन्हें बोलने दीजिये साहब।

कुछ माननीय सदस्य—हम सब चाहते हैं कि ५.७ मिनट तो उन्हें अवश्य दें।

श्री अध्यक्ष—फिर यदि आप सेटर्डे (शनिवार) को बैठने के लिये तैयार हैं तो इनको समय मिल सकता है।

('नौ नौ' की आवाज़)

श्री मुक्तिलाल मोदी—हम सेटर्डे (शनिवार) को बैठ जायगें।

('नौ नौ' की आवाज़)

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वायत शासन मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् द्वारा सदन के सम्मुख एक सामान्य बात कहना चाहता हूँ। मुझे यहां सदन में सब बातें सुनकर एक बात याद आई कि समय जिसे हम काल कहते हैं, अपना रंग दिखलाता है और इसके साथ हीं यह भी स्मरण आया कि 'फागण आयारी सखी रंग बरसेगो'। मुझे वह रंग बरसता हुआ दिखलाई दिया। यह हमारा अधिवेशन ऐसे काल में हो रहा है जिसमें रंग बरसना चाहिये, क्योंकि फागण का महीना है।...

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, no Hon'ble Member can cast aspersions on the proceedings of this House, and the Hon'ble Member who is speaking is casting aspersions on the proceedings of the House.

फागण का जिक्र करके आप क्या सदन की कार्यवाही का मखोल उड़ाना चाहते हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—आप इस शक को निकाल दीजिये। मैं इस तरह के विचार लेकर बोलने को खड़ा नहीं हुआ हूँ और मुझ पर वह असर भी नहीं है। मैं अपनी बात को प्रारम्भ करने से पहले यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी कुछ हाउस के सामने विवाद आया है और जिसका उत्तर देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ उसमें ऐसी वाणी का प्रयोग करूँगा जिसमें कम से कम समय लगे और आप लोगों को उससे नाराजगी उत्पन्न न हो। हाउस के सामने तीन चार बातें खास तौर से आई हैं।

क़ानून और राजस्व विभाग को लेकर, सेटलमेंट और किसानों को लेकर, और इसमें भी भूमिहीन किसानों को लेकर और पंचायतों के चुनावों को लेकर, इसके साथ कुछ कार्य जो डेवेलपमेंट के हैं, सहायता के हैं, उनको लेकर अन्तिम सदस्य ने गौ-वध को लेकर कहा कि गौ का निकास नहीं होना चाहिये।

क़ानून के बारे में आपके सामने बहुत कुछ रखा गया है, इसके साथ में यह कह देना चाहता हूँ कि जब कोई काम करना होता है तो हमें उसके चारों तरफ की स्थिति को देखना चाहिये। राजस्थान का प्रारम्भ और उसके साथ दूसरे सूबों की हालत नज़र से ओझल नहीं कर देनी चाहिये। हमारे पास में मध्यभारत है यू० पी० है वहां की लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति के साथ राजस्थान की स्थिति को देखेंगे तो सचमुच में आपको सन्तोष होगा और सचमुच इसे स्वीकार करने में हिचकिचाहट नहीं होगी कि राजस्थान इसमें आगे बढ़ा हुआ है।

[श्री कुम्भाराम आर्य]

राजस्थान में किसानों का नाम लेकर बहुत बड़ी बात कही गई और बिना जमीन के किसानों का नाम लेकर तो बहुत बड़ी बात कही। किसानों के बारे में मैं कह देना चाहता हूँ कि किसी भी सूबे से मिलान कर लें। किसान जिसके पास जमीन नहीं है उसका सबसे ज्यादा संरक्षण कहीं भी मिलेगा, तो वह राजस्थान में मिलेगा (राज्य पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)। बांटे और लगान को ले लीजिये १।६ से ज़्यादा कोई आदमी बिना जमीन के किसानों से हिस्सा और दुगने से अधिक नक़द में नहीं ले सकता। इस क़िस्म का कोई उदाहरण हिन्दुस्तान में मिलता है तो वह राजस्थान में ही मिलता है मैं इसके साथ बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास सिंचाई का क्षेत्र बहुत थोड़ा होते हुए भी बिना ज़मीन के किसानों को ज़मीनें दे रहे हैं। आज से ही नहीं जिस दिन से यह सरकार आई है उसी दिन से कोशिश में है कि उस इलाके के किसान जिनके पास जमीनें नहीं हैं, उनको जमीनें दी जायँ। भूमिहीन के लिये साढ़े बारह बीघा ज़मीन सिंचाई की रखी है। जिस किसानके पास ज़मीन नहीं हो और वह यह साबित कर दे कि सन् ४७ से पहले वह वहीं रहता था तो साढ़े बारह बीघां जमीन उसको सिंचाई को मिलती है। इसी बात पर केवल सरकार ने सन्तोष कर लिया हो ऐसी बात नहीं है, इसकी मिकदार और बढ़ाई है और इसकी मिकदार को साढ़े बारह बीघा से २५ बीघा तक कर दिया है। गंगानगर के इलाक़े में उन किसानों को जिन्हें भूमिहीन किसान कहते हैं २५ बीघा सिंचाई की ज़मीन दी जाती है, दी गई है और दी जायेगी। राजस्थान में जो इस तरह की व्यवस्था भूमिहीन किसानों के लिये है वैसी और कहीं नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कई जगह है।

श्री कुम्भाराम आर्य—नाम बता दीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आंध्र में है, मलाबार में है, ट्रावनकोर-कोचीन में है।

श्री कुम्भाराम आर्य— जो बात कहां गई है उस में इस तरह से नहीं मानता हूँ। राजस्थान का तो हमारे सामने है और वहां की कोई बात हमारे सामने नहीं है।

श्री व्यास—जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कीजिये।

श्री कुम्भाराम आर्य—आप पड़ोसी रियासतों को ही ले लीजिये, इतनी दूर मत जाइये। 'दूर के ढोल ज्यादा सुहावने' लगा करते हैं, इसलिये दूर के ढोलों पर कान मत लगाइये।"

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि-हीन किसानों के लिये राजस्थान सरकार प्रयत्नशील है और निकट भविष्य में वह दिन आयेगा जब राजस्थान में कोई भूमिहीन किसान नहीं रहेगा। हरीके की राजस्थान केनाल है उसके लिये कहा गया था कि यह स्वप्न है और इस स्वप्न के आधार पर धन्यवाद प्राप्त करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि यह स्वप्न नहीं है, सत्य है। भाखरा का पानी मिल गया है और हरीके का पानी २ और ५ साल के अन्दर आ जायगा, और इससे ३३ लाख, एकड़ ज़मीन की सिंचाई होगी। इसको बांटने लगें तो १० लाख आदमियों को मिल सकती है। हम

[श्री कुम्भाराम आर्य]

राजस्थान केनाल से जिस समय १० लाख आदमियों को भूमि देंगे तो फिर यह कहने का मौक़ा किसी को नहीं मिलेगा कि भूमिहीन किसानों के पास भूमि नहीं है, और राजस्थान में बेकारी है, लोगों के लिये करने को काम नहीं है। फिर यह बात नहीं कह सकते कि राजस्थान सरकार ने किसानों के लिये भूमि हीन किसानों के लिये, और बेरोज़गारी को मिटाने के लिये कोई योजना नहीं बनाई है, कोई स्कीम नहीं बनाई है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—राजस्थान में किसानों की परिभाषा क्या है, और और दूसरी जगह क्या है।

श्री कुम्भाराम आर्य—जो हाथ में हल और कांधे पर कुल्हाड़ी रख सकता है उसको हम किसान मान लेंगे।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—आप मान लेंगे या सरकार मान लेगी।

श्री कुम्भाराम आर्य—हम भी मान लेंगे और सरकार भी मान लेगी, और ऐसा जो आदमी हमारे सामने आयेगा उसको भी मान लेंगे।

पंचायतों के चुनाव की बात को लेकर......

श्री हरिकृष्ण व्यास—ज़मीनों के बंटवारे के बारे में तो बताया जावे कि किन-किन को दी गई।

श्री कुम्भाराम आर्य—ज़मीनों के बंटवारे के बारे में मैं यह कह देना चाहता हूं कि जो बातें इस बारे में कही गई हैं वे सत्यता से परे हैं। ज़मीनें उन्ही को दी गई हैं जो क़ानून के मुआफिक ज़मीनें पाने के हक़दार थे और वे ज़मीनें उन्हीं के हाथ में हैं। अब भी कोई आदमी साबित कर दे कि हक़दार के पास नहीं हैं तो हम छीनने को तैयार हैं और शिकायत करने वाले को धन्यवाद देने को तैयार हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या मिनिस्टरों को ही वह भूमि मिलने का अधिकार है, या इधर एम. एल. ए. बैठे हैं, उनको भी मिलने का अधिकार है। अगर प्रूफ चाहें तो मैं प्रूफ देने को तैयार हूं।

श्री कुम्भाराम आर्य-पंचायतों के बारे में मैं कह सकता हूं कि जो तीन शंकाएं की गई हैं। एक तो यह कि जो पार्टी राज्य करती है उसका हस्तक्षेप चला। दूसरी यह कि नौकरों का हस्तक्षेप चला। तीसरी यह कि चुनाव अच्छे क़ानून क़ायदे के अन्तर्गत नहीं किया गया। ये सही नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन तीनों बातों को देखें तो पता चलेगा कि जैसा कहा गया है वैसा नहीं हुआ है। देखा जाय तो राजस्थान का पंचायत एक्ट दूसरी जगह से बहतर मिलेगा। इसके ऊपर आज के दिन किसी का हस्तक्षेप नहीं है। वह ऐसा बनाया गया है कि जनतंत्री जमात जनतन्त्री लोगों के हाथों में रहे। इस पर किसी दूसरे का हाथ या वर्चस्व नहीं रहे। यह ऐसा हमारे यहीं मिलता है, दूसरी जगह नहीं। हमारे पड़ोसी प्रांत हैं वहां ऐसा कानून है कि वहां पर नौकरों का हस्तक्षेप है। इससे वहां की पंचायतें इतनी फल-फूल सकेंगी कि नहीं पर अगर फैल हो गई तो वहां के रहने वालों को यह कहने का मौक़ा मिल

[श्री कुम्भाराम आर्य]

जायेगा कि वह काम नौकरों के हाथ में था। पर राजस्थान के लोगों के लिये यह कहने की गुंजायश राजस्थान सरकार ने नहीं छोड़ी है कि नौकरों के हाथ में रहने से पंचायते सफल नहीं हुई। नौकरों का हाथ बिल्कुल हटा दिया गया है, पंचायतें पंचायतों के नीचे काम करेंगी।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या इलेक्शन कराते समय भी नौकरों का हाथ नहीं रहता ?

श्री कुम्भाराम आर्य—इलेक्शन में सिर्फ वे लोग निगरानी रखते हैं। उनके हाथ में कुछ नहीं होता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नोमिनेशन् कौन करते हैं ?

(विराम)

श्री वेदपाल त्यागी—क्या मंत्री महोदय को पता है कि इलेक्शन का कोई रेकर्ड नहीं रखा जाता कि किसके कितने वोट आये और मनमाना रिज़ल्ट निकाल दिया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, इस तरह बीच-बीच में बोला गया, इन्टरप्शन्स किये गये तो भाषण जारी रखना मुश्किल हो जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास–Interruptions make the debate livelier. A ruling to this effect has been given in the House of the people by Sardar Hukum Singh, then presiding, on a point being raised while Shri Dattar was speaking.

तो हमारे यहां ऐसा क्यों न हो।

श्री मथुरादास माथुर—Your interruptions make the things uglier.

श्री अध्यक्ष—We don't want it livelier.

श्री हरिकृष्ण व्यास—A Ruling has been given.

श्री अध्यक्ष—Ruling of other Houses is not binding on this House. Don't use them when they do not relish.

(श्री व्यास द्वारा पुनः बोलने का उपक्रम करने पर)

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री कुम्भाराम आर्य—सुनी सुनाई बात को सुनी-सुनाई समझना चाहिये। सिद्धान्त के आधार पर केवल एक माननीय सदस्य जो गंगानगर से आये हैं उन्होंने आप बीती बात कहने का दावा किया

[श्री कुम्भाराम आर्य]

है और उस दावे में उन्होंने कुछ प्रमाण दिये और कुछ तार पढ़ कर सुनाये थे और उन्होंने कहा था कि वह खुद इलेक्शन में खड़े हुए हैं और उनको वोट तो ज़्यादा मिले फिर भी वे हार गये। मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि आप सुनी-सुनाई बातों को छोड़ दें। इसके बारे में सही बात यह है कि इन महोदय ने अपने क्षेत्र के अन्दर एक पंचायत में खुद पंच और अपनी श्रीमतीजी को सरपंच के लिये खड़ा किया और दोनों जीतने के लिये पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे। वहां सब तरह के लोग इकट्ठे हुए। सब वोट मांगते थे और इस वोट मांगने में तनाव आ गया। इसकी वजह से वहां के पुलिस ऑफिसर ने यह वाजिब समझा कि कोई दंगा न हो और कहीं कल यह शिकायत न हो कि इस वजह से चुनाव नहीं हो सके इसलिए उसने व्यवस्था के लिऐ पुलिस की मांग की और वह उसको लॉ एण्ड ऑर्डर को कायम रखने के लिए करना जरूरी था। इसके अलावा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वहां पर इन श्रीमान्‌जी का विरोध हुआ। ये यह समझते थे कि वे निर्विरोध चुने जावेंगे। विरोधी पार्टी की तरफ से शिकायत की गई और इन्होंने भी शिकायत की कि जो वोटर्स आये हैं वे सही नहीं हैं। इस पर जांच की गई कि कितने सही वोटर्स हैं और कितने सही नहीं हैं। जो सही नहीं थे उन लोगों को अलग किया गया और अलग करने के बाद यह दोनों ओर से तय हुआ कि पोलिंग हो। दोनों की रजामन्दी ली गई और फिर काम शुरू किया गया। उसके बाद उनकी गिनती शुरू की। वह जुबानी बात-चीत नहीं हुई। यह सब लिखा-पढ़ी में आया। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे प्रमाण नहीं मिलता। मेरे पास प्रमाण है और माननीय सदस्य के हस्ताक्षर हैं उस पर, जिसको मैं पढ़कर सुना देना चाहता हूं।

"Kindly start counting. I have no objection against candidate.
G. Sandu.
27. 12. 1954."

इतना जब उन्होंने अपने हाथ से लिख कर दे दिया उसके बाद काउन्टिंग किया गया। जब गिनती की गई तो उसका नतीजा यह निकला कि आपको ५६ वोट मिले और विरोधी को ७३ वोट मिले। आप हार गये।

श्री वेदपाल त्यागी—जिस चीज़ को चैलेंज किया जाता है उसका जवाब यह नहीं है, यह गलत चीज़ रीड की गई है।......

श्री कुम्भाराम आर्य—ये दस्तख़त तो गलत नहीं हो सकते।

श्री अबनिकुमार मुकर्जी—यह आप कैसे साबित करते हैं कि इनको ५६ वोट ही मिले थे।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—यदि आप आज भी दुबारा चुनाव कराने के लिये तैयार हैं तो मैं साबित कर दूंगा कि आज भी १३ से १४ वां वोट नहीं मिलेगा।

श्री कुम्भाराम आर्य—जब खुद हार गये और देखा कि अब श्रीमतीजी के जीतने का कोई चान्स नहीं है तो कुछ आदमियों को भड़काया गया और उसका नतीज़ा लड़ाई-झगड़े की नौबत तक आ

[श्री कुम्भाराम आर्य]

गया। इसलिये रिटर्निंग ऑफिसर को सरपंच के लिये चुनाव रोकना पड़ा। इस एक पंचायत के चुनाव की बात को लेकर सारे हाउस के वातावरण को बदलने के लिए जी-जान से कोशिश की गई है।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या आप बतावेंगे कि स्थिति अच्छी नहीं थी और तार दी गईं ? क्या यह बतावेंगे कि पोलिंग शुरू होने से पहले तार दी गईं या बाद में।

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं यह बताना चाहता हूं कि हमें सारी को सारी पंचायतों का काम है, उनके महत्व को देखना चाहिये। यह एक जगह का काम नहीं। राजस्थान में ऐसी पंचायतें ३२८५ है। उनमें १५४२ का चुनाव हुआ, और १५४२ पंचायतों के चुनावों के अन्दर एक चुनाव ऐसा है जिसके लिए कोई आदमी प्रमाण से कह सकता है, कि चुनाव ठीक नहीं हुआ और उस प्रमाण का आधार हमारे सामने उसके हाथ की चिट्ठी है। इसीसे इनकी दूसरी बातों का अन्दाज़ा लगा लेना चाहिये।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—(अश्रव्य)

श्री कुम्भाराम आर्य—इतने बड़े चुनाव, जो पूरे प्रान्त में हो रहा है और वह भी सबसे पहले हो रहा है, हम जिसको डेमोक्रेसी कह रहे हैं, देश के लिये एक नया युग आ रहा है, लोगों के बन्धन टूट रहे हैं, जो लोग दबे हुये अपने आपको समझते थे, आर्थिक या राजनैतिक तौर से उन लोगों को भी करवट लेने का मौक़ा मिल रहा है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अब तो फ्रीडम है।

श्री कुम्भाराम आर्य—जो लोग अपनी मोनोपोली समझते हैं उनके दिल दुखते हैं, और उनका दिल दुखना स्वाभाविक है क्यों कि उनके हाथ से कुछ निकल रहा है।

एक माननीय सदस्य—(अश्रव्य)

श्री कुम्भाराम आर्य—आज का युग आगे बढ़ रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जहां चीफ़ पंचायत ऑफिसर ने लोगों को नॉमिनेशन किया है वहां किस का दिल दुखता है।

श्री कुम्भाराम आर्य—जहां चुनाव नहीं हो सके वहां पर हमको लोकशाही कायम करने के लिये ऐसा करना पड़ा। हम चाहते नहीं थे कि ऐसा हो, लेकिन मज़बूरन एसा करना पड़ा।

(दोनों तरफ़ से हंसी और विरोधी पक्ष की ओर से 'हियर, हियर' की आवाज़)

श्री हरिकृष्ण व्यास—तहसील राजगढ़ में आपने क्या किया है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—माननीय अध्यक्ष, इनकी इच्छा है कि मैं बोलूं नहीं।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी— (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री कुम्भाराम आर्य—हमारे माननीय मित्र जो बीकानेर से आये हैं और कम से कम नेत अपने आप को कहते हैं। मैं......

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मैं कांग्रेस में नहीं हूं, इसलिये नेता नहीं हूं।

श्री कुम्भाराम आर्य—आप कांग्रेस के नेता नहीं हैं लेकिन फिर भी आपके पीछे पार्टी के नेता की जब तक पूंछ लगी है तब तक नेता रहेंगे और उसको आप कटा लेंगे, तब ऐसा कह सकेंगे।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि वाटर बोर्ड के मामले को लेकर एक ऐसा वातावरण बनाया गया कि काम ऐसे लोगों को दिया गया जिनका समाज, नीति और देश से कोई सम्बन्ध नहीं। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि ऐसे कामों में ऐसी कोई भावना नहीं और जैसा काम किया गया है ऐसा १०० सालों में हो नहीं सकेगा। इसमें ऐसे तपे-तपाये वर्क्स हैं जो कई अर्से पहले से काम करते आ रहे हैं। राज्य तो आज आया है, वे आज से २०-३० साल पहले से समाज-सेवा का काम कर रहे हैं। मारवाड़ रीलीफ सोसाइटी का नाम आज हिन्दुस्तान का एक एक बच्चा जानता है।

ऐसे लोगों के हाथ में कोई काम दें, या ऐसे लोगों से कोई योग लें, उनके प्रति यह शंका कि उनमें राजनीति की बू हो सकती है, मैं समझता हूँ यह बहुत ग़लत बात है। यह कभी नहीं समझना चाहिये। रही बोर्ड के द्वारा व्यय होने वाले उस पैसे के बारे की बात तो पैसे के लिए अगर कानून क़ायदे को देख लेते तो ज्यादा अच्छा होता। आपको अवसर नहीं मिला, काम-धन्धों की वजह से नहीं मिला, बड़े आदमियों को समय नहीं मिल सकता। दुनिया के हालात को सुना ही है, दवा को नहीं छुआ। हाउस में उनको बोलना पड़ा कि उन्होंने (हंसी) क्या कानून कायदे बनाये हैं ? लेकिन सुना कि उल्टे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो, मैं जानकारी दे दूँ कि ज़िले से स्कीम बनती है, उस कमेटी का चेयरमेन है वह ज़िला कलेक्टर है और साथी काम करने वाले लोग हैं और इस काम में जो दिलचस्पी रखते हैं वे ही इसमें योग देंगे। जैसी सिफारिश करेगी वह बोर्ड स्वीकार करेगा और उसका आगे काम चलेगा। जो काम चलेगा वह बोर्ड और सरकार द्वारा चलेगा। पैसा बोर्ड से कलेक्टर को जायगा और उसके आगे पंचायतों के ज़रिये से काम होगा। एक लोकल बॉडी के अन्दर पंचायतों के ज़रिये से ही काम होता है। (विरोधी पक्ष से हियर, हियर) और यह आगे भी चलेगा। आज ये काम जिनके द्वारा हो रहे हैं, वह आगे भी होगा। अन्तर इतना आ जाता है कि जयपुर और गांवों तक के बीच का जो रूटीन काम है और जिनकी वजह से लोगों को शिकायतें हैं कि काम में देरी होती है, रुकावटें होती हैं, उनको दूर करने के लिए हमने कुछ कार्य-कर्त्ताओं से योग लिया है। वे कागज़ों के पीछे अपने कामों को खोटी करके लगे हैं, देश-सेवा में लगे हैं। मैं तो समझता था कि हाउस उनको धन्यवाद देगा क्योंकि ये लोग कलकत्ता में कमाई छोड़कर इस रेगिस्तान में आ रहे हैं जहां लूके लपके में आदमी की शक्ल बदल जाती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वे मारवाड़ रिलीफ सोसाइटी के मंजूरशुदा प्रतिनिधि हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—इस बोर्ड के बारे में…………

श्री हरिकृष्ण व्यास—जवाब दीजिये ना ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं सुन नहीं रहा हूँ इसलिए जबाब नहीं दे रहा हूँ । आप कृपाकीजिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जानकारी दे दो तो बहतर है । मारवाड़ रिलीफ सोसाइटी का बार बार नाम लेते हैं । (घंटी)

क्या ये मारवाड़ रिलीफ सोसाइटी के ऑथोराइज्ड प्रतिनिधि हैं, अधिकृत प्रतिनिधि हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार नागोर के मेले में अच्छे से अच्छे बैल खरीदे जाते हैं उसी तरह से बढ़िया तपे-तपाये कार्यकर्त्ताओं को छांटा है । (राज्य पक्षसे 'हियर, हियर' एवं करतलध्वनि) मेन लाइन में से नहीं छांटा है कि कहीं उनको धोखा हो जायगा ।

श्री वेदपाल त्यागी—बैल चुनने में तो कहीं शंका नहीं हो गई ?

श्री संतोषसिंह कछवाह—वे बैल खस्सी किये हुये तो नहीं हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—दूसरी एक बात जो कुम्भाना के चुनावों के बारे में कही गई है। मैं पिछले दिनों महाजन गया था और वे श्रीमान् जिनकी शिकायत का नाम लेते हैं, एक ठाकुर हैं। एक गांव है जो जागीर का है । जागीरदार सरपंच बनना चाहते थे, नहीं बन सके । जब उनके भाई उनके साथ नहीं तो और दूसरे लोग जिनका उन्होंने शोषण किया वे उनके साथ कैसे रह सकते थे ? अगर उनको यह एतराज हो कि उनके हाथ पंचायत नहीं आयी तो उनको मैं कहूँगा कि उनको यह समझना चाहिये कि इतना बड़ा कुम्भाना हाथ से चला गया तो पंचायत का तो क्या ! 'राज्य पक्ष से करतलध्वनि' और छोटी २ बातों को लेकर, पंचायतों की व्यवस्था ठीक नहीं है; गड़बड़ियां हो रही हैं, कहा गया, मैं हाउस को विश्वास के साथ कह देना चाहता हूँ कि राजस्थान में जितने चुनाव हुए हैं, अच्छे हुए हैं ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—God forbid'

श्री कुम्भाराम आर्य—एक दिल नहीं बनता । देखा नहीं और केवल सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया । यहां राजस्थान में सबसे अच्छे चुनाव हुए हैं और उसका नतीजा अच्छा रहा है (राज्य पक्ष की ओर से करतलध्वनि) ।

[श्री कुम्भाराम आर्य]

मैं यह कह देना चाहता हूँ कि मुझे इस बात से आश्चर्य हुआ है कि एक महोदय उपनेता की हैसियत से खड़े होकर भाषण देने लगे कि पंचायतों के कोई नियम प्रकाशित नहीं हुए हैं और प्रकाशित हुए हैं तो अंग्रेज़ी में प्रकाशित हुए हैं जिनको गांव वाले नहीं समझ सकते और उनके लिए छपना न छपना बराबर है। किसी राजपत्र की प्रति लें जिसमें कि नियम छपे हुए हैं। उनकी तारीखें इस बात को बता देगी कि हिन्दी में पहले छपे हैं और अंग्रेज़ी में बाद में छपे हैं। उनके कहने में ग़लती है। हिन्दी के बहुत पहले निकल गये हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक्ट से ताल्लुक है। इलेक्शन रुल्स अंग्रेजी में पहले छपे हैं और हिन्दी में बाद में।

श्री कुम्भाराम आर्य—नियम के लिए कह रहा हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सामान्य नियम हिंदी में पहले छपे थे किन्तु इलेक्शन के नियम पहले अंग्रेजी में छपे में थे।

श्री कुम्भाराम आर्य-सत्य को कहना चाहिये। उन्होंने जो कुछ कहा उसे सब्र के साथ हमने सुना तो उन्हें भी इतना तो चाहिए कि वे भी सब्र के साथ सुनें। नहीं तो दोनों तरफ से होली खेली जायगी तो पल्ले क्या पड़ेगा इसमें थोड़ी व्यवस्था रखनी चाहिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—थोड़ा सही बोलना चाहिए।

श्री कुम्भाराम आर्य—आपने सही बोला, इसका क्या पता? हाउस की क्या हालत थी।

तो मैं यह पंचायतों के लिए कह रहा था कि जिस तरह की बातें आप सुन रहे हैं वैसी बातें नहीं हैं।

गौ-निकास की बात रहती है। इस पर थोड़ा कह देना चाहता हूँ। गाय की बात ऐसी थी कि जो आम आदमी के हृदय में खटकती है। एक सदस्य महोदय ने हरदेव सहायजी की चिट्ठी का ज़िक्र किया। मैं बतलाना चाहता हूँ मेरे पास चिट्ठी ही नहीं आयी। एक गाय का कान कटा हुआ भी भेज दिया और मैंने देखा कि कोई तोहफ़ा आया है, मेज पर ही खोल लिया। उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के अन्दर गौकुशी नहीं होती है। गौकुशी तो दूर रही, मादा जैसी चीज़ को कोई नहीं मार सकता। मादा अलग रही सामने वाले सदस्यों से सहयोग मिल जाय तो नर को भी न मारने के लिए व्यवस्था बैठा दी जाय। पशुबलि का बिल आया था। झंझट में पड़ा है। आपका योग मिलेगा तो वह भी पास हो जायगा (राज्य-पक्ष से करतलध्वनि)।

जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है ऐसी बात की कल्पना करना कि यहां के आदमी गौ के लिए अशुभ भावना रख सकते हैं, गलत है। राजस्थान के वीर अपना सिर कटाना पसन्द करेंगे लेकिन गौकुशी तो क्या गौ का बाल भी नहीं कटने देंगे। गायें जरूर बाहर जाती हैं। जाने के कारण भी

[श्री कुम्भाराम आर्य]

बहुत हैं। काफी साल से क़हतसाली है। यहां क़हतसाली ने घर जमा लिया है, और उसका घर जब तक नहीं मिट जाता तब तक गौ तो क्या इन्सान को भी बाहर जाना पड़ सकता है। प्राणों को रखना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है। गायों को रजिस्टर किया जाता है। उनको लेजाने वालों को पाबन्द किया जाता है कि वे इनको वापिस लावेंगे, वापिस नहीं लाते हैं तो पर्चा जो उनके नाम से कटता है उस पर कार्यवाही की जाती है। ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान का गौ-धन बाहर जाकर कटता है। पानी की कमी के कारण वे लोग बाहर चले जाते हैं और दूसरे भी कारण है राजस्थान का आदमी गौ के बारे में सचेष्ट है और उसकी रक्षा ज़रूर करेगा।

हाउस को निवेदन कर देना चाहता हूं कि "क्रान्तिदूत" में मेरी कोई चिट्ठी छपी है, ऐसा कहा गया है। जो बातें कही गई हैं वह सब रंग लाने वाली बातें कही गई हैं। एक चिट्ठी को लेकर बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें कही गई हैं। उसमें एक मिनिस्टर का नाम है। मैं हाउस के सामने इतना सा थोड़ा कह दूं कि उस अखबार में छपी चिट्ठी की भाषा, छपी चिट्ठी में कहां से आये दस्तखत, ये सारी की सारी बातें बनावटी, कल्पना-मात्र हैं और एक तरह की कला है जो आज के युग में विज्ञान के बलसे फोटो आदि से की जा सकती है। इसके अन्दर मैं समझता हूँ कि राजनैतिक वैमनस्यता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसके अन्दर ओलिया डाकू के छुड़ाने के लिये वकील और जमानत आदि का जिक्र है, इसके लिये मेरा तो यह निवेदन है कि मैंने तो क्या मेरी सात पीढ़ी में से किसी ने भी डाकू ओलिया का नाम सुना नहीं। इस तरह की बातें हाउस के सामने लाकर यहां के वातावरण को दूषित करने के अलावा मैं कुछ नहीं मानता...

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—यदि ये बातें असत्य हैं तो आप उनके खिलाफ़ क़ानूनी कार्यवाही क्यों नहीं करते ?

श्री कुम्भाराम आर्य-(अपना भाषण जारी रखते हुए) जो कार्यवाही करनी है वह होगी। उसके लिये जल्दी मुझे ही करनी होगी आपको नहीं। बेटी जनी है तो गौना होगा ही।

मैं यह कह रहा था कि हमारा प्रान्त लॉ एन्ड आर्डर के मामले में काफी आगे बढ़ा है।

राजस्व की ही बात ले लें। भूमि के मामले में भी किसानों को काफी राहत मिली है और आप अगले कुछ सालों में यहां तक देखेंगे कि ज़मीन इतनी होगी कि खेती करने वाला भी नहीं मिलेगा। आज तक जो लोग अपने कन्धे पर हल आदि उठाने में शर्म अनुभव करते थे उन लोगों को चाहिये कि वे इस मार्ग को अपनावें। उनके लिये भी हमारे पास कमी नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—शोभाराम जी या कुम्भाराम जी ने भी ज़मीन जोती है क्या ?

श्री कुम्भाराम आर्य—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं किसान का बेटा हूँ और ज़मीन

[श्री कुम्भाराम आर्य]

जोतता हूँ। मैं अपने आपको सौभाग्यशाली समझता हूँ और मेरा हक़ है कि मैं ज़मीन जोतूं। जिस ज़मीन पर मैं पला हूँ और बड़ा हुआ हूँ ईश्वर करे उसी जमीन में मैं दफनाया जाऊँ (हर्षध्वनि)।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप बोते नहीं है केवल कब्ज़ा करके बैठे हैं।

श्री कुम्भाराम आर्य—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मेरे लिये ऐसा कहना ग़लत है। पर हाँ, मेरे माननीय सदस्य को ज़मीन बोने का नम्बर आयगा तो तेजा और ही कोई गोयेगा। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय अपनी बातें कहने को बहुत उतावले नज़र आते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(मुख्य मन्त्री) माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर काफी वाद-विवाद हुआ, और मैं समझता हूँ कि उस वाद-विवाद में उसूलों पर चर्चायें कम हुईं। कुछ इधर-उधर की घटनाओं को जोड़ कर ही यहां पर बातें कही गई हैं। मैं सारी बातों में न पड़कर संक्षेप में कुछ बातों पर ही अर्ज़ करना चाहता हूँ।

लॉ एन्ड ऑर्डर के सम्बन्ध में किसी ने किसी एक स्थान की डकैती, किसी ने किसी दूसरे स्थान की घटना, और किसी ने चुनाव में हुई कुछ घटनाओं को यहां बढ़ा-चढ़ाकर बताने का प्रयत्न किया है, जिससे यह मालूम हो सके कि लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है। सबसे पहले समझने की बात यह थी कि राजप्रमुख के अभिभाषण में यह नहीं कहा गया कि लॉ एन्ड आर्डर को स्थिति इस हद तक पहुँच गई है कि यहां डाके नहीं पड़ते, कहीं पर चोरी या लूटमार नहीं होती। उस भाषण में घटनाओं का उल्लेख है, प्रतिशतों से जो बातें कहीं गईं उसका मतलब यह है कि पहले से स्थिति में सुधार होता जा रहा है, फिर भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हम यह मानकर नहीं चलते कि जो कुछ हो चुका अन्त है, आगे करने के लिये कुछ नहीं रहा।

मैं जानता हूँ कि अब भी पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ अरावली की पहाड़ियों में धौलपुर और चम्बल के रेविन्स में अब भी घटनायें होती हैं। उन घटनाओं को रोकने के लिये सरकार को काफी प्रयत्न करना होगा। यह कह दिया जाना कि राजस्थान में सब तरफ बिल्कुल शान्ति है, गलत होगा। लेकिन यह अवश्य है कि स्थिति सुधर रही है और निरन्तर सुधार होता जा रहा है। इसलिये मैं यह मानता हूँ कि जितना भी कहा गया है वह गलत नहीं है। आंकड़ों सहित पेश किया गया है जो हमेशा से सदन के सामने रखा जाता रहा है जिससे स्थिति का अन्दाज लगाया जा सकता है। कुछ भाइयों ने यहां तक कहा कि कुछ व्यक्तियों के डाकुओं द्वारा उड़ाये जाने में कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं का भी हाथ है। इस तरह से मैंने हर मामले में यह देखा है कि विरोधी पक्ष की ओर से कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं पर आक्षेप लगाने का प्रयत्न किया गया हैं। मैं समझता हूँ, यह कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। हमारे गंगानगर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने मेरे पास कुछ दिन पहले लिखकर भेजा था कि उन पर क़ातिलाना वार किया गया, जिसका कि ज़िक्र उन्होंने अपने भाषण में किया कि उनको मारने की साज़िश की गई और भी उसके साथ-साथ कई बातों को जोड़ा गया। मैंने इस बारे में जानकारी प्राप्त की है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी झगड़ा हुआ, जिसके बारे में शिकायत है वे

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

और कोई नहीं उन्हीं के खुद के रिश्तेदार हैं। जिन लोगों ने उन पर क़ातिलाना वार किया उसके लिये उनको शिकायत होनी चाहिये, उनके रिश्तेदारों से बजाय इसके कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से? और ऐसे व्यक्तियों के नाम लेना झूट है। उनके रिश्तेदारों में उनका घरेलू झगड़ा होगा या और कोई झगड़ा होगा। इससे अधिक विस्तार में जाना नहीं चाहता। जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसके आधार पर जिनकी शिकायत थी उन्हीं के बारे में पता लगाने पर यह पता चला। गंगानगर के लिये यह आम तौर से बात रही है कि अमुक व्यक्ति वहां पर डकैतों को साथ देते रहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष इन तीन सालों में जहां तक मुझे देखने में आया है हमारे गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य जिन्होंने भाषण दिया वे तो यहां पर बिना किसी खतरे के मौजूद हैं। उनको कोई ख़तरा पैदा नहीं हुआ और किसी दूसरे सदस्य को ख़तरा पैदा नहीं हुआ। अगर ख़तरा पैदा हुआ है और किसी ने गोली खाई है तो वह है हंसराज जी आर्य, और किसी के ऊपर गोली नहीं चली। यह जो बात कही जाती है वह बात क्या मतलब रखती है? यह भी कहा जाता है कि उनका रातदिन पीछा किया जाता है? इन चीजों में मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता। लेकिन यह चीज़ ज़रूर देखने लायक है कि गोलियां लगी तो किससे लगी, केवल कांग्रेस वालों के लगी। फिर भी कांग्रेस वालों को बदनाम किया जाता है। यह केवल रंजिश की बात है और कुछ नहीं।

इसके सिवाय और भी एक बात कही गई। एक चिट्ठी को छापकर अखबार में निकाला गया, जिसकी भी यहां बहुत चर्चा रही। इस सदन के अन्दर यह भी बताया गया कि जो चिट्ठी इस अखबार में छपी है उसमें कुंभारामजी के दस्तखत हैं। मैं उन अखबार वालों से यह निवेदन करता हूं कि वे चिट्ठी अखबार में छापने के बजाय लाकर मुझे बता दें तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर वह चिट्ठी साबित कर दें तो हम कभी अपनी मिनिस्ट्री में ऐसे साथी को, जो डाकुओं की मदद करता रहता हो, रखें। ऐसे हम गये-बीते नहीं हैं (हिअर हिअर)। यह हिम्मत उन अखबार वालों की होनी चाहिये कि वे यह बात साबित करें। जो अखबार में चिट्ठी छापी गई है वह फोटोग्राफी के टेकटिक्स हैं, उन चीजों का पता नहीं चल सकता। यह मैं आज ही देख रहा हूं सो बात नहीं, करीब तीन साल से यह हाल कुछ अखबार वालों का देख रहा हूं। कुछ ऐसे राजनैतिक दलों के एजेन्ट होते हैं उनका काम ही सिर्फ यही होता है जहां कहीं भी कांग्रेस का अधिवेशन हो वहां भी ये पहुंच जाते हैं। हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में हों वहां पर ये हमारे मित्र पहुंच जाते हैं और पर्चे बांटते फिरते हैं। कुछ मिनिस्ट्री के तबादले के समाचार सुने तो झट अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर दिल्ली पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे से आगे वे उपस्थित हैं। यह तो आजकल रोज़मर्रा का सिलसिला बन गया है। ये हर मौसम पर मौजूद रहते हैं?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आप तो अब आदी ही गये हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—तो मैं लॉ एण्ड ऑर्डर के सम्बन्ध में ज्यादा विस्तार में न जाकर अन्त में फिर यह दोहराना चाहता हूं कि कमियां हैं कुछ और इनके प्रति हम पूरे तौर से सतर्क हैं। पर जब मैं सतर्क होने की बात कहता हूं तो कृपया विरोधी सदस्य भी सारी स्थिति को समझते

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हुए कि क्या–क्या इसमें हमारी दिक्कतें हैं, क्या–क्या बातें हैं वे कृपया इस बात को देखें तो ज़्यादा अच्छा हो।

दूसरी बात कही गई इस बारे में कि करप्शन के लिए कमेटी बना दी, तो क्या कर दिया ? कमेटियां तो बनती ही रहती हैं। करप्शन में क्या फ़र्क पड़ता हैं इनसे। माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि यह पहला अवसर है कि जब हमने कमेटी बनाई है और इसमें सबसे सीनियर दो अफसर सरकार के हैं, एक चीफ सेक्रेटरी और दूसरे चेयरमेन, रेवेन्यू बोर्ड एवं दो और गैर सरकारी सदस्य हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कांग्रेसी-कांग्रेसी की बात इस हाउस में बार-बार दोहराई जाती है, तो इसमें एक सदस्य है कांग्रेस का और दूसरे सदस्य हैं हमारे माननीय मित्र, विरोधी दल के नेता। हमने कहा कि आप खुद बैठकर इन करप्शन के केसेज़ को देखें। हम यह नहीं चाहते कि कुछ छिपाया जावे, हम तो कहते हैं, आइये आप बैठिये और इस करप्शन को दूर करने में हमें सहयोग दीजिये, और यही निवेदन आपसे किया है। आप बहस करिये, जिरह करिये, करप्शन करने वाले को सामने लाइये, आप इस काम में पूरी ताकत से हमारी मदद करिये। हम भी ईमानदारी से चाहते हैं कि यह करप्शन दूर हो। इसमें कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी का कोई भेद हम नहीं रखना चाहते और मैं समझता हूं कि ईमान्दारी का इससे बड़ा सुबूत हम और नहीं दे सकते थे। इसमें कोई कांग्रेस का बहुमत नहीं है, दो इसमें सरकारी व्यक्ति हैं और एक आप (विरोधी दल के नेता को लक्ष्य करके)। यह भी नहीं कि कांग्रेस के बहुमत से असर डालना चाहते हों।

आगे हरिके के पानी के बारे में कहा गया। हमारे मित्र जानते हैं कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है, पर उसका कोई ज़िक्र नहीं। कहने के लिए उनको केवल एक बात मिली कि पानी हमारे मित्रों को आज का आज मिल जावे। वे कहते हैं कि हरिके का पानी आने वाला है, न जाने कब आने वाला है। तीस चालीस लाख एकड़ पर पानी आये और यह कोई महत्व की बात उनके लिए नहीं। मैं समझता हूं कि अगर उनके पास राज्य-व्यवस्था हो तो वे क्या यही करेंगे कि दूसरे दिन ही ४० लाख एकड़ जमीन पर पानी फेल जावे ? राज्य दूसरों के पास है इसलिये सालों लग सकते हैं। मैं समझता हूं कि मन में वे स्वयं भी यह सब मानते हैं और जानते हैं और शायद हमारे काम की तारीफ भी करते हैं। पर उनको तो अपनी बात कहनी ही चाहिये, न कहें तो फिर उनका काम कैसे चले। तो वे यह सब कह कर अपने कर्त्तव्य का ही पालन करते हैं वरना आज के दिन जिस बात की कल्पना हम करते हैं उसकी कल्पना कुछ दिन पहले हम कर नहीं सकते थे कि जैसलमेर के रेगिस्तान में पानी बहता नज़र आवेगा और वह रेगिस्तान लहलहाते हरे–भरे खेतों में परिवर्तित हो जावेगा। आज हम उस कल्पना को ही नहीं कर सकते, पर उस कल्पना को साकार होते ही देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में बजाय इसके कि कब पानी आवेगा, हमारे विरोधी दल के नेता को यह कहते सुन कर कि न मालूम कब आने वाला है, आवेगा भी या नहीं; इस पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।

उन्होंने आगे चल कर फरमाया कि फर्टीलाइज़र फैक्ट्री के बारे में राजप्रमुख के भाषण में केवल दो लाइनें कह दी गईं। मुझे ऐसा खयाल होता है कि विरोधी दल के माननीय सदस्यगण शायद आजकल के अख़बारों को देख नहीं रहे हैं। यह उनको मालूम होता अख़बारों से कि इस मामले में भारत

[श्री मोहन लाल सुखाड़िया]

सरकार की जो कमेटी सब जगह घूम रही है उस कमेटी के चेयरमेन ने प्रेस कॉन्फ्रेन्स में कहा है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इस बारे में जो मेमोरेन्डम पेश किया है । it is the best one, यह सर्वोत्तम है । ये चेयरमेन के शब्द हैं । यह बात उन्होंने कही है और प्रेस कॉन्फ्रेन्स में कही है, और मैं समझता हूं कि इसके पीछे जिस रोज से हमने काम सम्भाला है लगातार कुछ आदमियों को लगा रक्खा है कि इस केस को पूरे तौर से देखा जावे । वह कमेटी के साथ घूमे और उनको हर जानकारी से अवगत कराया जावे । इस तरह से हमें सन्तोष है कि जो एक वक्त ऐसा लगता था कि राजस्थान का मामला महत्व का नहीं रह गया है वह आज महत्वपूर्ण विषय कमेटी के सामने बन गया है और आज हम आशा करके चल सकते हैं कि हमारी मांग भारत सरकार के द्वारा पूरी की जावेगी । और इसका लाभ जिस ज़िले के लिए कहा जाता है कि उसकी हर काम में उपेक्षा की गई है,उसको ज्यादा मिलेगा (हियर हियर) । हरि के का पानी भी,आप मुझे क्षमा करेंगे यह कहने के लिए,कि बीकानेर ज़िले में ही ज़्यादा जावेगा । वहां वैटेरिनरी कॉलेज भी मौजूद है । इसलिये यह कह देना कि वहां की उपेक्षा की गई सही नहीं है । फिर भाखरा-नांगल की बिजली भी वहां पहले पहुँचेगी । सलिए विरोधी दल के नेता का यह कहना कि वहां के लिए कुछ नहीं किया जाता, यह उचित नहीं है ।

एक सदस्य महोदय ने कहा कि विरोधी दल के व्यक्तियों के यहां काम इसलिए नहीं किया जाता कि उनको और वहां की जनता को यह अनुभव हो जाय कि कांग्रेसजन जहां से नहीं आता वहां काम नहीं होता । मैं अर्ज़ करूं कि आप अगर सारी जगह के कामों को देखेंगे तो पावेंगे कि कहीं इस बात की कल्पना करके नहीं चला गया है । हमारे उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उदयपुर ज़िले में जो डेवलपमेन्ट ब्लॉक चल रहे हैं उनमें ऐसा ही बर्ताव किया गया है । उन्होंने चित्तौड़ में भी बड़ी सादड़ी की बात कही । काम कहां अच्छी तरह तरक्की करेगा यही हमने देखा है और वहां काम चालू किये है । यह हमने कहीं नहीं देखा कि चूंकि यहां से विरोधी सदस्य आये हैं इसलिए यहां न किया जाय । अब नहीं होने के लिए चित्तौड़ ज़िले में दूसरी जगहों से कांग्रेस के व्यक्ति भी आये, पर उनके क्षेत्र में भी नहीं है । आपके क्षेत्र में रह गया है तो दूसरे कांग्रेसजनों के क्षेत्र में भी नहीं हुआ । तो मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता । हम इस आधार को लेकर चलने की बात नहीं कहते । कौन सा काम किस जगह शुरू किया जाय और किस जगह नहीं, यह हम काम के मेरिट्स पर ही तय करते हैं ।

लैण्ड अलॉटमेंट के बारे में जोर-शोर से कहा गया । मैं इसके सम्बन्ध में अर्ज़ करना चाहता हूं कि यहां कुछ व्यक्तियों के नाम इसमें गिनाये गये । मैं व्यक्तियों में नहीं पड़ना चाहता । पर इतनी बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि ज़िनको जमीनें दी गई हैं उनमें किसी एक को भी नियम के विरुद्ध अगर दी गई साबित हुई तो हमारे माननीय सदस्य आ कर मुझे बता दें कि नियम के विरुद्ध अगर विशेष कारणों से पक्षपात करके किसी अमुक व्यक्ति को जमीन दी गई है तो मैं आपसे साफ निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैं स्वयं उस व्यक्ति से यह कहूंगा कि वे वह ज़मीन छोड़ दें । इस सिलसिले में मैं थोड़ा आपको उस ज़माने की भी याद दिला देना चाहता हूं जब आज से करीब चार साल पहले श्री वैंकटाचार की गवर्नमेंट थी, उस समय उन्होंने 'ग्रो मोर फूड' के नाम पर कलेक्टर्स, कमिश्नर्स और

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

दूसरे-दूसरे व्यक्तियों को ज़मीने दी थीं और बड़ी सस्ती दी थीं और सौ सौ बीघा नहीं, हज़ार-हज़ार बीघा जमीन बुला बुला कर दी थी। मैं समझता हूं कि पिछले तीन सालों के अन्दर मेरी जानकारी में नहीं आता कि किसी एक व्यक्ति को भी हम लोगों ने दो सौ बीघा ज़मीने से भी ज़्यादा दी हो। कई हज़ारों की आप बात करते हैं पर एक को भी इससे ज्यादा दी गई हो ऐसा मेरी जानकारी में नहीं आता। लेकिन फिर भी हम दो-दो सौ तक भी नहीं दे सकते थे इसलिये नियम बनाये, कमेटी बनाई। पर इसके लिए भी शोरगुल मचाया गया कि इसमें कांग्रेसमेन हैं इसलिए लैण्ड अलॉटमेन्ट में भ्रष्टाचार हो रहा है। हमने इस पर फिर चेन्जेज किये। हर तहसील में जमीन का बंटवारा करने के लिए कई कमेटियां कायम कीं। इन कमेटियों के मेम्बर हैं तहसील पंचायत का सरपन्च, तहसीलदार, उस क्षेत्र का एम. एल. ए. और जिस क्षेत्र की ज़मीन दी जा रही है उस पंचायत का सरपंच। हम समझते हैं कि अब इससे ज्यादा रिप्रेज़ेन्टेटिव कमेटी नहीं हो सकती (करतल ध्वनि)।

इस चेन्ज को हमने आज या दो-चार रोज़ में नहीं किया है। आज से ५ महीने पहले ऑर्डर इश्यू किये हैं। और मैं बताता हूँ कि हाउस में जो बात कही जाती है, जो सुझाव दिये जाते हैं उनकी हम कद्र करना चाहते हैं और करते हैं, और उन सुझावों में जो ठीक समझते हैं और जो परिवर्तन करना आवश्यक होता है करते हैं। हाउस में कहा गया कि नोमीनेटेड कमेटियों के ज़रिये काम ठीक नहीं होता, इनमें कांग्रेसमेन ही केवल रक्खे जाते हैं, किन्तु जो जनता के द्वारा गैर कांग्रेसी भी चुनकर आये हैं उनको भी रक्खा जाना चाहिये। तो हमने इसको माना और हमने यह तय किया कि ऐसा किया जाना चाहिये ताकि गैर काँग्रेसी और गैर सरकारी राय भी हमें मिल जावे तो ज़मीन के बंटवारे में, मैं अर्ज करता हूँ, हमने कोई गलत काम नहीं किया। हां यह ठीक है कि हमने कुछ पोलिटिकल सफरर्स को ज़मीनें दी है पर इनको भी २५ बीघा से ज़्यादा किसी को नहीं दी गई। ज़्यादा से ज़्यादा २५ बीघा जमीन दी गई है। इससे ज्यादा एक भी व्यक्ति को नहीं दी गई और इसमें भी उसी क़ीमत पर उनको दी गई जिस कीमत पर एक किसी मामूली आदमी को दी जाती है। इससे ज़्यादा रियायत हमने राजनैतिक पीड़ितों के साथ भी नहीं की। यह मैं आप से साफ-साफ निवेदन कर देना चाहता हूँ। अब काँग्रेसमेन को ज़मीन ही क्यों मिल गई, तो मुझे यह कहने के लिए आप क्षमा करें कि उन व्यक्तियों को जिन्होंने कि काफी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, बेकार हैं, बाल-बच्चे हैं, उनके पोषण के लिए जिनके पास और कोई साधन नहीं हैं उनको अपने निर्वाह के लिए अगर २५ बीघा ज़मीन का कोई टुकड़ा दे दिया गया तो क्या खराबी की। इस पर इतनी बात कह दी जावे तो यह कहां तक उचित हो सकता है इस तरह से कहना। फिर इसके साथ ही आपने यह कभी नहीं कहा कि बिलकुल भूमिहीन किसानों को भी सरकार द्वारा ज़मीनें दी गई हैं गंगानगर और दूसरे-दूसरे इलाकों में, तो इनको भुलाकर केवल दो-चार नाम लेकर सारी बातें करने का प्रयत्न किया गया है। मैं आज इस बात को पूरे अधिकार के साथ कहता हूँ कि जो स्थिति है राजस्थान के अन्दर भूमि-सुधार की वह क्या है ? जमीन के बटवारे के बारे में प्लानिंग कमीशन ने आकर यह कहा है कि जो ज़मीन खाली होने वाली है वह नीलाम को जाय और नीलाम करने से रुपया आ जायेगा। बड़े-बड़े ब्लॉक्स के अन्दर नीलाम की जाय, तो मैं ही एक व्यक्ति था जिसने ज़मीन के बंटवारे के बारे में यह

Page No.54

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

कहा कि ८ एकड़ के ऊपर बंटवारा होगा । हम भूमिहीन किसानों को बसायेंगे और रुपया ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं (हियर, हियर) ! यह प्लानिंग कमीशन के रेकार्ड पर है । वह हमारी पॉलिसी है कि हम भूमिहीन किसानों को बसाना चाहते हैं न कि ज़मीन का ऑक्शन करके ज़्यादा रुपया प्राप्त करना चाहते हैं ।

सेटलमेंट की दर जो कि ३ साल पहले अचरोल के ठिकाने में कायम की गई थी उसको लेकर भी हम पर लांछन डाला गया है । मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि २५) रु० की दर जब कायम की गई थी अचरोल के अन्दर............

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहले भी मिनिस्टर आप ही थे ।

श्री सुखाड़िया—जी नहीं, मैं नहीं था ।

मैं अर्ज कर रहा था कि उस दर के क़ायम होने पर भी २० प्रतिशत कम पर किसानों से लगान वसूल किया गया है । इस साल २५ प्रतिशत और कम की जायगी । ऑर्डिनेन्स सेटलमेंट को रिवाइज़ करने की कार्यवाही की जा रही है (हियर, हियर) । जो केवल यह बात कहते हैं कि किसानों के हित को रिप्रेजेन्ट करने वाले कुछ व्यक्ति हैं, दूसरे और सब डूबोने वाले हैं, वे इस तरह की कल्पना करके चलते हैं (हंसी) ।

इसके सिवाय मैं आपसे यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि एक बात जो कही गई है जो कि दरअसल सीरियस है, वह है कि एग्रिकल्चर कॉमोडिटीज़ की प्राइसेज के अन्दर जो गिरावट होती जा रही है, मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं । यह एक सीरियस प्रोब्लम है, और उसका रोका जाना अत्यावश्यक है । अभी तक जो एक्शन लिया गया है वह यह है कि जहां तक ज्वार और मक्का का सवाल है गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक आदेश जारी किया है कि मंडियों में भाव ५।।) रु का होते ही खरीदी जाय गवर्नमेंट की तरफ से निश्चित भाव पर (करतल ध्वनि) । बाजरी का भाव नीचे जाता है मंडियों में ६ रु० से तो यह बाजरी खरीदने को तैयार होगी । ५।।) और ६) रु० के नीचे इन चीज़ों के दाम नहीं कर सकते हैं । उन चीजों के खरीदने की व्यवस्था की गई है । श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में जिक्र हो या नहीं हो, हम समस्या के प्रति जागरूक नहीं हैं । यह आरोप करना अनुचित है । यह मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूं ।

श्री वेदपाल त्यागी—भाषण में जिक्र नहीं है इसलिए कहा है ।

श्री सुखाड़िया—फिर कहा गया है सर्विसेज़ के बारे में । हमारे विरोधी दल के नेता हमेशा अपने भाषण में बाकायदा श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण के अवसर पर कुछ हमदर्दी के शब्द कहा करते हैं । उन्होंने इस बार भी इस परम्परा को निभाया है और नेक्टाई और कॉलर के रूप में उसको निभाया है । वह परम्परा हमेशा किसी तरह निभाते हैं । कभी चीफ सेक्रेटरी के नाम पर है तो कभी दूसरे पर । इस साल, मैं समझता हूं, और शायद कोई बात आपको नहीं जंची तो आपने नेक्टाई और

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

कॉलर पर बात कही है । मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितनी बातें कही गई हैं उनके कहने का प्रसंग नहीं था । कोई नेक्टाई कॉलर लगाये तो कोई दूसरा कपड़ा पहने, मैं उन चीजों को किसी की कसोटी नहीं मानता हूं । नेक्टाई और कॉलर पहनने वाले अफसर अच्छे ही हों, ऐसा मैं नहीं मानता हूं,जैसा कि आपने कहा है । मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूं । मैं व्यक्ति की क़द्र नेक्टाई, कालर धोती या कुरता पहनने से नहीं करता हूं, उसके गुण की क़द्र करने वाला हूं (हियर, हियर), मैं कहता हूं कि नेक्टाई—कॉलर आदि उतार कर आओ, सेकेट्रीयेट में ऐसी दबाने की बात नहीं है ।

काँग्रेसमेन के इनफुलेन्स के बारे में कुछ उदाहरण दिये गये । मैं आपसे अर्ज़ करूं कि सबसे बड़ी जो एक बात हमने कही थी सर्विसेज़ के लिए वह यह कही थी कि काँग्रेसमेन या किसी व्यक्ति के, यह बात भी बराबर कह दूं, इनफुलेन्स में नही आना चाहिए । दूसरे व्यक्ति उसका लाभ उटाने का प्रयत्न कर सकते हैं । इन्फुलेन्स में न रहकर खुद को जांच लेना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए । मैं निश्चित तौर से कहता हूं और मैं समझता हूं कि कोई इस प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है । बल्कि एक जगह एक काँग्रेसमेन का उदाहरण दे सकता हूं कि एक कांग्रेसमेन ने इस प्रकार का कार्य किया तो उसको कांग्रेस से एक्सपेल कर दिया । उसका उदाहरण तो है । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के एक्शन हम ले सकते हैं । हम खुद नहीं चाहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रकार की बातें आयें ।

यहां रूरल वाटर बोर्ड के बारे में भी बहुत सी बातें कही गईं । उस पर कुछ प्रकाश डालते हुए मैं आपसे एक बात अर्ज़ करना चाहता हूं कि रूरल वाटर बोर्ड बनाने के लिये हमने ऐसा क्यों किया । सौराष्ट्र का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा। सौराष्ट्र के अन्दर कई स्टेटयूटरी बोर्ड कायम किये गए हैं। भारत सरकार ने खादी और विलेज इन्डस्ट्रीज़ के लिये स्टेटयुटरी बोर्ड कायम किये हैं। हमारे यहां रूरल वाटर बोर्ड जो कायम हुआ है उसके अन्दर सरकारी अधिकारी हैं, उसके अन्दर कांग्रेस के आदमी हैं और उसके अन्दर जिन्हें सेट कहा जाता है वे कुछ सेठ भी है । वह इसलिये किया गया है कि चारों तरफ घूमेंगे। जो एक करोड़ रुपया रूरल वाटर सप्लाई के लिए है उसमें, जब हमें मालूम हुआ है १० लाख खर्च हुआ है और ६० लाख खर्च करना है इस साल भर के अन्दर । ६० लाख बाकी पड़ा हुआ था तो अनऑफिशियल एजेन्सीज़ से अधिक सहयोग लेकर किस उचित तरीके से इसको खर्च कर सकते हैं इसका प्रयत्न किया जाय । तो हमने मारवाड़ रिलीफ सोसाइटी के कुछ भाइयों को जो कि यहां आकर घूम-फिर कर काम करें उन व्यक्तियों को लिया । इनके अलावा मारवाड़ रिलीफ सोसाइटी के द्वारा २, ३ नाम सुझाये गये उनको हमने पसन्द किया । मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि मारवाड़ रिलीफ सोसाइटी द्वारा राजस्थान रूरल वाटर बोर्ड के कार्य में सहयोग दिया जाय, इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया गया । जो बीच में बातें आती रही हैं जो सारे भ्रम फैलते रहे हैं, मैं आपको लेटेस्ट डिसिज़न मारवाड़ रिलीफ सोसाइटी का कहना चाहता हूं । वह उनके ध्यान में रखने के लिये और उनकी तसल्ली के लिए है कि जो यह कहते हैं कि हमारे मामले में वहां पर कोई झगड़ा चल रहा है । वह एक तथ्य है, लेकिन आज मैं वह कह रहा हूं कि वह तथ्य नहीं है । आखिर उन लोगों के और गांव वालों की ऐसी कई कमेटियों के ज़रिये रुपया खर्च किया जायगा । स्कीमें

बनाई जायेंगी, उसको कलेक्टर्स और पंचायत ऑफिसर्स देखेंगे और फिर सेन्ट्रल बोर्ड में आयेगा जिसमें मिनिस्टर होंगे, सेक्रेटरी होंगे पंचायत ऑफीसर होंगे, फाइनेन्स का एक रिप्रेजेन्टेटिव होगा। वे मिलकर स्कीम को एक्ज़ामिन करेंगे, स्कीमें वहां पर आयेंगी। सरकारी विभाग में बारबार कागज़ों में देरी नहीं लगे और वह लोग घूम फिर कर जाकर पता लगायें कि कहां पर क्या आवश्यकता है। ⅓ गांव वालों को देना पड़ता है और ⅓ को तैयार करने में जितने गैरसरकारी व्यक्ति उपयोगी हो सकते हैं उतना सरकारी एजेन्सीज के जरिये करना आसान नहीं पड़ता, इसलिए गैरसरकारी सदस्यों का सहयोग लिया गया है कि ⅓ शेयर वाले व्यक्ति तैयार किये जांय और ⅓ शेयर प्राप्त करने के लिये गैरसरकारी सदस्यों का उपयोग करते हैं, तो कहां दिक्कत आती है ? जो ज़िले में कमेटियां बनाई गई हैं वही सारा काम करने वाली कमेटियां होंगी। सेन्ट्रल बोर्ड ने उनको इसलिये रखा है कि इस बोर्ड की सारी व्यवस्था करने के लिये ३ लाख रूपया है जो घूमने के अन्दर जो खर्चा हो, दूसरा खर्चा इस बोर्ड की व्यवस्था का हो, उसके लिए उसे ३ लाख रूपये को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी ५-७ आदमियों का बोर्ड में रखने से दूसरे व्यक्ति अपने ऊपर ले लेते हैं और राजस्थान के अन्दर कुछ महीनों में ६० लाख का खर्च करके लोगों को राहत का काम पहुंचाते हैं तो बजाय इसके कि जल्दी से राहत पहुंचे, सेठ आगये 'सेठ आगये का नारा लगाकर यह कहें, यह बात समझ में नहीं आई। सेठों के मामले में जो विरोध करते हैं वे १.२ व्यक्ति इस सदन में हो सकते हैं... (ध्वनि प्रसारक यन्त्र बिगड़जाने पर)

श्री हरिकृष्ण व्यास—सुनने में नहीं आ रहा है।

एक आवाज़—दूसरे वाले पर शुरू करदें।

(दूसरे ध्वनि प्रसारक यन्त्र से बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—It is audible now.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सेठों का सहयोग समय-समय पर लेने की बात, इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन की बात और मौके मौके पर दूसरे लोगों का जो बाहर के हैं, सहयोग लेने के सम्बन्ध में तरह तरह की बातें समय समय पर पहले भी आती जाती रही है और आज भी लाई गई हैं और यह कहा गया है कि इनका सहयोग लेने में यह खतरा है कि जिन लोगों को इस कॉर्पोरेशन में लिया गया है वे अपने मतलब के लिये लगा देंगे। वे रूपये किसी खास आदमी के कारखाने में लगा दिये जांय या किसी की व्यक्तिगत पूंजी बन जाय तब तो हम भी समझ सकते हैं कि यह शक का प्रश्न है। लेकिन जब हम इन रुपयों को खर्च करने के लिये गांवों में कमेटियें कायम करते हैं और वहां के लोगों से खर्च का एक-तिहाई लेकर काम करना चाहते हैं तब यह प्रश्न कहां ठहरता है ? कई गांव ऐसे भी हैं जो एक तिहाई शेअर नहीं दे सकते। हम चाहते हैं कि जिन गांवों के लोग एक-तिहाई शेअर नहीं दे सकते, उनका शेअर भी वे लोग दें। सेठ लोग सहयोग इसलिये दें कि १।३ हिस्सा वे स्वयं कॉंट्रीब्यूट करें। इन सारी बातों का अनुभव न करके टीका करें तो थोड़ा दुःख होता है। इसमें कई और भी एसी बातें थी जिनसे प्रेरित होकर यह तय किया गया है।.

दूसरी बात इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन कायम किया गया तो यह कहा गया कि पूंजीपतियों को राजस्थान में लिया गया । भारत में जितने भी इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन बने हैं उनके

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

फोर्मेशन को देखते तो पता चलता। आज इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन की आवश्यकता न केवल राजस्थान सरकार मानती है बल्कि भारत सरकार और रिज़र्व बैंक भी इसकी आवश्यकता को मानती हैं। रिज़र्व बैंक भी इसमें १५ लाख रुपये देगी। तो कोई राजस्थान सरकार और रिज़र्व बैंक रुपयों को लुटा रही हैं तो शायद जोधपुर से आनेवाले हमारे माननीय सदस्य ही इसे बचा सकते हैं। आज यू. पी., बम्बई, सौराष्ट्र और अन्य स्थानों में भारत सरकार ने इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन बनाये हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि इन्डस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ कोई कदम उठाते हैं तो आप कहते हैं कि सेठ लोगों को ले लिया है। मैं आपके इस विरोधाभास को समझने में असमर्थ हूं। इन्डस्ट्रीज़ के लिये १ करोड़ रुपये राजस्थान सरकार द्वारा लगाने का प्लान है तो २ करोड़ रुपये की उसको दूसरी सहायता मिल जायगी। यह कॉर्पोरेशन नहीं बनता है तो क्या राजस्थान सरकार के पास इतना धन है कि वह सारा रुपया अकेली लगा दे। पंचवर्षीय योजना में ५.५ करोड़ रुपये लगाने की योजना है। इसका ५० प्रतिशत करीब प्राइवेट सेक्टर से लगेगा। जब प्राइवेट सेक्टर से प्लान की पूर्ति होती है और आगे की योजना को पूरा करने के लिये भी उनको कहा जायगा कि आप कन्ट्रीब्यूट करिये तो इसमें क्या दोष आता है? दूसरी बात यदि कोई यह समझे कि हम को इन बातों की ज़रूरत नहीं है, राजस्थान बहुत इन्डस्ट्रिलाइज्ड हो गया है तो मैं कहूंगा कि राजस्थान में इन्डस्ट्रीज़ की स्थिति पर विचार करें। आज आपके यहां कितना डेवलपमेन्ट हो गया है? पहले जब कि राजस्थान के अन्दर इनकम टेक्स नहीं देना पड़ता था और बाहर से आने वाले माल पर कस्टम ड्यूटी लगती था तब तो बाहर के सेठों को यहां इन्डस्ट्रीज़ चालू करने में फायदा हो सकता था। आज जब कि यहां कस्टम उठ रहा है, इनकम टेक्स देना पड़ता है तब यहां कोई आसानी से आकर इन्डस्ट्रीज़ खोलने के लिये तैयार नहीं हो सकता। उनको यहां लाकर इन्डस्ट्रीज खोलने के लिये प्रेरित किया जाय तो भी यह कहा जाय कि यह तो सेठों का मामला हो गया तो फिर कौनसा मामला उचित है। बम्बई—कलकत्ते में उनको रेडी मारकेट तो मिलता है, इन्डस्ट्रीज के साधन मिलते हैं, रुपये उपलब्ध होते हैं उन लोगों को वहां से यहां लाने के लिये प्रेरित किया गया तो क्या बुराई हो गई। क्या आपकी यह मंशा है कि राजस्थान में इन्डस्ट्रीज नहीं पनपे? हम बार—बार इसके लिये कॉन्फ्रेन्स बुलाते रहते हैं और जब कान्फ्रेन्सेज़ में कामयाबी होने लगे तो यह कहा जाय कि यह तो सेठों को बढ़ावा दिया जारहा है। यह कहा जाता है कि सेठों के पास कलकत्ता और बम्बई चले गये, इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन में रामनाथजी को चेअरमेन बना दिया इसका चेअरमेन हम जोधपुर से आनेवाले माननीय सदस्य को तो नहीं बना सकते थे। इसमें ५० लाख रुपये प्राइवेट सेक्टर से लगेंगे। ५० लाख रुपये लगाने के लिये उनका विश्वास पैदा करना पड़ेगा। उसका चेअरमेन मैं बन जाऊं या और कोई व्यक्ति बन जाय तो ५० लाख रुपये राजस्थान के डेवलपमेन्ट के लिये देने को कोई तैयार नहीं होगा। आपको व्यवहारिक बातों को देखना चाहिये। इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन बनाने का क़ानून राजस्थान में बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत सरकार के कॉर्पोरेशन के बारे में जो सेन्ट्रल क़ानून है उसी की तहत में यह इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश होता है। उसके पर्सनल्स भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। फाइनली वहां से अप्रूवल होता है। भारत सरकार के फाइनेन्स डिपार्टमेंट और रिज़र्व बैंक की गाइडेन्स में यह चीज़ इसलिये क़ायम की जाती है कि बड़ी—बड़ी इन्डस्ट्रीज देश में पनपें। बड़ी—बड़ी इन्डस्ट्रीज़ को सेन्ट्रल गवर्नमेंट का फाइनेन्स कॉर्पोरेशन ५० प्रतिशत तक नयी इन्डस्ट्रीज़ के लिये लोन

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

देता है, १ करोड़ रुपयों तक का लोन देने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दो या तीन-तीन करोड़ तक का लोन सेन्ट्रल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन ने दिया है। यह कॉर्पोरेशन तो १० लाख से ज़्यादा लोन किसी को देनेवाला नहीं है। इससे छोटे और बीच के लोगों को हर सूरत में फायदा होगा। इस बारे में कई तरह की बातें चल रही थीं इसलिये उनका स्पष्टीकरण करना जरूरी था। इस तरह की बातें बहुत दिनों से चल रही थीं।

एक चीज़ की दुर्भाग्य से राजस्थान में काफी चर्चा चल रही है। कहा जाता है कि जोबनेर के एग्रीकल्चर कॉलेज को बन्द करके उसे उदयपुर ले जाया जा रहा है और इसमें क्षेत्रीय भावना को बढ़ाया जा रहा है। जोबनेर कॉलेज के बारे में गवर्नमेन्ट ने एक कम्युनीक निकाली है कि यदि वह कॉलेज बराबर चलता है तो हम उसको बंद नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट जो एड इस कॉलेज को देती है अगर पूरी जांच होने के बाद वह कॉलेज एड की हक़दार है तो एड मिलती रहेगी। इस कॉलेज के बारे में बहुत सी शिकायतें हैं, उसकी जांच अवश्य होगी। एक तरफ किसान आकर कहते हैं कि जो खेत हैं वे एग्रीकल्चर कॉलेज के नहीं हैं बल्कि हमारे खातेदारी के हैं और उनको सैटलमेन्ट से परचे मिले हैं। कुछ लोग यह शिकायत लेकर आते हैं कि जो एड दी जाती है उससे उनका खर्चा कम है। इन सब शिकायतों की जांच करना आवश्यक है। जांच की जाय तो यह कहा जाय कि क्षेत्रीय भावना है और इसे तोड़ने की बात है। जहां एग्रीकल्चर कॉलेज की ज़रूरत है अगर वहां कॉलेज खोलने का विचार करें तो यह कहा जाता है कि क्षेत्रीय भावना है। मेरे पास पिछले टाइम एग्रीकल्चर और वेटरनरी डिपार्टमेन्ट था। मैंने सबसे पहले कहा था कि पुरानी राजधानियों के महत्व को कायम रखा जाय। इसलिये वेटरनरी कॉलेज खोलने का जब प्रश्न आया तो बीकानेर में उसे कायम करने की बात कही गई। इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में एस्टेब्लिश हुआ, मेडिकल कॉलेज यहां रहा। दूसरी कॉलेज दूसरे स्थान पर जाती है तो क्या क्षेत्रीय भावना से जाती है। इस बारे में एक्सपर्ट्स की राय ली गई। एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी और यदि उसे माननीय सदस्य देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं उन चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूं कि हम किसी चीज को इस आधार पर या उस आधार पर तय करें। इसके विस्तार में यदि कोई जा सकता है तो उनको मालूम होगा कि आधार यह नहीं होता है आधार यह हो सकता है कि राजस्थान के हक़ में अधिक विचार करके फैसला करने का प्रयत्न करें।

दूसरी चर्चा चलती है संप्रदायवाद की। इस बारे में प्रेस में भी बहुत बातें चलीं कि अमुक जाति का राजस्थान में बहुत असर हो रहा है और न मालूम राजस्थान पर इसका क्या असर होगा। एक माननीय सदस्य ने तो सिविल वार होने तक की बात कह दी। मैं नहीं समझ पाया कि इस पर क्या कहा जाय, लेकिन इतनी बात जरूर अर्ज़ करता हूं कि हम यदि किसी कारण से रात-दिन इस तरह कि बातें करते रहेंगे तो निश्चित मानिये कि राजस्थान का हित नहीं होगा बल्कि इससे अहित ही होने वाला है।

आप कहते ही रहें कि अमुक जातिवाद राजस्थान में फैल रहा है। अमुक जातिवाद राजस्थान में फैल रहा है तो इस बारे से दूसरे व्यक्तियों पर यह असर पड़ता है कि विशेष व्यक्ति अमुक जाति के खिलाफ करना चाहता है। एक दूसरे की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, जिसका एक बुरा

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

असर पड़ता है। क्या यह संभव नहीं है कि इन बातों की चर्चा में गये बिना पंचायतों के चुनाव हों ? तो हम कह सकते हैं कि अमुक क्षेत्र की पंचायत के चुनाव में गलती हुई, ज्यादती हुई, सरकारी अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है। मैं आपको निवेदन करदूं कि १५०० से ऊपर पंचायतों के चुनाव हुए हैं, सिर्फ ८ जगह नोमिनेशन हुआ है। कहीं कहा गया कि कॉंग्रेस पंचायतों में आ जाती है तो जितने बाई इलेक्शन्स हुए हैं वहां कॉंग्रेस जीत रही है, तो इसका गुस्सा यहां आ कर क्यों निकालते है ? कॉंग्रेस का असर बढ़ रहा है। यों तो हम कहें कि असेम्बली के भी इलेक्शन्स गलत हुए हैं, पंचायतों के भी इलेक्शन्स गलत हुए हैं। पर ८ पंचायतों के नोमिनेशन्स ही हुए हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह भी क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—क्योंकि परिस्थिति बताई गई कि वहां चुनाव होना संभव नहीं था। यह भी विचारणीय प्रश्न हो सकता है। फिर कितने ही राजनैतिक स्वरूप हो सकते हैं जैसे मानो सारी पंचायतें सरकार नामजद करके मुकर्रर करती आ रही हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी सरकार नामजद करके मुकर्रर कर देगी। जितना बढ़ा चढ़ा कर कहा है उसमें तथ्य नहीं है। अभिभाषण में श्रीमन् राजप्रमुख ने कहा कि सरकारी काम काज में हमने डीसेंट्रलाईजेशन किया है. वह रिपोर्ट तथ्य है। हम कोई अधिकार केन्द्रित करना चाहते हों, यह मंशा नहीं है। रिपोर्ट आई, विकेन्द्रीकरण किया। केन्द्रित करने में हम विश्वास नहीं करते। हम चाहते हैं किन अधिकारों को विकेन्द्रित किया जाय जिससे कि काम-काज जल्दी से जल्दी हो सके।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो श्रीमन् राजप्रमुख ने भाषण दिया है, व सदन के सामने जो चर्चाएं हुई और बाद में मैंने बातें कहीं उनसे बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जायेंगी। और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, जो सुझाव उन्होंने रखे हैं वे अच्छे हैं। मैंने जो बातें कही हैं इस पर मैं आशा करता हूं कि वे अपने संशोधन को वापिस ले लेंगे और जो यह धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के समक्ष पेश किया गया है उसे सदन स्वीकार करेगा। (राज्य-पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

श्री रूपनारायण शास्त्री—संस्कृत शिक्षा के बारे में तो आपकी भी उदासीनता रही। आप कुछ नहीं बोले।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—बजट पर बहुत बोलेंगे।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैंने एक संशोधन इस धन्यवाद के प्रताव में रखा है। हाउस के नेता ने जो अश्वाशन दिये और मेरे मित्र कुंभारामजी ने जो बातें कहीं उनसे मुझे विश्वास हो गया है कि किसानों की भलाई के लिये सरकार प्रयत्नशील है। इस वास्ते मैं अपने इस संशोधन को वापिस लेने की इज़ाज़त चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री गोपीलालजी यादव ने जो संशोधन रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री गोपीलाल यादव—मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर श्री गुलाबचन्द कासलीवाल ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—Noes have it, sir.

श्री माथुर—Ayes have it. sir.

श्री अध्यक्ष—मैं एक बार फिर प्रस्ताव को रख देता हूं। वॉकल ट्रायल ऑफ स्ट्रेन्थ हो जायगी।

प्रश्न यह है कि श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव श्री गुलाबचन्द कासलीवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

('हां' पक्ष जीता ? 'हां' पक्ष की आवाज़ ज़्यादा बुलन्द है।)

कु० श्री जसवन्तसिंह—Noes have its, sir.

श्री अध्यक्ष—आप डिवीजन चाहते हैं ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—Yes, sir-

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर !

प्रश्न यह है कि श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव श्री गुलाबचन्द कासलीवाल ने रखा है वह स्वीकार किया जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता। प्रस्ताव पास किया गया।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं। अभी सभी सदस्य हाजिर हैं इसलिये हाउस बड़ा सुन्दर दिखता है। इसी तरह रोज हाजिर रहें तो अच्छा हैं, रोज गैर हाजिर हो जाते हैं।

सन् १९५४-५५ वर्ष का अनुपूरक अनुदानों का ब्यौरा

श्री अध्यक्ष— श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं ५४-५५ के चालू साल के लिये सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स का स्टेटमेंट पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष—yes, next.

अनुपूरक मांग संख्या ६५ उद्योग एवं नागरिक रसद

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग एवं व्यवसाय मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं अनुदान के लिए मांग संख्या ६५, मेज़र हेड इन्डस्ट्रीज़ एन्ड सप्लाइज़ के सम्बन्ध में, ३१ मार्च १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त, श्रीमन् राजप्रमुख को ७,०६,००० रु० की अनुपूरक राशि दे दी जावे।

श्री अध्यक्ष—मांग प्रस्तुत की गई। अब इस पर कट मोशन्स प्रस्तुत होंगे। श्री एच, के. व्यास.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, कट मोशन पढ़ कर सुनाऊं, or we can take it as read ?

श्री अध्यक्ष—We can take it as moved.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैंने यह प्रस्ताव जो सदन के सामने रखा है कि जो मांग इन्डस्ट्री और सप्लाई के लिये करीब-करीब ७ लाख रुपयों से कुछ ज्यादा अभी प्रस्तुत की गई उसको कम करके एक रुपया कर दिया जावे। सरकार की इस सम्बन्ध में मांग केवल एक रुपया तक मंजूर की जावे। इस मद में क्यों मैंने यह प्रस्ताव रखा, इस सम्बन्ध में यह अभी इसका जिक्र करते समय राजस्थान के मुख्य मंत्री ने अपने भाषण के दौरान में......

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति पदासीन)

उन्होंने जो राजस्थान के इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन के सभापति, चेयरमेन ऑफ दी बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स, श्री रामनाथजी की तरफ इशारा करते हुए यह कहा कि उनके अलावा और कौन उनको राजस्थान में मिलता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I nevar said this.

श्री हरिकृष्ण व्यास—If putting it like this embarrasses you, I am glad. लेकिन यह आपने अवश्य कहा था कि लोगों में विश्वास सम्पन्न करना है, ५० लाख रुपयों का मामला है यह सब चीज व्यवहारिकता के रूप से थी और रामनाथ जी को रखा तो क्या बुरा किया ? संयोगवश या अनायास ही समझ लीजिये कि जो मांग प्रस्तुत हुई है उसका भी ताल्लुक एक ऐसे उद्योग से है जिसके आप ही मैनेजिंग डाइरेक्टर अब तक रहे हैं जिसे राजस्थान सरकार ने इसी फाइनेन्स कॉरपोरेशन के उनको सभापति के पद पर नॉमिनेट किया। इसी राजस्थान सरकार ने एक वर्ष

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

या इससे कुछ पहले यही कारखाना लीज़ पर लिया था, यह सर्व विदित है। उस समय हमसे यह कहा गया था कि कारखाने में कोई घाटा नहीं होने वाला है। उस समय के मुख्य मन्त्रीजी और उद्योग मन्त्री जी, जो दोनों एक ही व्यक्ति थे, यह कहा था कि लीज़ के रुपयों के मामले में अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है और बात चीत चल रही है। इसी सदन में उन पर यह आरोप लगाया गया था कि लगभग ३ लाख की भेंट उनको की जा रही है और इसी प्रकार के आरोप लगाने का जिम्मा मुझ पर पड़ा। उस समय के चीफ मिनिस्टर ने दावे से कहा था कि यह गलत बात कही जा रही है। अभी तो बात-चीत चल रही है, कोई तय नहीं हुआ है। आज यह प्रस्ताव पेश किया जा रहा है कि १ लाख २० हजार रुपये सालाना रामनाथजी को लीज़ मनी के नाम से भेंट किये जावें। या थोड़ा बहुत समझाने-बुझाने के लिये समझ लीजिये कि १ लाख २० हजार रुपया लीज़ पर लिया उसके मुआवजे के मांगे जा रहे हैं जो ७ लाख में मौजूद है। यह रकम है पिछले वर्ष के लिये। आने वाले वर्ष के लिये अगले बजट में और रुपया प्रोवाइड कर दिया जावेगा। मेरा खयाल है कि उधर बैठने वाले परसों कूद-कूद कर जबाव देने के लिये तैयार हो रहे थे। मन्त्री की तरफ से वे जबाव देगें और मेरे मित्र को ज्यादा जोश हो तो डीडवाने से आये हुए माननीय सदस्य इसका भी जवाब दें। मैं अभी भी साबित करने वाला हूँ और वह भी सरकारी दस्तावेजों से साबित करने वाला हूँ कि यह शक्कर के कारखाने का कन्ट्रक्ट जो किया है वह सरकार को नुकसान देने वाला है और उनके लिये यह कहा जाता है कि रामनाथ जी पोद्दार को रखने से जनता में विश्वास होगा। वह भी नक़शा इस कारखाने से देखा जावेगा कि सरकार से १९ लाख रुपया लेकर इतने साल तक क्या नतीज़ा निकला? माननीय चेअरमेन, हम इस बात को भूलें नहीं कि १९५२–५३ के वर्ष के अन्त तक जब कि यह कारखाना ४–५ वर्ष तक चल चुका था और उस समय जब कि रामनाथ जी पोद्दार की छत्रछाया में कोई रोक-टोक नहीं थी, जब ३६ लाख का कारोबार करने वालों के पास १९ लाख रुपया राजस्थान सरकार का था, यह रुपया दिया तो बीकानेर सरकार ने था लेकिन राजस्थान बनने के बाद राजस्थान ने उसको चालू रखा; राजस्थान सरकार ने यह रुपया इनको भेंट किया; ३६ लाख का कारोबार करने वाले के पास १९ लाख रुपया तो राजस्थान सरकार के हैं और जिसमें से १५ लाख रुपया डिबेन्चर्स के रूप में है; पांच साल यह कारखाना चला और नतीज़ा क्या होता है? नतीज़ा यह होता है कि सन् ५२–५३ के अन्त तक २ लाख या २॥ लाख रुपया तो ब्याज के रूप में रामनाथ जी पोद्दार में सरकार के हो जाते हैं। मन्त्री जी नोट करलें और तारीखवार बतावें। ब्याज के नहीं दिये इतना ही नहीं और भी इसके सिवाय हैं। इन पांच सालों के कारोबार में ६ लाख रुपयों का घाटा उनकी बेलेन्स शीट के द्वारा उन्होंने दिखाया है। ६ लाख से कुछ ज्यादा ही होगा, कम नहीं। अब राजस्थान सरकार मैदान में आती है। मेरे एक माननीय मित्र जोश के साथ बोल रहे थे कि गन्ना पैदा करने वाले किसानों की ओर देखकर, कारखाने में काम करने वाले मजदूरों कीवजह से, दिल में दया लाकर, इस कारखाने को किराये पर लिया। तो माननीय मन्त्रीजी और राजस्थान सरकार जबाव दे कि अगर घाटा था और इसी दृष्टिकोण से कारखाने को किराये पर लिया, पांच साल से चलने वाले कारखाने में ६ लाख का एग्रेगेट लॉस रहता है, कारखाना बन्द रहता है, किराये पर उसको लिया तो रामनाथ जी पोद्दार से कहना था कि इसको चलाओ, घाटा था तो तुम सरकार को दो। घाटे का

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कारखाना सरकार ले और १ लाख २० हजार रुपया किराये के दे, यह कैसी बात है ? खुद के चलाये चला, ६ लाख का घाटा बैठा और सरकार से किराया मांगते हैं। सरकार किराया देती है। घाटे का सौदा जिस कारखाने का है उसको किस बात का किराया ? मकानों का किराया दे दो, लीज़ का दे दो। मैं पूछता हूँ, किसानों और मजदूरों की बात तो बाद में होगी, मैनेजिंग एजेन्ट की पांचों घी में आई या नहीं ?

('नहीं आई' ऐसी आवाज)

अभी नहीं आई। पांचों नहीं, मैं समझता हूं कि पांचों नहीं तो चारों तो आ गई। क्योंकि जिस कारखाने को आज तक चलाने में उन लोगों को ६ लाख रुपयों का एग्रीगेट लॉस हुआ है उस कारखाने से उनको घर बैठे १ लाख २० हजार रुपयों का भुगतान मिल रहा है। उस ज़माने के उद्योग मंत्रीजी को कहा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ पैसा-वैसा नहीं देने वाले हैं। तब भी हैरानी हुई कि कुछ गलत सूचना तो मुझे नहीं मिल गई है। जांच की तो पता यह चला कि पैसा नहीं देने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि वह चार-पांच साल से ब्याज का बकाया रुपया है उसमें से वसूल कर लेंगे इसलिए पसा नहीं देने वाले हैं। उनके खाते में पैसा जमा हो गया, सरकार के खजाने से तो निकलेंगे, ब्याज के हैं वे चुकते हो जावेंगे, फिर कैसे पैसा देवेंगे ? लेकिन १ लाख २० हजार रुपया दिया, ६ लाख रुपया जिस कारखाने के घाटे का था उसको। कहा यह जाता था और अब भी कहा जाता है, जो ताज्जुब की बात है, कि उस इलाके के गन्ना पैदा करने वाले किसानों पर दयादृष्टि रखने के लिए यह कारखाना हाथ में लिया है। मैं आपसे अर्ज करूँ, माननीय चेयरमेन, कि राजस्थान सरकार ने यह कारखाना हाथ में लेने के कुछ दिनों पहले से और कारोबार किये थे वे भी दुनिया से छिपे नहीं हैं। यह सन् १९५३ के दिसम्बर के महीने में कारखाना हाथ में लिया और सन् ५२ के दिसम्बर और जनवरी सन् ५३ की बात है कि भारत सरकार ने गन्ने की कीमत १।।।) रु० मन के हिसाब से तय कर दी थी। ये ही रामनाथजी पोद्दार राजस्थान सरकार के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि मैं तो ये भाव नहीं दे सकता। आप ताज्जुब करेंगे कि राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्रीजी ने सिफारिश की भारत सरकार से कीमतें कम कर दी जायं। १।।।) रु० गन्ने की कीमतें न करते हुए एक रुपया पांच आना या एक रुपया सात आना मुकर्रर कर दीजिये। गन्ना पैदा करने वाले किसानों के प्रति, जिनके लिये आपके अपने दिल में खूब प्रेम उमड़ रहा है बातों में, वे जवाब दें कि भारत सरकार से तय की हुई गन्ने की कीमत को कम करें, ऐसी सिफारिश की या नहीं ? उस समय के उद्योग मंत्रीजी दिल्ली गये या नहीं राजस्थान के उन रामनाथजी पोद्दार को साथ लेकर ? वह अलबत्ता दूसरी बात है कि टी. टी. कृष्णामाचारी ने मंजूर नहीं की और किदवई भी नहीं माने। किन्तु राजस्थान सरकार ने कसर नहीं रखी और यह कारखाना बन्द करने की राय और न खोलने की समस्या के लिए चुपके से इशारा किया। दो महीने बीत चुके हैं, गन्ने की कीमत कम नहीं हुई है, कारखाना बन्द करके धमकी दी, फिर यह कहा कि फिर सिफारिश करें। यह रेकार्ड में है, कारखाना बन्द होने के बाद औद्योगिक संकट पैदा हो रहा है इसलिए केन्द्रीय सरकार इसपर पुनर्विचार करे। यह ब्लेक मेल करने के लिए रामनाथजी पोद्दार ने कारखाना बन्द

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

किया और किसानों से मोह करने वाली सरकार ने १।।।) रु० के बजाय एक रुपया पांच आना तय किया। यह सदन ही अब तय करे। इन रामनाथजी पोद्दार का मैं मानता हूं, इन सज्जन का ऐसा रवैया रहा है कि यह जो भी मंत्रीमंडल होता है उसके पीछे पिल पड़ते है और उसको अपना बना लेते हैं। पहले भी जो मंत्रीमंडल था उससे कारखाने को लीज़ पर दिलवा दिया और अब इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन के लिए सिफारिश करवा ली।

रुपया चन्दे में आता होगा कांग्रेस को, सरकार के खज़ाने में तो न आता है और न आया होगा। आयन्दा उम्मीदों पर चला जाय। आगे जिक्र करूंगा। आज पॉलिसी के प्रश्न पर जिक्र कर रहा हूं।

आप ज़रा ग़ौर फरमाइये, मैंने एक रुपया ही दिया जाय ऐसा क्यों कहा? केवल नीति गलत है इसलिए नहीं, बल्कि तरीका भी गलत है। आजतक दुनियां में कहीं नहीं सुना और न समझ में आने वाली यह बात मालूम होती है कि एक कारखाना लीज़ पर ले। माननीय उद्योग मंत्रीजी गौर से सुने और आज की तारीख में जवाब दें कि आपने लीज़ एग्रीमेन्ट के ऊपर कानूनन रजिस्ट्री करवा कर उनसे दस्तखत करवाये या नहीं? मेरी सूचनाके अनुसार तो अब तक नही करवाये गये हैं आज अभी तक सुबह ११ बजे तक। हां, अलबत्ता आपने अपनी तरफ से ड्राफ्ट फार्म बना कर भेज दिया है। हां, अलबत्ता यह भी सही है कि आपने मामला तय किया और इतनी ईमानदारी से सप्लीमेन्टरी ग्रांट पेश करदी। वे रामनाथजी पोद्दार कोई कच्ची गोली नहीं खेलने वाले हैं। डेड साल हो गया लीज़ दिये हुए। मैं आपसे दरख्वास्त करूं कि आप मेरा चेलेन्ज स्वीकार कीजिये। आपने शर्तनामा तय किया, उन्होंने सही के रूप में मंजूर करके सरकार को लीज़ पर दिया हो तो आप सदन की मेज पर पेश कर दें।

सरकार यह सोच रही है कि हमने एग्रीमेन्ट कर लिया। कहां आपके पास लिखा पढ़ी है? कहां वे दस्तावेज हैं? कैसे आप वसूल कर सकेंगे? फिर आप लॉ डिपार्टमेन्ट की ओपीनियन लेने की कोशिश करेंगे। फिर नतीजा यह होगा कि यह सब मामला डिसप्यूट में चला जायगा। इसमें यह अनहोनी बात ज़रूर हो रही है, बिना लिखा-पढ़ी हुये लेना-देना शरू होगया है। इसके लिये टर्म्स एन्ड कन्डीशन्स भी अभी अभी फाइनेलाइज हुई हैं जिसको करीब एक महीना हुआ होगा। एक साल के लिये कारखाना लीज़ पर दिया गया था और रिन्यू करने का अधिकार सरकार को था। पुराने उद्योग मंत्री लीज़ का जवाब दे सकते हैं किन्तु कम से कम मौजूदा सरकार के मौजूदा उद्योग मंत्री यह तो जवाब दे सकते हैं कि नवंबर के माह में इस लीज़ को रिन्यू किस आधार पर किया था? क्या वह भी पहले ही कर दिया गया? लीज़ का एग्रीमेन्ट नहीं हुआ और फिर एक साल के लिए लीज़ बढ़ा दिया। पिछले साल जो काम किया गया उसमें लॉस हुआ या फायदा, इसका भी हमारी सरकार को पता नहीं। एक स्टेटमेन्ट ज़रूर पेश किया था और पिछली साल इस बात का जरूर ज़िक किया गया था। हमने फायदा और मुनाफे का हिसाब लगा लिया है। फायदा हुआ है वह भी अभी पक्का स्टेटमेन्ट नहीं हुआ। मुझे अब भी पता नहीं कि पक्का हुआ या नहीं, लेकिन यह मुझे ज़रूर मालूम हुआ हैं कि इस स्टेटमेन्ट के अन्दर कुछ ऐसी चीजें नहीं आई हैं जिनका कि समावेश इसमें होना आवश्यक हैं। डाइरेक्टर ऑफ

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इन्डस्ट्रीज को तनख्वाह मिलती है सरकारी खज़ाने से। वे साल में चार और पांच महीने काम किया करते है गंगानगर के शक्कर के कारखाने के मैनेजर के तौर पर। आप ज़रूर इस बात पर गौर फरमायें। उसका गंगानगर से जयपुर आने जाने का जो टी. ए. बिल का सालाना खर्चा है वह कितना रुपया खर्च हुआ है उसको भी लॉस एन्ड प्रोफिट अकाउन्ट्स में जोड़ा है या नहीं? गंगानगर में ऐसी कोई बड़ी इन्डस्ट्रीज़ नही है जिसके कारण प्रान्त के संचालक उद्योग विभाग को वहां रहना पड़े। इतने उद्योग तो झालावाड़ और टौंक में भी मिल सकते हैं वहां वे क्यों नहीं रहते? मिल के मैनेजर की तौर पर और डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज एन्ड कॉमर्स की हैसियत से जितना भी टी० ए० बिल उन्होंने उठाया है उसको भी क्या आप प्रोफिट एन्ड लॉस अकाउन्ट में बतायेंगे? क्या उन टी० ए० बिल्स का खर्चा टी. ए. का पैसा उसमें दिखाया गया है? जहां तक मेरी सूचना है अभी तक उनके प्रोफिट एन्ड लोस अकाउन्ट के अन्दर नहीं जोड़ा गया है। इतना ही नहीं डेप्रीसियेशन तक का पता नहीं। एक साल भर से वह स्टेटमेंट राजस्थान सरकार के फाइनेन्स डिपार्टमेंट में फाइनल हो रहा है। मुझे पता नहीं कि यह प्रोफिट एन्ड लॉस अकाउन्ट फाइनल कैसे होगा? अब तक तो सरकारी खज़ाने में कुछ भी पैसा जमा नहीं हुआ है। कुछ दिनों के पहले तक तो एक पैसा भी सरकारी खज़ाने में जमा नहीं हुआ, फिर भी लीज़ को रिन्यू कर दिया गया। जब तक आपने लीज़ के एग्रीमेन्ट पर दस्तखत नहीं कराये, आपको यह मालूम नहीं कि आपको इसमें लॉस हो रहा है या प्रोफिट, अगर लॉस की पोजीशन है तो क्या फिर भी इस साल १९५४ के अन्त में एक साल के लिये लीज़ का एग्रीमेन्ट रिन्यू किया गया? अब उससे एक लाख बीस हजार रुपये का फिर किस आधार पर किया? उसके लिये केवल एक ही आधार था और वह यह कि, मुख्य मन्त्री जी खुद इसको नोट करें, जिसकी कि दुनियाँ के अन्दर शोहरत हो रही है, और हकीकत जो है अगर दो साल के लिये यह करखाना बन्द रह जाता तो उस एग्रीमेंट के मुताबिक जो बीकानेर सरकार और रामनाथजी पोद्दार के बीच में हुआ था, बीकानेर सरकार सारी जिम्मेवरियों से मुक्त हो जाती, अगर वह एक साल के लिये भी बन्द रह जाता। वह करीब एक साल के लिये बन्द रह गया और एक साल और बन्द रह जाता, लेकिन इस बीच में यह हुआ कि सरकार ने खास तौर से ले लिया और सरकार ने उसको चालू करवा दिया। उसमें जो एक लाख २० हजार रुपया लीज़ पर लेने से जो खर्च हो रहा है उसका मुनाफा रामनाथजी को घर बैठे हो रहा है, जिनको कि ६ लाख का उसमें घाटा था। यह केवल उनका कोन्फीडेन्स सीक करने के लिये किया गया।

दूसरी ओर जयपुर में जो एन्ड स्पिनिंग वीविंग मिल्स है उसको क्या-क्या सहूलियतें नहीं दी गई। उसका कितना रिटर्न आया, उस मिल को क्या-क्या सहूलियतें नहीं दीं। उनके साथ जो एग्रीमेन्ट हुआ उसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि उनको एक आना छः पाई के हिसाब से बिजली सप्लाई की जायगी। हम इस रेट से उनको बिजली क्यों दें और किस लिए दें? इसके अलावा १७ लाख रुपये सरकार ने इसके अन्दर लगाये, किन्तु क्या एक रुपया भी सरकारी खज़ाने में वापिस आया? अब रामनाथजी पोद्दार की यह कोशिश चल रही है कि ब्याज कम करा दें। इस वजह से मैं यह कह रहा हूँ कि जो सारा का सारा ट्रान्ज़ेक्शन हुआ है यह उस समय के उद्योग मंत्रीजी से हुआ

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

है। अब तक यही हुआ है। इसके लिए भले ही मुख्य मंत्रीजी यह कहें कि किसी पर ज्यादा आक्षेप नहीं करना चाहिये, कटाक्ष नहीं करना चाहिये, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्री, जो मिश्रित मंत्री थे यानी पहले वाले उद्योग मंत्री द्वारा इस प्रकार की हरकतें की गई। यह सारे का सारा ट्रांजेक्शन उन्ही के द्वारा हुआ है।

अन्त में माननीय चेयरमेन, मैं यह अर्ज करूंगा कि यह सब होते हुये भी सरकार को यह महसूस हुआ हो कि अगर यह कारखाना बन्द हो जायगा तो मजदूर बेकार हो जायेंगे और जो किसान गन्ना पैदा करते हैं उनकी आफत हो जायगी तो वे इस बात का जवाब दें। सन् १९५५ तक तो Essential supplies Act क़ायदा चल रहा है, आज तक चल रहा है। इस क़ायदे के मातहत सरकार उसको टेक ओवर कर सकती थी। मिल को टेक ओवर कर सकती थी, जो क्यों नहीं किया गया। अगर उनको केवल किसानों का ही ख्याल था तो मिसमैनेजमेंट बता कर उसको टेक ओवर कर सकते थे। लेकिन आपने यह नहीं किया। आपके लिये कारखाना चालू रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण श्री रामनाथजी पोद्दार को लोन देना था। मेरा यह कहना है कि इस कारखाने को लीज़ पर लेने का जनहित से कोई ताल्लुक नहीं इसका ताल्लुक है सिर्फ सेट रामनाथ पोद्दार को घर बैठे १ लाख २० हज़ार का मुनाफा दिलवाना इसलिये मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है। इसलिये मेरी मांग है कि इस मांग में एक रुपये की कमी कर दी जाय।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय चेयरमेन, जहां तक इस सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट का प्रश्न है यह वास्तव में सही है कि सेट कौम के लिये कुछ समझ और बड़ी जिम्मेदारी से काम लेने की ज़रूरत है। यह कौम रुपया लेने के मामले में बड़ी चतुर है। इसलिये यह निहायत जरूरी हैं इस बारे में सरकार को ध्यान रखना चाहिये। वे अच्छी तरह यह जानते हैं कि१० रुपये खर्च करने पर किस प्रकार हज़ार रुपया प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के भूल-भुलैया में आकर हमें इस पब्लिक मनी को वेस्ट नहीं होने देना चाहिये। इधर ध्यान रखने की निहायत आवश्यकता है। यह सरकार के वास्ते और खास तौर से कांग्रेस सरकार के वास्ते, जो समाजवादी दृष्टिकोण की बात करती है और जो जनता को ज्यादा राहत पहुंचाना चाहती है, उसके लिये यह बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक इस मांग का प्रश्न है इस पर विचार करते हुये माननीय मंत्री महोदय कुछ स्पष्टीकरण करने की कृपा करेंगे और यह भी देखेंगे कि सरकारी रुपये का दुरुपयोग न हो और जिस प्रकार इन्डस्ट्रीज में खर्च होने जा रहा है उस स्थिति का ज्ञान करते हुए क्या खर्च होना भी चाहिये या नहीं और इसके पीछे रिटर्न क्या है और अगर रिटर्न नहीं है तो इसके पीछे यह बताया जाता है और जवाब में भी सम्भव है इस पर आप यही कहेंगे कि एम्पलॉयमेन्ट देना है, लोगों को राहत पहुँचाने के लिये यह करना निहायत जरूरी है, तो इसके साथ साथ दरअसल प्रोपोर्शनेट एक्सपेन्डिचर और बातों पर कितना है और इसका उपयोग इन सेठों को राहत पहुँचाने के लिए कितना है, इसका विचार रखते हुये इसकी स्वीकृति के साथ में मन्त्री महोदय अपने विचार फरमावेंगे, ऐसी आशा है।

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग एवं व्यवसाय मंत्रीं)—अध्यक्ष महोदय, अभी अभी बताया गया कि गंगानगर की शुगर मिल सरकार ने ली है। इसको लेते समय किसानों का या मज़दूरों का

[श्री भोगीलाल पंड्या]

हित समझकर उसे नहीं लिया गया; इसे केवल रामनाथजी पोद्दार को फायदा पहुँचाने के लिये लिया है और यह भी बताया गया कि जब आवडी कांग्रेस के प्रस्तावानुसार सरकार की समाजवादी अर्थ-व्यवस्था होने वाली है तो मज़दूरों का फायदा होना चाहिए, इसके साथ कभी, मेरा ख्याल है, यह भी बताया जावेगा कि साम्यवादी विचारधारा का भी ख्याल रक्खा जावे। पर यहां पर तो बिल्कुल स्पष्ट बात है इन सब गलत धारणाओं के लिए कोई स्थान यहां नहीं होना चाहिये।

यह स्पष्ट है कि यह बीकानेर सरकार ने १६ लाख रुपया अपनी स्टेट सरकार के ज़माने में रामनाथजी पोद्दार को वहां के उद्योग को पनपाने के लिए, गंगानगर के किसानों को फायदा पहुँचाने के लिए दिया था। और इतने अरसे तक उनके द्वारा यह शुगर इन्डस्ट्री चलती रही। पर जब उनको घाटा होने लगा और उनकी चलाने की इच्छा नहीं रही और इच्छा ही नहीं बल्कि उन्होंने चलाना बन्द कर दिया तो ऐसी स्थिति में सरकार का यह पहला कर्त्तव्य हो गया कि वह यह ख्याल करे कि उन किसानों का क्या होगा जो कि गन्ना पैदा करते हैं। उनको गन्ने का पैसा मिले, वे दूसरी और जो खेती करते हैं उसमें सबसे ज्यादा लाभ किसानों को गन्ने की खेती से मिलता है। तो इन सारी चीज़ों पर काफी सोच-विचार करके, बल्कि यहां तक की तैयारी करके कि यदि सरकार को कुछ नुकसान भी हो तब भी अगर इतने किसानों का हित होता है तो यह उद्योग अपने पास ले लेना चाहिये। तो यह निश्चय करने पर इसको पूरी तरह लेने से पहले लीज़ पर लिया और ले कर किसान का गन्ना हमने खरीदा। किसानों को इससे बराबर पैसा मिला और इससे उनको लाभ हुआ। हुआ यह कि जहां पर हमारा यह ख्याल था कि हो सकता है कि सरकार को कुछ नुकसान होगा परन्तु सरकार ने ऐसी सुन्दर व्यवस्था की कि ३० सितम्बर, १६५४, तक का बेलेंस शीट निकाला गया तो मालूम हुआ कि हालांकि यह मिल साल में ७६ दिन चला, १५ जनवरी १६५४, से ३१ मार्च, १६५४, तक और इसमें २०,१६१ बोरी अर्थात् ५५, २२५ मन शक्कर तैयार हुई और इसकी औसत आय प्रति मन ३३) हुआ, पर इस पर भी काफी मुनाफा इसमें सरकार को रहा। पहली बार ऐसा कहा गया था कि इसका बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं। ठीक सर खर्चे का हिसाब नहीं रक्खा गया है। हम कोई भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसमें जितनी बातों का ध्यान रखना चाहिये उन सब बातों का सरकार खास तौर से ध्यान रखती है। मैं आपको यह भी बतादूं कि इसमें कुछ एकाउन्ट्स डिपार्टमेंट के एतराज़ भी हुए। हमारा एकाउन्ट्स डिपार्टमेंट काफी सतर्क है इस मामले में। पर कोई भी हिसाब होता है उसमें खामियाँ भी हो सकती है और उनको दूर भी किया जा सकता है। इस तरह से बराबर हमारे यहां के फाइनेन्स डिपार्टमैन्ट ने इसकी जांच की है। लीज़ मनी जो १,२०.०००) रु० बारबार बताया जाता है तो मालूम होना चाहिये कि इतना रुपया तो सरकार को मिलने वाला है आखिरकार सरकार के जो डिबेन्चर्स हैं उन पर।

श्री हरिकृष्ण व्यास—On their account, उनके खाते की सरकार के अन्दर जमा होने वाली रक़म है यह। रामनाथजी की तरफ से मिल रहा है ऐसा जमा होगा।

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार को मिलने वाली रक़म होगी यह। रामनाथजी को हमारे यहां जमा कराना पड़ता है। तो सवाल यह आता है कि हमने बराबर देखा कि लीज़ मनी हम जो दे

[श्री भोगीलाल पंड्या]

रहे हैं उसमें बीकानेर इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के सामान को भी रख लिया। राजस्थान सरकार द्वारा रुपया दिया गया, उसका चार पर्सेंट ब्याज भी गिन लिया। साथ ही और सब खर्च गिनने के बाद भी अगले वर्ष तक के लिये रखे जाने वाले मज़दूरों को मज़दूरी का कुछ रुपया देना पड़ता है वह भी गिन लिया। सारा खर्चा गिनने के बाद भी १,४०,३०३ ||=)। रु० का लाभ हुआ है। और यह मैं सदन से बड़े अदब से बताना चाहता हूं कि इस वर्ष हम इससे भी ज़्यादा गन्ना पेरेंगे जो कि करीब १५ लाख मन से भी ज्यादा होगा, और एक लाख मन से ज्यादा शक्कर तैयार होगी। कोई भी सज्जन जो यहां बिराजे हैं यह खयाल कर सकते हैं कि जहां हमारे देश में उत्पादन की कमी है वहां हमारे इस उत्पादन के बढ़ने पर १ लाख मन से भी ज्यादा शक्कर हमें मिलेगी। साथ ही किसानों का पहली बार जो उत्साह मन्द हो गया था और उन्होंने गन्ने की खेती करना कम कर दिया था अब वे गन्ना भी ज्यादा से ज्यादा पैदा करेंगे। उनका उत्साह भी बढ़ा है और अगले वर्ष इससे भी ज्यादा गन्ना वे पैदा करेंगे। मैं पहले से भविष्यवाणी तो नहीं करता पर मेरा अन्दाज़ है कि अगले साल हमें पांच लाख से कम मुनाफा नहीं होगा। तो जहां हमें अगले साल और भी ज़्यादा लाभ हो सकता है वहां किसानों को और मज़दूरों को भी बड़ा लाभ मिलने वाला है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यह जो १ लाख और ४० हज़ार के करीब मुनाफा बताया गया इसमें रामनाथजी को कितना दिया गया?

श्री भोगीलाल पंड्या—रामनाथजी को तो लीज़ मनी का देना था वह देने के बाद १,४०,३०३ ||=)।रु० का लाभ सरकार को हुआ हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मैं समझना यह चहाता हूं कि एक तो हमारा डिबेन्चर का इन्ट्रेस्ट है वह अलग है या वह भी इसमें शामिल है इस लीज़ में। १५ लाख के हमारे डिबेन्चर शेयर हैं। इस पर इन्ट्रेस्ट आया है वह शामिल है या नहीं?

श्री भोगीलाल पंड्या—पहले ही बता देता हूं कि लीज़ मनी में शामिल है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—डेप्रि सियेशन मनी शामिल है या नहीं?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं पहले बता चुका हूं कि सरकार ने मिल लीज़ पर ली है। अतः अभी इसे इसमें नहीं गिना है यह एक लाख बीस हजार भी हम लेते हैं डिबेन्चर के ब्याज और अन्य बकाया रक़म पेटे। अगले साल मिल चलाने के लिए हमें क्या करना चाहिये यह सरकार विचार कर रही है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मैं तो यह पूछ रहा हूं कि लीज़ मनी कितनी दी जा रही है?

श्री सभापति—यह क्वेश्चन अवर नहीं है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यह क्वेश्चन अवर का सवाल नहीं है। प्वाइन्ट का क्लेरिफिकेशन

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

कराना चाहता हूं । अभी तक यह ध्यान में नहीं आया किसी के और न मिनिस्टर साहब के ध्यान में होगा कि पोद्दारजी को कितना रुपया लीज़ मनी के रूप में दिया जा रहा है । इसमें एक तो डिबेन्चर के इन्ट्रेस्ट का सवाल है । लेकिन रुपया दिया इसमें डिबेन्चर का इन्ट्रेस्ट क्या दिया जाता है इसके अलावा और क्या दिया जा रहा है ? यह क्लीयर करें आप ।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं समझता हूं चेयरमेन साहब कि आपकी आज्ञा से ही यह पूछा गया है इसलिये जवाब दिया था। एक लाख बीस हज़ार रुपया पोद्दार जी को देंगे, उसमें से कितना पोद्दारजी देंगे यह मैं पहले ही बता चुका हूं । इस पर भी और स्पष्टीकरण चाहिये तो मैं दे सकता हूं ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—लीज़ मनी क्या दे रहे हैं ?

श्री पंड्या—अभी आपके सामने बताया कि करीब करीब १,२०,००० रू० हैं ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—लीज़ का प्वाइन्ट क्लियर नहीं हुआ ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने जो सर्कयुलेट किया है उसमें १,२०,०००)रु० लिखा है ।

श्री पंड्या— मैंने जो सर्कयलेट किया है उससे साफ होता है कि ६७ हजार रूपये हमको इन्टरेस्ट के मिल जाते हैं बाकी और जो होता है वह १,२०,०००) रू० कुल मिलाकर होता है । उसमें से ६७ हजार रू० निकाल कर आप गिन लीजिये ।

यह बार बार कहा जाता है जहां कहीं बात होती है तो शुगर मिल की बात चलती है या वहां पोद्दार टेक्स्टाइल मिल की बात चलती है, लेकिन उस समय की जो सरकारें थीं चाहें वह जयपुर में थीं या बीकानेर में थीं उन सब की यह इच्छा रही है कि उद्योगपतियों को लाया जाय और अनेकों तरह की सुविधायें दी जांय, ताकि यहां उद्योग पनपें और यहां के लोगों को मज़दूरी मिले एवं यहां के कच्चे माल का सदुपयोग किया जा सके । उन्होंने बहुत सोच-समझकर काम किया था । आज की सरकार भी उसको टीक समझती है, और भविष्य में भी इस तरह के उद्योग यहां पनपाने हैं तो कुछ सुविधाएं हमको उद्योगपतियों को देनी पड़ेगीं । सरकार से जितना रुपया हमने दिया है उसका ४ प्रतिशत ब्याज मिलता है । मेरे माननीय मित्र ने अपने भाषण में बहुत सी बातें कही हैं, इसलिये स्पष्टीकरण करना पड़ा, अन्यथा हमने किसानों और मज़दूरों की भलाई के लिये मिल ली । ऐसा पहले भी हुआ है, हो रहा है और भविष्य में भी होगा, । एक बात ।

दूसरी बात यह है कि कारखाना घाटे में चलता है, ऐसी कोई बात नहीं । इस समय सरकारी व्यवस्था है तो १,४०,०००) रू० का फायदा हुआ है । इस साल अधिक फायदा होने की उम्मीद है । फायदे की बात कहते हैं तो दर असल ४ प्रतिशत का फायदा नहीं है । उनकी तरफ से जो खर्च हो चुका है वह रूपया मांग रहे हैं । मैं समझता हूं कि अब कोई आपत्ति नहीं होगी ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—पोद्दारजी को कितना फायदा हुआ है ?

श्री पंड्या—पोद्दारजी को कोई फायदा नहीं है। कोई भी बिजिनेसमेन, यदि उसको फायदा होता है तो अपने बिजनेस को बन्द नहीं करता है, उनको लाभ नहीं हुआ है। उनको क्या फायदा होने वाला है इससे ?

श्री सभापति—इस डिमाण्ड को खत्म करदें क्योंकि फिर सिर्फ एक दिन रह जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे बोलने की गुन्जाइश नहीं रखी, लेकिन मेरे एक प्वाइन्ट का जबाव नहीं दिया है। आखरी बात को कहो मेरे माननीय मित्र ने वह पते की बात मालूम होती है कि इतने दिनों तक पोद्दार को फायदा नहीं होता था, फायदा होता तो कारखाना कैसे बन्द करते ? अलबत्ता कारखाना बन्द होने के बाद उनको फायदा हुआ है या नहीं वह स्पष्ट नहीं किया है। यह तो वे कहना चाहते हैं कि कारखाने में फायदा नहीं होता था क्योंकि फायदा होता तो ६ लाख का एग्रीगेट लॉस क्यों होता ? प्रश्न यह है कि आपकी लीज़ से फायदा हुआ या नहीं ? आंकड़े बोल रहे हैं कि अपने को हुआ है या नहीं। मैं अभी कहूंगा कि उनको हुआ है या नहीं, उनके लिए आंकड़े बोल रहे हैं। वे आंकड़े यह कह रहे हैं कि पिछले वर्षों में जिस कारखाने में एग्रेगेट ६ लाख का लॉस हुआ तो एवरेज लॉस कम से कम सवा लाख, साल का गिनो। उस कारखाने के एवज में उनको सवा लाख घर बैठे मिल रहे हैं, सवा लाख का घाटा होने के बजाय। मेरे माननीय मित्र कह रहे हैं बराबर कि नहीं मिल रहा है। नहीं कैसे मिल रहा है ? जो डिबेन्चर का रुपया सरकार को मिलेगा वह उनकी लाइबिलिटी है टेकनिकली उनके हाथ में नहीं जा रहा है। उनकी लाइबिलिटी क्या होती है ? कैसे कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है ? रामनाथ पोद्दार को मिल रहा है, बाकायदा मिल रहा है। यह कहा है कि रुपये का ब्यांज मिल रहा है तो सरकार का जो रुपया उनके पास जमा है वह और व्याज का रुपया वह नहीं दे रहे थे तो उनके कारखाने को कुर्क करके सरकार को मिलता, वह बराबर मिलता। ब्याज का रुपया यहां पर चुकाया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि रुपया नहीं मिल रहा हैं। जिस कारखाने की वह बात करते हैं तो उसके आंकड़ों को, फेक्ट्स को गलती बता दें कि वे डिबेन्चर के इन्ट्रेस्ट की एवज में एन्ट्री करते हैं, केडिट एन्ट्री करते हैं या नहीं। मतलब यह हुआ कि रामनाथ पोद्दार ने रुपया दिया ऐसा गिना जाय। उसका जस्टीफिकेशन क्या हुआ ? कर्ज़े का दावा करेंगे तो आपको रुपया मिलेगा १,२५,००० रु० का एवरेज घाटा जिस मिल में था आज उनको घर बैठे १,२५,००० रु० मिल रहा है और फिर मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि इसमें क्या बिगड़ा ? इसमें यह बिगड़ा कि सरकार तो चला रही है कारखाने को और रामनाथ जी पोद्दार बैठे-बैठे खा रहे हैं।

अब मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं। एक बात पर जोर दिया गया है, किसानों की बात का। मुझे ताज्जुब हुआ कि एक बात का जबाब क्यों नहीं दिया ? किसानों का प्रेम उस वक्त कहां गया था जब कि आपने भारत सरकार को यह सिफारिश की थी कि गन्ने की कीमत कम कर दी जाय तो वे वही गंगानगर के किसान थे। बेचारे चिल्लाये थे, रोये थे और आपके पास भी आये थे। उस समय आपका वेल्युएशन क्या था। उस वक्त कुछ दूर जाने की बात नहीं थी। उस वक्त आपके किसानों का प्रेम कहां गया

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

था ? फिर अचानक प्रेम कैसे आ गया ? किसानों से प्रेम था, मज़दूरों से प्रेम था तो एसेन्शियल सप्लाई रेग्युलेशन एक्ट के मातहत उस कारखाने को लिया क्यों नहीं ?

दूसरी चीज जो मुझे अर्ज करनी है वह छोटी सी चीज़ तो है, लेकिन महत्व की है। १,४३,००० रु० के करीब २ प्रॉफिट बताया गया है; लेकिन यह नहीं बताया गया कि डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज का टी० ए० भी उसमें शामिल है या नहीं। मुझे ऐसा आभास मिला है, शायद यह सूचना माननीय मन्त्री जी के पास नहीं पहुँची हो तो मैं अर्ज़ कर दूँ कि वह शामिल नहीं है। वह शामिल किया जायगा तो और क्या हो जायगा। यह दिखावी मुनाफा है। जो तहसीलदार गंगानगर, शुगर मिल में सीजन जब चालू होता था तो सरकारी काम के अलावा भी यह काम करते हैं, वह टाला नहीं जा सकता, उसके आंकड़े नहीं लगाये जा सकते हैं। लेकिन कम से कम एक चीज़ तो हो सकती है कि १६ लाख राजस्थान सरकार के हैं आज के दिन और आपने साल भर कारखाना चलाया तो उसकी घिसाई हुई या नहीं। तो चाहे आप रामनाथजी पोद्दार को वह डेप्रिसियेशन फन्ड के रूप में दें या नहीं, लेकिन आपका जो १६ लाख रुपया उसमें लगा हुआ है उसका डेप्रिसियेशन होगा तो वहां उस डेप्रिसियेशन का पता नहीं और एक लाख चालीस हजार का फायदा बताया जा रहा है। श्री रामनाथ जी पोद्दार को डेप्रिसियेशन का फायदा देने की ज़रूरत नहीं है। रामनाथ जी का उस पर अधिकार नहीं है, लेकिन प्रॉफिट एन्ड लॉस एकाउन्ट बनाते समय, उसका तखमीना बनाते समय इसको थ्योरेटिकली प्रोवाइड फॉर करके प्रॉफिट एन्ड लॉस एकाउन्ट फाइनेलाइज कर सकते हैं। उस वक्त आप क्या करते हैं कि जगलेरी करते हैं। आप लीज़ लेते हैं और उस पर डेप्रिसियेशन देते नहीं, लेकिन कहते हैं कि फायदा हो रहा है। यह फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है उसका तखमीना लगाते समय आपके जो १६ लाख रुपये लगे हैं। कारखाना अगर १० साल आपने चलाया और अगर डेप्रिसियेशन में उसकी सारी की सारी वेल्यु डिटिरियोरेट हो जायेगी तो वह १६ लाख रुपये डिबेन्चर खत्म हो जायेंगे। कोई भी ऐसा मामूली से मामूली से बिजनेसमेन अपनी बैलेन्सशीट निकालता है सो डेप्रिसियेशन प्रोवाइड फोर करता है। नहीं करता है तो कहता है कि मेरी फाइनेन्शियल पोजीशन ठीक नहीं है। लेकिन राजस्थान सरकार का जब महकमा हिसाब लगाता है तो न मालूम जो इतने बड़े विशेषज्ञ और समझदार लोग हैं डेप्रिसियेशन क्यों नहीं लगाते हैं ? उनसे पूछते हैं कि डेप्रिसियेशन क्यों नहीं लगाया तो वे कहते हैं कि रामनाथजी ने ऐसा प्रस्ताव आज तक नहीं किया। तो फायदे के बजाय नुकसान की स्थिति बता सकता हूं। यह आज तक की हकीकत है और हकीकत रहेगी। मुझे अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी बात कही उसका एक भी जवाब माननीय मन्त्री जी ने दिया नहीं। लीज़ एग्रीमेन्ट फाइनेलाइज किया है या नहीं ? मैं पूछने को तैयार हूं कि लीज़ एग्रीमेन्ट लीगेल्ली एक्जीक्यूट हो गया है क्या ? जवाब नहीं।

श्री पंड्या—मैं जवाब देता हूं।

श्री सभापति—नहीं पहले उनको कह लेने दीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप कन्सीड करते हैं या नहीं ?
(श्री पंड्या द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—आप जवाब देते हैं तो मैं इस पर वोट ले लूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह जवाब नही दे रहे हैं इससे नतीजा निकलता हैं कि 'नहीं'। मेरी अभी भी मान्यता है कि अगर कोई गलती हो तो उसको कन्ट्रॉडिक्ट कर देगें। आप यह कहेंगे कि हमने यह किया, वह किया, लेकिन एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं? उसके होने या न होने की स्थिति का जवाब देने की स्थिति में वे आज भी नहीं हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं।

श्री भोगीलाल पंड्या—नया भाषण हुआ है तो मैं भी जवाब दे सकता हूं कि वह बराबर क़ानून हुआ है। नया भाषण है तो, नया जवाब २-३ मिनिट का समय मिले तो दे सकता हूं। इसमें बराबर क़ानूनी कार्यवाही हुई है। समय दें तो मैं बता सकता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एग्रीमेन्ट एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं? 'हां' या 'ना' में बता दें।

श्री भोगीलाल पंड्या—जो क़ानूनी कार्यवाही करना जरूरी थी वह हुई है। माननीय सदस्य ने स्वयं ने कहा है कि एग्रीमेन्ट रिन्यू किया गया है। लॉ डिपार्टमेन्ट को पूछ कर सारी आवश्यक कार्यवाही की गई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय मन्त्रीजी को इसके लिये धन्यवाद।

श्री वेदपाल त्यागी—जबानी एग्रीमेन्ट भी हो सकता है?

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय मन्त्रीजी को इसके लिये धन्यवाद दिया। अपने-अपने तरीके से सभी समझदारी बरतते हैं। लिखा-पढ़ी पर उनके दस्तख्त बता दें तो जानूं।

श्री भोगीलाल पंड्या—लीज़ रिन्यू किया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने अपने रजिस्टर में लिख दिया होगा, लेकिन दूसरी पार्टी ने लाइबेलिटी मंजूर की हो तो बतावें। यदि आपने रिन्यू किया है क़ानूनी तौर पर तो मेरा यह चेलेन्ज है कि लीज एग्रीमेन्ट जो रिन्यू हुआ है आप उसकी टाइप कॉपी पेश कर दें, ओरिजिनल तो दूर रही। जिस तारीख में रिन्यू किया उस तारीख तक एग्जीक्यूट करने की बात तो दूर रही फाइनेलाइज भी नहीं किया। क्या नतीजा निकाल सकते हैं? किसी से लीज नहीं है तो भी कह दें कि आप रुपये दे दो। देते वक्त कोई रामनाथ को नहीं मिला। इसलिये मेरी यह दरख्वास्त है कि आप सदन से इस सिलसिले में राय जानें तो सदन के सदस्यों को यह सूचना दें कि यह राज्य का पैसा है इसमें पार्टी का कोई प्रश्न नहीं है। एक लाख तीस हजार रुपयों के घाटे की कार्यवाही रामनाथ पोद्दार को देने के लिये है। मैं इन शब्दों के साथ अपने कट मोशन को रखता हुआ यह कहूंगा कि यदि आपने मन्त्रीजी को फिर बोलने का समय दिया तो मेरा राइट ऑफ रिप्लाई एक्ज्यू होगा। यदि आप मन्त्रीजी को समय दें तो मुझे भी जवाब देने का समय दें।

श्री भोगीलाल पंड्या—६७ हजार रुपये गवर्नमेन्ट को मिल रहे हैं। फैक्ट्स को छिपा रहें हैं, यह ठीक नहीं है।

Page No.73

श्री सभापति–डिमान्ड सं० ६५ इन्डस्ट्रीज एन्ड सप्लाई के ऊपर श्री हरिकृष्ण व्यास का कट मोशन है। क्या सदन को यह स्वीकार है।

(अस्वीकृत)

ना पक्ष जीता। मोशन गिर गया।

(विराम)

Now the Question

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 7,00,000 be granted to H. H. the Raspramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Demand for Grant No. LXV-Major Head 43-Industries & Supplies." be accepted.

(स्वीकृत)

The Demand is accepted.

(विराम)

आज समय हो गया है इसलिये सभा कल तक के लिये विसर्जित की जाती है। कल प्रातः ८-३० बजे फिर कार्य प्रारम्भ होगा।

(तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही १२-४५ मध्यान्होत्तर, शुक्रवार, दिनांक ४ मार्च, १९५५ के प्रातः ८-३० बजे तक लिए स्थागित हुई)।

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक ३ मार्च, १९५५.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।